खण्ड-280, अंक-8
मंगलवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(10 मार्च, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	
उपस्थित सदस्य	८८७–८९१
प्रश्नोत्तर	८९२–९३१
विधान परिषद् में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर सरकारी नीतियों के विरुद्ध स्वीकृत संशोधन से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वैधानिक तथा औचित्य का प्रश्न	९३१–९३७
५ मार्च, १९७० को बिना समय वृद्धि के प्रस्ताव के ५ बजे के उपरान्त की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	९३८–९४२
श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना (जारी)	९४२–९४५
नियम ५१ की सूचना के बारे में जानकारी..	९४५
उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में ३ अधिवेशन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (जारी)	९४५–९४६
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पारित)	९४६–९५९
उत्तर प्रदेश फन्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	९५९–९७३
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–जारी) ..	९७४–९९२
खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	९९२
लखनऊ गांधी स्मारक अस्पताल तथा सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के डाक्टरों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना ..	९९२
देवरिया जिले के ग्राम परसहवा में सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	९९३
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	९९३–९९४
उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में तीन अधिवेशन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	९९४
नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के बारे में जानकारी (जारी) ..	९९५
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९९५
नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के बारे में जानकारी	९९५
देवरिया जिले के ग्राम सोहंग की हवालात में श्रीमती सितबिया की मृत्यु के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	९९५–९९९
नत्थियां	१०००–१०१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल ग फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री

खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह,चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ,श्री
जमादार,श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री

जलील अब्बासी,श्री
जितेन्द्रपाल सिंह,श्री
जे० एन० सिन्हा,श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील,श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमलसिंह,श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल श्री
तेजबहादुर ,श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय,श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार,श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि ,श्री
दुर्जन,श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर,श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायन सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाईलाल, श्री

पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन ,श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)

शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० मार्च, १९७०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न]

सिविल सर्जन, बस्ती के खिलाफ शिकायत

*१—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन, बस्ती के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने स्वास्थ्य निदेशक, लखनऊ को मई, १९६९ तथा इसके पूर्व डी०ओ० लिख कर सरकारी कर्मचारियों से अनुचित रूप से पैसा लेने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या आवश्यक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

पुलिस अधीक्षक, बस्ती का ऐसा कोई शिकायती-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक को नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन, बस्ती ने अपने कार्यालय में दस रुपया घूस ली जिसकी रिपोर्ट कोतवाली, बस्ती में करायी गयी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिए सूचना प्राप्त करनी होगी क्योंकि जो प्रश्न किया गया था वह इससे सम्बन्धित नहीं था ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैंने इस सम्बन्ध में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था जिसके बारे में कार्यालय से सूचना मिली है कि यह अस्वीकृत हो गया है और इसको पूरक प्रश्न में लावें ।

श्री अध्यक्ष—

जवाब आप को कब मिला ?

श्री सुखपाल पाण्डेय—

करीब आठ दिन हो गये ।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर देंगे तो मैं इसको देख लूंगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा तो नहीं लेकिन सरकार को किसी भी सूत्र से ज्ञात हुआ है कि सिविल सर्जन के खिलाफ घूसखोरी की शिकायतें हैं ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिए सूचना प्राप्त करनी होगी ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के स्थानीय सदस्यों ने सिलिव सर्जन क़े विरुद्ध आपके यहां शिकायत की है ? और यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायत की है ?

श्री अनवार अहमद—

किसी माननीय सदस्य ने इस प्रकार की शिकायत नहीं की है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि बस्ती में आफिसर्स के दो ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्त दिलवाया करते हैं ?

श्री अनवार अहमद—

इस तरह की कोई जानकारी सरकार को नहीं है और इसके लिए भी सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न आपको कब प्राप्त हुआ और तब से अब तक इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह १० फरवरी को सरकार के पास भेजा गया है ।

श्री अनवार अहमद—

मैं सही तौर से तो नहीं बतला पाऊंगा लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं उनसे यह स्पष्ट है कि बस्ती के सिविल सर्जन के सम्बन्ध में रिश्वत लेने की काई शिकायत नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

बस्ती सिविल सर्जन क़े खिलाफ, जैसा कि अभी कहा गया, ऐसी शिकायत नहीं है लेकिन क्या सरकार के नोटिस में कुछ और दूसरी शिकायतें आयी हैं ? और यदि हां, तो वे क्या शिकायतें हैं ?

श्री अनवार अहमद—

सरकार के नोटिस में इतना आया है कि बस्ती में पुलिस के कर्मचारियों की जो वे देख-भाल करते थे वह ठीक देखभाल नहीं करते थे । केवल इतनी ही शिकायत थी और यही शिकायत पुलिस कप्तान ने की थी । लेकिन रिश्वत की कोई शिकायत नहीं थी ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जब एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है तो क्या मंत्री जी उसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

बेशक जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जानकारी करना सरकार का फर्ज है और जरूर जानकारी करायी जायगी ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

जिस आदमी ने १० रुपये घूस लेने वाली शिकायत लिखायी, क्या यह सही है कि उसका मरीज अस्पताल में मर गया और उसने दफा ३०४ में रिपोर्ट दर्ज करायी है ?

श्री अनवार अहमद—

इस तरह की कोई जानकारी सरकार को नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या पुलिस अधीक्षक ने सिविल सर्जन के बारे में लिखित रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जो शिकायत पुलिस अधीक्षक की है वह लिखित नहीं है और मेरे पास नहीं है । इसके लिये भी सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

जिस आधार पर माननीय मंत्री जी का यह कथन है कि पुलिस वालों की ठीक से देख-भाल नहीं की जाती है, तो उसका क्या ब्योरा है, कृपा कर के बतलायेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

इतना ही ब्योरा है कि पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल डायरेक्टर को इस बात की शिकायत की कि जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनकी देखभाल ठीक से नहीं की जाती है । इस सम्बन्ध में उनको चेतावनी दी गयी है कि वह इस प्रकार की हरकत भविष्य में न करें ।

श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)—

पांडेय जी ने जो सिविल सर्जन के खिलाफ आरोप लगाया है वह किस आधार पर लगाया है और जिसने शिकायत की थी क्या उसने यह लिख कर दिया है कि उसने कोई पैसा नहीं दिया है, क्या यह उन्हें मालूम है ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने पहले ही कह दिया कि इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के इल्म में नहीं है कि १० रुपये की रिश्वत सिविल सर्जन ने ली ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी जो रिपोर्ट लिखायी गयी है उसकी जांच करा के पुनः सदन को सूचना देने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन द्वारा प्रभाव डाला जा रहा है कि वह अपनी रिपोर्ट का समर्थन न करे ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने अभी बतलाया सदन को कि अगर इस प्रकार की कोई जानकारी होगी तो अवश्य उसकी जांच करायी जायगी और जो भी उचित कार्यवाही हो सकती है उसमें कोई रियायत सरकार नहीं करेगी ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, किसी विषय पर हम लोग खड़े होते हैं तो आप इधर निगाह ही नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

सभी लोग तो प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इतना समय नहीं रहता।

* * *

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न]

स्वास्थ्य समितियां

*१--श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून सन् १९६९ में सरकार ने जिलों में स्वास्थ्य समितियों का गठन करके सिविल सर्जनों को यह आदेश दिये थे कि जून माह के अन्त तक समितियों की बैठकें अवश्य की जावें और उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जावे? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले हैं, जिनमें २१ जुलाई, १९६९ तक समितियों की बैठक नहीं बुलाई गई?

श्री अनवार अहमद--

जी हां।

निम्नलिखित १९ जिलों की समितियों की बठकें २१ जुलाई, १९६९ तक नहीं बुलाई जा सकीं :

१--मिर्जापुर
२--बिजनौर
३--कानपुर
४--मुजफ्फरनगर
५--हमीरपुर
६--नैनीताल
७--मथुरा
८--लखनऊ
९--बुलन्दशहर
१०--पीलीभीत
११--बरेली
१२--फतेहगढ़
१३--गोंडा
१४--मैनपुरी
१५--मेरठ
१६--चमोली
१७--टेहरी गढ़वाल
१८--गाजीपुर
१९--बस्ती।

*२--श्री महरम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में स्वास्थ्य समितियों की बैठक बुलाने से सम्बन्धित राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना जिन अधिकारियों ने की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अनवार अहमद--

किन्हीं न किन्हीं कारणों से उक्त १९ जिलों में इस समिति की बैठकें निर्धारित तिथि तक नहीं हो पायीं, यद्यपि इन बैठकों को बुलाने के लिये आवश्यक प्रयास किया गया। इसमें शासनादेश की अवहेलना करने का कोई उद्देश्य नहीं था, अतः किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महरम सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आदेश दिये थे कि ३० जून तक मीटिंग बुलाई जायं परन्तु उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हुई, २१ जुलाई तक मीटिंग नहीं बुलाई गई तो मंत्री जी किस चीज को अपने आदेशों की अवहेलना समझते हैं? कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें सिविल सर्जन की रिपोर्ट सरकार के पास आई कि प्रयास किया गया और मीटिंग नहीं हो पाई, तो २१ जुलाई से पहले एसी कोई रिपोर्ट आई तो वह कहां से आई?

श्री अनवार अहमद----

जहां तक इन कमेटियों का प्रश्न है यह केवल एडवाइजरी कमेटियां हैं, उनका काम केवल इतना है कि वे संबंधित बातों में सिविल सर्जन को एडवाइस कर सकें। इस के लिये कोई दंड निर्धारित नहीं है। इसलिये जिन जिलों में कमेटियां नहीं बुलाई गईं वहां पर दंड देने का कोई प्रश्न नहीं है। यह २१ जिले हैं जहां पर निर्धारित समय के भीतर यह मीटिंगें नहीं बुलाई गईं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश कब गये थे कि जून के अंत तक समितियों का गठन किया जाय ?

श्री अनवार अहमद--

यह आदेश अगस्त सन् ६७ में जारी किये गये थे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

अगस्त, ६७ में जो आदेश गये थे उनका पालन क्या अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री अनवार अहमद--

अभीतक १६ जिलों में मीटिंगें हो चुकी हैं और मथुरा व पीलीभीत से उत्तर आ गय हैं, मथुरा में समिति की बैठक शीघ्र बुलाने की कार्यवाही हो रही है और पीलीभीत में ६८ व ६६ मे २ मीटिंगें हो चुकी हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि इन समितियों का गठन मध्यावधि चुनाव के बाद जो माननीय सदस्य जीत कर आये हैं उनको सम्मिलित करते हुये किया गया है ? आप का उत्तर है कि ६७ में गठन किया गया। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी फिर दोबारा अवलोकन कर के बतायेंगे कि क्या यह गठन ६७ में हुआ या ६६ के बाद हुआ ?

श्री अनवार अहमद--

आप सही कहते हैं, मैं जरा हिन्दी के समझने में कमजोर हूं। सन् ६७ में राजनतिक स्तर पर सलाहकार समिति का निर्णय हुआ और १६ जून सन् ६६ को निर्णय लिया गया कि यह कमेटियां बनाई जायं, मैं इस गलती के लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री राम कुमार शास्त्री--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में जो यह सलाहकार समिति की बैठक निर्धारित समय से नहीं हुई तो वह वहां कब हुई ?

श्री अनवार अहमद--

इस की सही तारीख की तो सूचना नहीं है और उसके लिये सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सदस्यों का कार्यकाल कितना है और किस आधार पर किन लोगों को समिति में नियुक्त किया गया है ?

श्री अनवार अहमद--

यह कमेटी जो बनी हैं वे पिछली सरकार ने बनाई थीं और उनका कार्यकाल २ साल का था और उनका काम था कि वह स्वास्थ्य व चिकित्सा के विषय में सलाह दें। उसमें ११

सदस्य होंगे । पहले तो जिला अधिकारा उस के अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष, जिला परिषद् उपाध्यक्ष होंगे, अगर नगरपालिका है तो उस के अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की स्थानीय शाखा के प्रतिनिधि, ३ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय आयुर्वदिक सभा के सभापति, अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन । इस तरह से इस कमेटी का गठन होता है ।

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक बस्ती जिले में कभी कोई समिति की मीटिंग हुई है, यदि हां तो तारीख बताने का कष्ट करेंगे जिसमें यह मीटिंग हुई हो?

श्री अनवार अहमद---

माननीय सदस्य को यदि कोई शिकायत है तं इसकी जांच की जायगी और कार्यवाही भी की जायगी ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

ये जो समितियां ह, वे पुरानी हो चुकी हैं और ठीक ढंग से भी काम नहीं कर रही हैं, गड़बड़ है २ वर्ष बीत रहे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इन समितियों को नये ढंग से संगठित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अनवार अहमद---

यह सही है, इस पर विचार किया जायगा ।

श्री मही लाल---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस समिति में विधान सभा के सदस्यों को भी शामिल किया जाय ?

श्री अनवार अहमद—

अभी नेगी साहब ने जो प्रश्न पूछा कि सामाजिक कार्यकर्ता की क्या परिभाषा है, मैं अर्ज कर दूं कि सामाजिक कार्यकर्ता की परिभाषा में एम० एल० ए० को भी शामिल किया गया है ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी इन स्वास्थ्य समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने क लिए जिले के समस्त माननीय सदस्यों को इन समितियों में मनोनीत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अनवार अहमद---

जैसा आप कहेंगे और लिखकर देंगे तो विचार किया जा सकता है । वैसे भी इस पर सरकार विचार कर सकती है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

जिन जिलों में जून, १९६९ में समितियों की बैठकें हुई हैं, वहां भी उसके उपरान्त विधिवत् ढंग से बैठकें नहीं बुलायी जाती हैं । केवल एक बार बुलायी गयी हैं । तो क्या माननीय मंत्री कोई ऐसा आदेश देंगे कि निश्चित समय के भीतर इन समितियों की बैठकें हुआ करें ?

श्री अनवार अहमद---

सरकार इन समितियों के कार्य से संतुष्ट नहीं है और जो सम्भव प्रयत्न होगा, उनको ठीक ढंग से चलाने के लिए, वह किया जायगा या नयी समितियों का निर्माण किया जायगा ।

श्री महरम सिंह---

क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि जिन जिलों में बैठकें नहीं हो पायी हैं, उनमें प्रयास तो किया गया लेकिन बैठक नहीं हुयी तो उस प्रयास का २१ जुलाई, १९६९ तक किसी जिले से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी अर्थात् किसी सिविल सर्जन ने लिखा था कि प्रयास किया जा रहा है या मंत्री जी अपनी ओर से कह रहे हैं?

श्री अनवार अहमद---

सही तौर पर तारीख वाइज मेरे पास सूचना नहीं है । लेकिन यह सही है कि प्रयास किया गया और एजेंडा भी घुमाया गया । अब कहीं कोरम पूरा नहीं हुआ, कहीं कुछ और कारण हो गये जिसकी वजह से मीटिंग नहीं हो पायी ।

(व्यवधान)

बहराइच जिले में अनक्वालीफाइड और अनरजिस्टर्ड डाक्टर

*३---श्री बासुदेव सिंह (जिला बहराइच)---

क्या सरकार को जानकारी है कि बहराइच में कितने ऐसे चिकित्सक एलोपैथी पद्धति से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं जो न रजिस्टर्ड ही हैं और न ही उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की कोई उपाधि ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही का विचार कर रही है ?

श्री अनवार अहमद---

जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी, बहराइच की सूचना के अनुसार ऐसे सात व्यक्तियों की, जोकि न तो रजिस्टर्ड ही हैं और न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उपाधि लिये हैं, चिकित्सा कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई है । इन शिकायतों पर रजिस्ट्रार यू० पी० मेडिकल काउंसिल, लखनऊ को उचित कार्यवाही के लिए लिख दिया गया है । इन व्यक्तियों का मामला रजिस्ट्रार, मेडिकल काउन्सिल ने जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, बहराइच को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है ।

श्री बासुदेव सिंह---

वह कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अनवार अहमद---

सर्वश्री रामनरेश सिंह, शिवपूजन सिंह, जगतनारायण, बदरुद्दीन सिद्दीकी वगैरह हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समस्या केवल बहराइच जिले की ही नहीं है, सारे प्रदेश की है, उसको देखते हुए क्या इसके रजिस्ट्रेशन को खोलने की कृपा करेंगे जिससे जिन लोगों को २०-२० साल का अनुभव है, वे अपने को रजिस्टर्ड करा लें ?

श्री अनवार अहमद---

यह केवल उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं बल्कि भारत सरकार का भी मत है कि ऐसे लोग जो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जायगा तो इससे बेकारी काफी बढ़ जायेगी । इसलिये पूरी चीज पर विचार करने पर भारत सरकार इस पर विचार करने जा रही है कि दुबारा रजिस्ट्रेशन क्या ऐसे लोगों के लिए खोला जाये, जो काफी तजुर्बेकार हैं?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बात का पता है कि इस प्रकार की उदारता बरतने के कारण ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और कम्पाउन्डर्स जिन्हें केवल ३-३ महीने काम करते हुये हैं, रजिस्ट्रेशन हासिल करके अपनी दुकान खोल लेते हैं और फिर अपने मरीजों का ऐसा इलाज करते हैं, ऐसी दवा देते हैं जिससे मरीज मर जाते हैं ? तो क्या इसको ख्याल में रखते हुए-इस रजिस्ट्रेशन पर विचार करते हुए ऐसे कायदे-कानून बनायेंगे जिससे केवल ढंग के आदमियों को ही रजिस्ट्रेशन मिल सके ?

श्री अनवार अहमद---

माननीय सदस्य की बात ठीक है। ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायगा जिनको अनुभव नहीं है, जो केवल ३ महीने से काम कर रहे हैं या जिनके इलाज से लोगों को नुक्सान हुआ है। ऐसे लोगों का ही रजिस्ट्रेशन किया जायेगा जिनके खिलाफ कोई शिकायतें नहीं हैं और जिन्हें काफी तजुर्बा है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे प्रदेश में ऐसे गलत लोग डाक्टरी कर रहे हैं और जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनको रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाने की योजना बनायेगी, जिससे ऐसे लोग जो मर रहे हैं उनके जान की रक्षा हो सके ?

श्री अनवार अहमद---

सरकार के सामने यह चीज है । समय-समय पर इस ओर प्रयत्न किया गया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पत्र प्राप्त हुआ है, उस में प्रांतीय सरकार से कहा गया है कि इस में जल्दी न की जाए, क्योंकि सरकार इस पूरी चीज पर जांच करने के बाद रजिस्ट्रेशन में सुविधायें देने का विचार कर रही है। इसके अलावा प्रांतीय सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और इस तरह के लोगों को यह मौका नहीं दिया जाएगा कि वे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करें ।

कैसरगंज तहसील में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भवन

*४---श्री वासुदेव सिंह---

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की तहसील कैसरगंज के लिए वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कितने भवन कहां-कहां बनने की मंजूरी हुई ? उसमें से कहां-कहां भवन बन गये तथा जहां नहीं बने उसके न बनने का क्या कारण है ?

श्री अनवार अहमद---

जिला बहराइच के तहसील कैसरगंज के लिए वित्तीय वर्ष १९६८-१९६९ में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भवन निर्माण हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गयी । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वासुदेव सिंह---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६८-६९ तक तहसील कैसरगंज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कितने भवनों की स्वीकृति दी गयी थी, कितने बने हैं और कितने शेष हैं ?

श्री अनवार अहमद---

इसके लिए सूचना प्राप्त करनी होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए सरकार की क्या नीति है, कहां-कहां बनेंगे ?

श्री अनवार अहमद---

जिस जगह पर सरकार आवश्यकता समझती है और पब्लिक की डिमांड होती है, उसकी छानबीन करने के बाद, जहां सरकार समझती है वहां बनाती है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यदि अब तक भवन बनाने की स्वीकृति नहीं हुई है तो कब तक विचार कर रहे हैं कि उस सेंटर पर भवन निर्माण किया जाय ?

श्री अनवार अहमद---

कोई निश्चित तिथि इस संबंध में नहीं दी जा सकती ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि किस आधार पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिलों में खोले जाते हैं, किस तरह से सूचना प्राप्त करते हैं कि कहां-कहां वे खोले जायं ?

श्री अनवार अहमद---

सरकार के महकमे के कर्मचारी देखभाल करते हैं, डी० डी०सी० का प्रस्ताव होता है । सारी छानबीन के बाद निर्णय लिया जाता है ।

श्री पारसनाथ सिंह---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उस जिले के विधायकों से भी राय मशविरा लेने की आवश्यकता समझी जाती है ?

श्री अनवार अहमद---

आवश्यक होने पर केवल विधायक महोदय से ही नहीं बल्कि जिससे जरूरत होती है राय ली जाती है। विधायकों से विशेषतया राय जरूर ली जाती है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के भवन बनाने के लिए क्या शर्तें हैं और जहां जमीन हैं वहां भवन बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अनवार अहमद---

इसके लिए सूचना मंगानी पड़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि देहाती क्षेत्रों में इस प्रकार के सेंटर्स की आवश्यकता है, तो किस आधार पर निर्णय लेंगे कि किस क्षेत्र में कितने सेंटर दिये जायं ?

श्री अनवार अहमद---

यह निर्णय पब्लिक की डिमांड, डी० डी० सी० का प्रस्ताव, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी देखभाल के बाद लिया जाता है। उसके बाद ही कुछ तय होता है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि बहराइच जिले से ऐसे कितने डी०डी०सी० के प्रस्ताव पास होकर आये हैं और उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री अनवार अहमद---

सूचना की आवश्यकता है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)---

श्रीमन्, क्या नेता विरोधी दल सदन में बैठकर सो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं शायद वह इस समय चिन्तन कर रहे हैं।

आनापुर चिकित्सालय में लेडी डाक्टर की नियुक्ति

*५---श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद जिले के आनापुर अस्पताल में महिला व पुरुष डाक्टरों की नियुक्ति अभी तक की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्ति करने का विचार है ?

श्री अनवार अहमद---

आनापुर, जिला इलाहाबाद के राजकीय महिला अस्पताल में महिला डाक्टर की नियुक्ति के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

उक्त स्थान पर पुरुष अस्पताल जिला परिषद् का है। डाक्टर की नियुक्ति जिला परिषद् को करनी है।

श्री रामपूजन पटेल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश कब जारी किया गया और कब तक वहां पर महिला डाक्टर की नियुक्ति हो जायगी ?

श्री अनवार अहमद---

१६ फरवरी, १९७० को यह आदेश जारी कर दिया गया था।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इस वक्त डाक्टर मौजूद नहीं हैं ?

श्री अनवार अहमद---

इसके लिये सूचना का आवश्यकता होगी।

श्री धर्मवीर---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सिरसा, तहसील मेजा में एक डाक्टर की नियुक्ति का प्रश्न था, तो क्या वहां पर डाक्टर की नियुक्ति हो गई है ?

श्री अनवार अहमद---

यह नया प्रश्न है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामपूजन पटेल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि आनापुर अस्पताल में कितने दिनों से महिला डाक्टर नहीं थी और क्यों ?

श्री अनवार अहमद---

३ सितम्बर, १९६८ से उस अस्पताल में लेडी डाक्टर नहीं थी । इसका कारण यह है कि महिला डाक्टर बहुत कम हैं । बहुत से ऐसे अस्पताल रह जाते हैं जहां पर सरकार चाहती है कि लेडी डाक्टर भेजी जाय लेकिन मजबूरी के कारण भेज नहीं पाती है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पुरुष अस्पताल में कब से डाक्टर नहीं है और क्यों ?

श्री अनवार अहमद---

पहली सितम्बर, १९६८ से वहां डाक्टर नहीं है । यह अस्पताल जिला परिषद् का है । इस अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति की जिम्मेदारी केवल जिला परिषद् के ऊपर है । इसलिये इस सरकार की इस संबंध में मजबरी है । अब उनको आदेश दे दिया गया है ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पूरे प्रदेश में जहां पर महिला डाक्टर या पुरुष डाक्टर नहीं है वहां पर दूसरे प्रदेश से डाक्टर मंगा कर प्रबन्ध करे ?

श्री अनवार अहमद---

यह प्रश्न सरकार के जेरेगौर है। सरकार चाहती है कि जितना मुमकिन हो सके इन तमाम महिला अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति की जाय ।

श्री कल्यान सिंह---

जब अपने प्रदेश में महिला डाक्टरों की कमी है और पुरुष डाक्टरों की भी कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार कुछ और नये मेडिकल कालेज प्रान्त में खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अनवार अहमद---

यह पूरा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस संबंध में जितना भी विचार हो सकता है उसके हर पहलू पर विचार किया जा रहा है । सरकार के सामने यह समस्या है और वह इसको हल करने की कोशिश में है ।

सहकारिता विभाग, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*६---श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब वे प्रतापगढ़ दिनांक ५ अप्रैल, १९६९ ई० को पधारे थे तो एक विधायक ने सहकारिता विभाग, प्रतापगढ़ में फैले हुये व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)--

जी हां, भूतपूर्व सहकारिता मंत्री को एक विधायक ने एक गुमनाम लिखित रिपोर्ट सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, प्रतापगढ़ श्री अनूप सिंह बाना के खिलाफ कुछ शिकायतों के संबंध में दी थी । उन शिकायतों पर उप निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद द्वारा जांच कराई गई । जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि श्री बाना के खिलाफ लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके ।

कुछ समितियों में जहां गबन के सन्देह हैं उनके मामले पुलिस को जांच के लिये दे दिये गये हैं । दोषी पाये गये चार सुपरवाइजरों की नौकरी समाप्त कर दी गई है ।

श्री चिरंजीलाल--

माननीय मंत्री बतलायेंगे कि खास-खास शिकायतें क्या हैं ?

श्री धर्म सिंह--

शिकायतें तो बहुत हैं लेकिन मकान, जीप के प्रयोग तथा परसेंटेज इत्यादि ले लेते हैं इस पर बहुत सी शिकायतें हैं ।

श्री कल्यानसिंह--

जिन विधायक महोदय ने यह लिखित शिकायत की थी तो जांच के वक्त क्या जांचकर्ता अधिकारी ने उन्हें भी साथ रखा था ?

श्री धर्मसिंह--

विधायक ने शिकायत नहीं की थी। एक गुमनाम पत्र एक विधायक ने अपने नोट के साथ भेजा था। उसकी जांच पुलिस को दे दी गयी है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

जिन सुपरवाइजरों को निकाल दिया गया है उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप साबित हुये हैं ?

श्री धर्म सिंह--

थोड़ा बहुत गबन और इर्रेगुलेरीटीज की शिकायत थी इसलिये उन्हें निकाल दिया गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

उनके विरुद्ध क्या क्या शिकायतें साबित हुई हैं ? गबन की धनराशि कितनी थी और किन किन समितियों की थीं ?

श्री धर्म सिंह--

चार समितियां थीं, भदरी में १५ हजार, पनिगी संघ में १० हजार, इब्राहीमपुर में ३५ हजार तथा नामदेवपुर में २० हजार के गबन की शिकायत प्रार्थना-पत्र में थी। बहुत सी शिकायतें उनमें असत्य पाई गयीं। जैसा मैंने निवेदन किया कि यह सब मामला पूरे तरीके से जांच के लिये पुलिस को दे दिया गया है।

श्री हिम्मत सिंह--

जब यह गुमनाम पत्र है और एक विधायक ने उसे अपने नोट के साथ नत्थी किया है तो उसमें इतनी गम्भीर बातें होने के बावजूद जो विधायक थे उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया ? एस० पी० महोदय को किन तारीखों में यह मामला भेजा गया है और उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह--

जहां तक एस० पी० को भेजने का सम्बन्ध है उसकी तिथि मेरे पास नहीं है क्योंकि मामला नजदीक का है और निकट भविष्य में भेजा गया है।

*७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

आजमगढ़ जिले में सहकारी निरीक्षकों का बकाया वेतन

*८—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री बनारसी (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के सहकारी निरीक्षकों एवं ए० डी० ओ० सहकारिता का गत कई वर्षों से वेतन एवं यात्रा भत्ता बकाया है? यदि हां, तो क्यों और सरकार कब तक उसका भुगतान करेगी?

श्री धर्म सिंह—

जी हां, आजमगढ़ जनपद के चार निरीक्षकों का पुराना अवकाश वेतन उनकी छुट्टी के आदेशों के अभाव के कारण बकाया है। इसके अतिरिक्त ६ सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का नवम्बर, १९६७ से जनवरी, १९६८ की अवधि का वेतन इसलिये बकाया है कि इस अवधि के लिए इन पदों की स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

यात्रा भत्ता के बकाया के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) यात्रा भत्ता बिलों का देर से प्रस्तुत किया जाना।

(२) सम्बन्धित वर्षों में यात्रा भत्ता की मद में पर्याप्त प्राविधान का न होना।

सब भुगतान यथाशीघ्र कर दिये जायंगे।

श्री श्यामलाल—

क्या सहकारिता मंत्री बतलायेंगे कि चार निरीक्षकों का बकाया वेतन किस अवधि का है?

श्री धर्मसिंह—

जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है वह नवम्बर, ६७ से लेकर जनवरी, ६८ का है?

श्री श्यामलाल—

उत्तर में यह दिया हुआ है कि यह सहायक विकास अधिकारियों का है, निरीक्षकों का नहीं है?

श्री धर्मसिंह—

जहां तक निरीक्षकों का सम्बन्ध है यह मार्च, ६७ का है और इसमें थोड़ा सा हिस्सा ६८—६९ का भी है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों को ३/४ साल हो गये, उनका वेतन और भत्ता बाकी है, वह कितने दिनों में मिल जायेगा और इसके लिये वे क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री धर्म सिंह—

इस प्रदेश में ए० डी० ओज० की नौकरियां समाप्त हुई थीं, इसलिये २/३ महीने गड़बड़ी हुई है। लेकिन हम सेंक्शन ले रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है और इस मामले में शीघ्रता की जायेगी।

[१० मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२—श्री सजीवन लाल—

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ६०—६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३–४—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[माननीय सदस्य का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

रूसी ट्रैक्टर्स

*५—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने रशियन ट्रैक्टर ३१ मार्च, सन् १९७० तक मंगानें का सरकारी लक्ष्य है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम ने उत्तर प्रदेश के लिये ३१ मार्च, १९७० तक ५,६०० रशियन ट्रैक्टर्स मंगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मार्च आ गया है, कितने ट्रैक्टर आ गये हैं और कितने आने की सम्भावना है ?

श्री शिवराज सिंह—

इस समय तक टी० टी० १४, ७५३ आ गये हैं और वानेरस ३५ आ गये हैं और शेष टी० टी० १४, ४७ के आने की संभावना है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी किसानों की ट्रैक्टर के लिये अधिक मांग को देखते हुये इनकी तादाद बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि प्रदेश में ट्रैक्टर्स की मांग कहीं ज्यादा है और केन्द्रीय सरकार से एलाटमेंट कम हुआ है इसलिये निगम की ओर से विशेष सचिव को बुला कर मांग के संबंध में अवगत करा दिया गया है और कहा गया है कि अधिक देने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र विकल—

विशेष सचिव को अवगत करा दिया गया है तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है या नहीं

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, वह इतना ही कह गये हैं कि वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रैक्टरों की मांग के साथ-साथ वे स्पेअर पार्ट्स के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, स्पेअर पार्ट्स के लिये भी निगम की योजना है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये वर्ल्ड बैंक के अधीन यह कारपोरेशन है जो नई नई चीजें बनाई जा रही है जिसमें फीडर की कमी की जा रही है और गल्ला बढ़ाया जा रहा है। उससे मदद

[श्री रियासत हुसैन]

लेकर प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने के लिये किसी यूनिट के कायम करने के लिये विचार करेंगे और उनसे बातचीत करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

माननीय सदस्य यह सुझाव लिख कर भेज देंगे तो अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री राजितराम पांडय (जिला इलाहाबाद)---

आप रूस से ट्रैक्टर क्यों मंगा रहे हैं अपने प्रदेश में ही क्यों नहीं बनवाते हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं । मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर्स असेम्बिल होने शुरू हो गये हैं और हमारे यहां भी असेम्बिल किये जा रहे हैं ।

श्री नौनिहाल सिंह---

क्या मंत्री जी बतायगे कि उनके वितरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, वितरण का आधार प्रथम आया प्रथम पाया है ।

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, मुझे ज्ञात हुआ है कि ६९ में जो रशियन ट्रैक्टर्स आये थे उनमें से इलाहाबाद जिले के लिये केवल ३ मिल थ तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह एलाटमेंट जो किया जाता है वह निगम द्वारा किया जाता है या सरकार द्वारा किया जाता है और क्या सरकार का उसके ऊपर कुछ हाथ है ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, यह निगम एक आटोनामस बाडी है, इसके कार्य करने में सरकार का कोई दखल नहीं है ।

श्री धर्मवीर---

क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में ऐसा प्रयास करेंगे कि जिन जिलों में सूखा आदि कारणों से अकाल की स्थिति रहती है, क्या उन जिलों को प्रायोरिटी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

मैं आपके सुझाव को एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के पास भेज दूंगा लेकिन उसमें अन्तिम फैसला कारपोरेशन के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को ही लेना पड़ेगा ।

श्री रामकरन---

क्या कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछला जो ट्रैक्टरों के वितरण का उनका अनुभव है, उसके आधार पर जो इलाके पिछड़े हुए माने जाते हैं उनके लिये अलग से व्यवस्था करके ट्रैक्टर बटवाने की व्यवस्था क्या सरकार के विचाराधीन है, क्या सरकार एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन को यह सुझाव भेजने की कृपा करेगी ?

श्री शिवराज सिंह---

ट्रैक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये निश्चित नियमों के अनुसार 'प्रथम आये पहले पाये' के आधार पर दिये जाते हैं । माननीय सदस्य के सुझाव को उनके पास भेज दिया जायगा । लेकिन इस पर भी अन्तिम फैसला डायरेक्टर्स को ही लेना होगा ।

श्री दीपनारायण मणि---

क्या शासन की तरफ स ऐसे कोई आदेश जायेंगे कि रीजनवाइज ट्रैक्टर्स का वितरण किया जाय, क्योंकि कुछ रीजन्स को तो बहुत मिल जाते हैं और कुछ को बहुत कम मिलते हैं? इसलिये क्या मंत्री जी रीजन वाइज बटवारे के लिये कारपोरेशन को कोई आदेश भेजेंगे?

श्री शिवराज सिंह---

प्रदेश के विभिन्न रीजन्स में इक्विटेबिल वितरण हो इसका ध्यान कारपोरेशन रखता है।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी रशियन ट्रैक्टर्स और दूसरे प्रकार के ट्रैक्टर्स के मरम्मत की व्यवस्था करने के लिये टैक्निकल पर्सोनेल का इन्तजाम करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

इस प्रकार की व्यवस्था है तथा इस व्यवस्था को और बढ़ाने का भी विचार है।

श्री हिम्मत सिंह---

कमिश्नरी वाइज या क्षेत्रवाइज ट्रैक्टरों को देते समय क्या वहां की जनता की मांग का भी खयाल किया जायगा और जहां की जनता की अधिक मांग है वहां अधिक दिया जायगा ?

श्री शिवराज सिंह---

विभिन्न जिलों और रीजन्स को ट्रैक्टर्स की संख्या नियत करते समय वहां से प्राप्त हुई दरख्वास्तों के आधार पर ही बटवारा किया जाता है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

रशियन ट्रैक्टर्स पहले गाजियाबाद की एक कम्पनी द्वारा वितरित किये जाते थे तो क्या उस कंपनी ने कारपोरेशन को कोई लिस्ट भेज दी है और क्या मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि उस लिस्ट के अनुसार ट्रैक्टर दिये गये हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री धर्मवीर---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन एक आटोनामस बाडी है और किसी विषय में वहां का बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ही निर्णय लेता है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में सरकार के जितने विभाग हैं उन सभी के सचिव उसके सदस्य हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

उसके कान्स्टीटचूशन के बारे में मुझे इस समय मालूम नहीं है। वह मेरे सामने नहीं है। इसलिये उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*६-७---श्री इन्द्रलाल---

[५वें बुधवार के प्र० सं० १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८-९---श्री जयराम यादव---

[३रे सोमवार के प्र० सं० २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[४थे गुरुवार के प्र० सं० ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११-१२--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[२रे सोमवार के ३० सं० ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खाद्यान्नों का उत्पादन

*१३--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि फसली वर्ष १३७६ के मुकाबले में खाद्यान्नों का उत्पादन १३७७ फसली में घटा है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री शिवराज सिंह---

फसली वर्ष १३७७, १ जुलाई, १९६९ से आरम्भ हुआ है। इसलिये इस वर्ष के खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि १३७६ फसली के मुकाबले में १३७७ फसली में उत्पादन कम होगा या अधिक। उत्पादन कितना हुआ है इसकी सूचना नहीं आई है।

श्री मंजूर अहमद---

जो जवाब दिया गया है वह मैंने जो पूछा है उसके बरअक्स है। कहते हैं कि मेरे पास इसका जवाब नहीं आया है।

श्री शिवराज सिंह---

उत्तर में स्पष्ट है कि १३७७ रबी फसली की जो पैदावार है उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं इसलिये दोनों वर्षों की तुलना नहीं कर सकता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

१३७६ और १३७७ की खरीफ की फसलों में कितना अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष---

क्या कहा है ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

मंत्री जी ने कहा है कि रबी की सूचना नहीं आई है तो खरीफ की आ गई होगी। १३७६ और १३७७ का अन्तर बतला दें।

श्री शिवराज सिंह---

१३७६ फसली की खरीफ की पैदावार बढ़ी है। १३७६ फसली की खरीफ की पैदावार का टोटल ५,६५१ हजार टन है और १३७७ फसली खरीफ की पैदावार का टोटल ६,४९५ हजार टन है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

१३७६ फसली का जो खरीफ का एकरेज है वह बढ़ा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आंकड़े तो बतला दिये हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैं पैदावार के सम्बन्ध में नहीं पूछ रहा हूं। क्या खरीफ अधिक भूमि पर बोई गई यह पूछ रहा हूं?

श्री शिवराज सिंह---

मेरे सामने जो आंकड़े हैं उनके अनुसार १३७६ फसली खरीफ और १३७७ फसली खरीफ के आंकड़े एक ही ६,५४२ हजार हेक्टेअर हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, इस सदन में प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं। मेरे प्रश्न ८८ का उत्तर न तो लिखित दिया गया है और न सदन में मिला है। यह अव्यवस्था चल रही है। इसको आप कृपा कर देख लें।

श्री अध्यक्ष---

इसको लिख कर भेज दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय---

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष---

अभी समाप्त नहीं हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उत्पादन बढ़ाने के लिये वह कोई तेज कदम उठायेंगे?

श्री शिवराज सिंह---

माननीय सदस्य मेरा जो-जो आगामी साल का बजट है उसे देखने की कृपा करें।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक वैधानिक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है, उसको सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

*१४---श्री मंजूर अहमद तथा श्री रामधारी शास्त्री---

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि यंत्रों की सप्लाई

*१५---श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त विकास क्षेत्रों को वर्ष १९६५ से १९६८ के बीच ४९,५२९ रुपये की कृषि यन्त्रों की किन-किन फर्मों से सप्लाई की गई है? क्या इसका टेंडर लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त फर्में रजिस्टर्ड हैं? यदि रजिस्टर्ड नहीं हैं तो क्यों सप्लाई लिया गया?

नोट:---तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवराज सिंह--

१९६४-६५ से १९६७-६८ की अवधि में जिन फर्मों ने कृषि यंत्रों की सप्लाई की उनके नाम संलग्न तालिका में दिये हैं।

रु० १९,७३१.६५ पैसे के कृषि यंत्र टेंडर के बाद, रु० ३,९३५.५० पैसे के कृषि यंत्र राजकीय कृषि यंत्र वर्कशाप, लखनऊ से जिसके लिये टेंडर की आवश्यकता नहीं थी तथा रु० २५,८६२.६५ पै० के कृषि यंत्र बिना टेंडर के खरीदे गये।

वगैर टेंडर लिये गये कृषि यंत्रों का जो क्रय किया गया है वह अनियमित था।

१२ फर्मों में से उद्योग निदेशक के यहां ३ रजिस्टर्ड थीं। ८ रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाएं थीं तथा १ राजकीय कृषि वर्कशाप था। इस प्रकार किसी गैर रजिस्टर्ड फर्म ने सप्लाई नहीं किया।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १००० पर)

*१६--श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उक्त कृषि यंत्रों का क्रय एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन द्वारा क्यों नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त फर्मों के विरुद्ध जांच करायेगी ?

श्री शिवराज सिंह---

उपरोक्त क्रय वर्ष १९६४-६५ एवं १९६५-६६ में ही किया गया। उक्त अवधि में एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन नहीं था। उक्त कारपोरेशन ने जनवरी, १९६८ से अपना कार्य प्रारंभ किया। इस आधार पर किसी फर्म के विरुद्ध जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*१७--श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*१८-१९--श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय---

[प्रश्नकर्त्ता सदस्यों द्वारा वापस ले लिये गये।]

*२०--श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में विधायक के पीटे जाने की शिकायत

*२१--श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार को यह पता है कि १८ सितम्बर, १९६९ को जिलापूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में कार्यालय के कर्मचारियों ने एक विधायक को पीटा ? यदि हां, तो घटना क्या है तथा उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

खाद्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

यह पूर्णतया असत्य है कि १८ सितम्बर, १९६९ को जिला पूर्ति कार्यालय में जिला पूर्ति कार्यालय के किसी कर्मचारी ने किसी विधायक को पीटा। अतः इस संबंध में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, मेरठ द्वारा ट्रैक्टरों का वितरण

*२२---श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा एक जनवरी, १९६८ से ३१ अगस्त, १९६९ तक की अवधि में कितने ट्रैक्टर दिये गये ? क्या पहले मंजूर हुए उनको ट्रैक्टर नहीं दिये गये और बाद में प्रार्थना-पत्र देने वालों को ट्रैक्टर मिल चुके हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

जिला मेरठ में एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा १ जनवरी, १९६८ से ३१ अगस्त, १९६९ तक की अविधि मे ९७ ट्रैक्टर दिये गये हैं। ट्रैक्टर का आवंटन प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर किया गया और आवंटन के बाद आवश्यक कार्यवाही पूरी होने पर किसान को ट्रैक्टर दिया गया ।

*२३---श्री रामदेव---

[२रे सोमवार के प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२४---श्री शिव कैलाश तथा श्री हरिवंश सहाय---

[२रे बुधवार के प्रश्न संख्या ९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़वाल मन्डल में फल पट्टियां

*२५---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९-७० में गढ़वाल मण्डल में जो तीन फल पट्टियां स्थापित की जायेंगी वे कब और किन स्थानों पर होंगी ?

श्री शिवराज सिंह---

वर्ष १९६९-७० में गढ़वाल मण्डल में प्रस्तावित तीन फल पट्टियों में से निम्नलिखित दो पट्टियों में वर्ष के अन्त तक कार्य प्रारंभ करने का विचार है :---

जिला		फल पट्टी
१---पौढ़ी-गढ़वाल	..	नौठा-भरसार-गगनोखाल
२---टिहरी-गढ़वाल	..	चम्बागजा

*२६-२७---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[११वें बुधवार के प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२८---[२रे शुक्रवार के प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ द्वारा दिये जाने वाले ट्रैक्टर

*२९---श्री नौनिहाल सिंह---

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राज्य औद्योगिक निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जो कृषि यंत्र ट्रैक्टरों के साथ कृषकों को दिये जाते हैं उनका मूल्य बाजार भाव से कहीं अधिक है ?

श्री शिवराज सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लखनऊ द्वारा कृषकों को ट्रैक्टरों के साथ दिये जाने वाले कृषि यंत्रों का मूल्य बाजार भाव से अधिक नहीं है ।

*३०--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य औद्योगिक निगम, उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर लेने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर के साथ में कोई यंत्र लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवराज सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम से ट्रैक्टर लेने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर के साथ में कोई यंत्र लेना आवश्यक नहीं है ।

*३१--श्री कृष्ण स्वरूप--

[५वें बुधवार के प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३२--श्री कृष्ण स्वरूप--

[५वें बुधवार के प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३३-३४--श्री बांकेलाल--

[३रे बुधवार के प्रश्न संख्या ४५-४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३५-३६--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

[२रे बुधवार के प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३७--श्री लालसा--

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३८-३९--श्री शिवमहेन्द्र सिंह--

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ६३-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४०-४१--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रि मण्डल में समावेश के कारण अपास्त]

*४२-४३--श्री रियासत हुसैन--

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ६५-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४४--श्री त्रिवेणी सहाय--

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४५-४६--श्री राजितराम पांडेय--

[३रे सोमवार के प्रश्न संख्या ९१-९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४७--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

[२रे सोमवार के प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४८--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[६ठे गुरुवार के प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४९–५०—श्री सुखपाल पांडेय—

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ६८–६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५१–५२—श्रीमती मसाली देवी—

[३रे बुधवार के प्रश्न संख्या ४२–४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५३–५४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[४थे बुधवार के प्रश्न संख्या २४–२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५५—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[३रे बुधवार के प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५६—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[२रे बुधवार के प्रश्न संख्या ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५७—श्री उमानाथ—

[२रे बुधवार के प्रश्न संख्या ९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५८–५९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[४थे बुधवार के प्रश्न संख्या २६–२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ पैकेज योजनान्तर्गत कृषि-यंत्रों की खरीद

*६०—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगढ़ पैकेज योजना के अन्तर्गत फरवरी सन् ६४ में खरीदे गये कृषि यंत्रों में से ९५ प्रतिशत इस समय ब्लाकों में टूट-फूट के कारण बेकार पड़े हुए हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

अलीगढ़ पैकेज योजना के अन्तर्गत फरवरी, ६४ में कोई यंत्र नहीं खरीदे गये किन्तु १९६२–६३ में कुल ८,५९९ कृषि यंत्र खरीदे गये जिसमें से अनुमानित तीस प्रतिशत कार्य योग्य नहीं हैं ।

*६१—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार इन कृषि यंत्रों की मरम्मत कराकर पुनः काम करने योग्य बनाने का विचार कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

यंत्रों की मरम्मत का कार्य अलीगढ़ स्थित वर्कशाप की क्षमता के अनुसार किया जा रहा है।

मुगलसराय सेनेटरी इन्सपेक्टर द्वारा चलाये गये मुकदमे

*६२—श्री राम लखन (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६६, १९६७ तथा १९६८ में मुगलसराय के सेनेटरी इन्स्पेक्टर ने दूकानदारों के विरुद्ध कितने मुकद्दमे कोर्ट में भेजे तथा कितनी में दूकानदारों के विरुद्ध फसले हुए तथा कितने निर्दोष छोड़ दिये गये ?

श्री अनवार अहमद—

सन् १९६६ में मुगलसराय के सेनिटरी इंस्पेक्टर न १९ मुकदमे दुकानदारों के विरुद्ध न्यायालय में भेजे जिनमें से ११ दुकानदारों के विरुद्ध फैसले हुये और ८ रिहा कर दिये गये। सन् १९६७ तथा १९६८ में कोई भी मुकदमा न्यायालय में नहीं भेजा गया।

सिविल सर्जन, मुजफ्फरनगर के लिये भवन

*६३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि किस-किस जिले में सिविल सर्जनों के लिये सरकारी भवन बनाये गये हैं ?

श्री अनवार अहमद—

छब्बीस (२६) जिलों में सिविल सर्जनों के लिये सरकारी भवन बनाये गये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी ख आगे पृष्ठ १००१ पर)।

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मुजफ्फनगर के सिविल सर्जन के लिये, जिसका मकान किन शर्तों पर कितने दिनों के लिये रिक्यूजीशन किया गया है और क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

सिविल सर्जन, मुजफ्फरनगर के लिये कोई अन्य उपयुक्त मकान उपलब्ध न होने के कारण जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर ने यू० पी० (टेम्पोरेरी) अकामोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ जैसा आज तक संशोधित हो चुका है, के नियम ३ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री दिग्विजयसिंह गोयल और श्री केशव गोयल, पुत्र श्री श्यामलाल का मकान "श्याम भवन" जो जनसठ रोड, मुजफ्फरनगर पर स्थित है दिनांक १३ मई, १९६६ को रिक्यूजीशन किया है। इस मकान को किसी खास शर्तों पर या किसी निर्धारित समय के लिये रिक्यूजीशन नहीं किया गया है।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स

*६५—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री दिनांक ३० अगस्त, १९६९ के अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ८ के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० के ६ महीने अर्थात् २ १/२ वर्ष बीत जाने पर भी फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक साज-सज्जा न खरीदे जाने के क्या कारण हैं और क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री अनवार अहमद—

वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ में साज-सज्जा क्रय करने की स्वीकृति मार्च के महीने में दी गई थी, परन्तु समयाभाव के कारण खरीद न की जा सकी। निदेशक से प्राप्त प्रस्ताव में छान-बीन के पश्चात् कुछ कमियां पाई गईं और उनके निवारण में समय लगा। मंजूरी तीसरी बार सितम्बर, १९६९ में दी गई।

*६६—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स को चलाने हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है ? यदि हां, तो जो साज-सज्जा न खरीदने के कारण रुपया लेप्स हो गया है, उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। केन्द्रीय सहायता के लैप्स होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि साज-सज्जा की खरीद की गई और उस पर केन्द्रीय सहायता मिलेगी।

विधान भवन डिस्पेंसरी

*६७—श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान भवन में कोई दवाखाना सरकारी कर्मचारियों एवं उनके बाल-बच्चों के इलाज के लिये खोला गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त दवाखाने में कई महीनों से दवायें उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री अनवार अहमद—

विधान भवन में सचिवालय के कर्मचारियों के लिये एक डिस्पेंसरी है। यह सत्य नहीं है कि इस डिस्पेंसरी में कई महीनों से दवायें उपलब्ध नहीं हैं।

ऐण्टी डिपथीरिया सीरम

*६८—श्री रामगोपाल सन्ड—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश में १ अप्रैल से २० सितम्बर, १९६९ के बीच डिपथीरिया के रोग से कितनी मृत्यु हुई ? क्या इसका कारण एण्टी-डिपथीरिया सीरम नामक दवा की कमी थी ? यदि हां, तो इस प्रकार की मृत्यु रोकने के लिये सरकार कौन-कौन से पग उठा रही है ?

श्री अनवार अहमद—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में १ अप्रैल से २० सितम्बर, १९६९ तक डिपथीरिया रोग से १९४ व्यक्ति ग्रसित हुए और ९ की मृत्यु हुई। एन्टी-डिपथीरिया सीरम की कमी के कारण कोई मृत्यु हुई है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे रोगी जिन्हें एन्टी-डिपथीरिया सीरम दिया गया था उनकी मृत्यु हो गई और कुछ रोगी जिन्हें यह सीरम नहीं दिया गया था वे अच्छे हो गये।

एन्टी-डिपथीरिया सीरम की पहले प्रदेश में कमी थी लेकिन अब यह उपलब्ध कर लिया गया है।

राबर्ट्सगंज अस्पताल के डाक्टर का स्थानान्तरण रोकना

*६९—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में सरकारी अस्पताल राबर्टसगंज के डा० लक्ष्मण सिंह के स्थानान्तरण कर दिये जाने तथा नये डाक्टर द्वारा चार्ज के लिये जाने पर फिर इनका स्थानान्तरण क्यों कैंसिल कर दिया गया ?

श्री अनवार अहमद—

डा० लक्ष्मण सिंह ने अपने लड़के की शिक्षा तथा घरेलू मामलों के कारण स्थानान्तरण के आदेश एक वर्ष के लिये रोकने की प्रार्थना की थी। उनके लड़के की शिक्षा को ध्यान में रखते हुये उनका स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया था।

महिला अस्पताल, सिकन्दराराऊ में लेडी डाक्टर न होना

*७०—श्री जगदीश गांधी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ स्थित सरकारी जनाने अस्पताल में सन् १९६५ से सितम्बर, सन् १९६९ तक किसी भी लेडी डाक्टर की व्यवस्था नहीं की गई तथा वहां कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

श्री अनवार अहमद---

महिला अस्पताल, सिकन्दाराराव, जिला अलीगढ़ में दिनांक ८ जुलाई, १९६४ से चिकित्सा अधिकारी नहीं है तथा वहां शीघ्र एक योग्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने के आदेश २६ फरवरी, १९७० को दे दिये गये हैं।

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के स्टोर से दवाओं की चोरी

*७१---श्री रामगोपाल सन्ड---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इलाहाबाद मेडिकल कालेज के स्टोर से बड़ी मात्रा में दवाओं की चोरी की सूचना मिली ? यदि हां, तो गत १५ सितम्बर, १९६९ को जो सरकारी दवायें इलाहाबाद के एक दूकानदार के यहां पकड़ी गई थीं उस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अनवार अहमद---

दवाओं की चोरी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के स्टोर से नहीं बल्कि स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के स्टोर से ८ सितम्बर, १९६९ को हुई थी, जिसमें कथित चोर को रंगे हाथों पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था।

विगत १५ सितम्बर, १९६९ को संदेह में एक स्थानीय केमिस्ट की दूकान की तलाशी पुलिस द्वारा लेने पर कुछ दवाइयां बरामद की गयी थीं।

उपर्युक्त दोनों मामलों में इलाहाबाद की पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

परिवार नियोजन ब्यूरो, गोरखपुर में मिडवाइफें तथा दाइयां

*७२---श्रीमती प्यारी देवीगुप्ता (जिला गोरखपुर) तथा श्री वीर बहादुर सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के हर ब्लाकों में कितनी-कितनी मिडवाइफ शिशु कल्याण धात्री नियुक्त हैं ?

श्री अनवार अहमद---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १००२ पर)।

धानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डाक्टर न होना

*७३---श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता तथा श्री वीरबहादुर सिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के धानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कितने वर्षों से डाक्टर नहीं है तथा इस सेंटर को १९६४-६५, १९६५-६६, १९६६-६७ तथा १९६७-६८ में प्रति वर्ष दवा के लिये कितने रुपये की सरकार ने ग्रांट दिया है ?

श्री अनवार अहमद---

प्रारम्भ से ही डाक्टर नहीं है किन्तु १९ जनवरी, १९७० से एक डाक्टर तैनात कर दिया गया है। इस केन्द्र में दवाओं पर १९६४-६५ में शून्य, १९६५-६६ में रु० २,४८९.८३ पैसा, १९६६-६७ में रु० २,३८५.६७ पैसे तथा १९६७-६८ में रु० ६३९.९९ पैसे व्यय किये।

*७४---श्री जगन्नाथ खन्ना---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

स्वास्थ्य अधिकारी, मेनपुरी द्वारा भेजे गये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिये नाम

*७५---श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या स्वास्थ्य विभाग में लेबोरेटरी टैक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति के लिये स्वास्थ्य निदेशालय ने जुलाई-अगस्त, १९६९ में जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से कोई नाम मांगे थे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद---

उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक (मलेरिया विज्ञान) द्वारा केवल ४३ जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से (जहां मलेरिया संधारण अवस्था है) दो प्रारम्भिक कार्यकर्त्ताओं के नाम दिनांक ३० अगस्त १९६९ तक मांगे गये थे जिससे कि उनको लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों के लिये विचार करके एक सामिका बनाई जा सके ।

*७६---श्री सूबेदार सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मैनपुरी ने कोई नाम भेजे हैं ?

श्री अनवार अहमद---

जी हां ।

सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा जौनपुर जिलों में नसबन्दी

*७७---श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा जौनपुर के परिवार नियोजन के स्वास्थ्य सहायकों ने दिनांक १ अप्रैल, १९६९ से ३१ जुलाई, १९६९ तक अपने क्षेत्रों में कितने-कितने लोगों की नसबन्दी कराई है और उसमें क्षेत्र के बाहर के लोग कितने हैं ?

श्री अनवार अहमद---

१ अप्रैल, १९६९ से ३१ जुलाई, १९६९ तक सहारनपुर में स्वास्थ्य सहायकों ने ३३ पुरुषों और १२ महिलाओं की नसबन्दी कराई । उनमें से १४ पुरुष और ९ महिलायें क्षेत्र के बाहर की थीं ।

मुरादाबाद में १०१ पुरुषों की नसबन्दी कराई गई जिनमें ९ पुरुष क्षेत्र के बाहर के थे ।

बरेली में १९ पुरुषों की नसबन्दी कराई गई । यह सभी क्षेत्र के अन्दर के थे ।

जौनपुर में ६९ पुरुषों की नसबन्दी कराई गई । यह सभी क्षेत्र के अन्दर के थे ।

परिगणित जातीय स्वास्थ्य निरीक्षक

*७८---श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९ में स्वास्थ्य निरीक्षकों के कितने स्थानों का चुनाव हुआ है तथा उसमें से कितने परिगणित जाति के लोगों को लिया गया है ?

श्री अनवार अहमद---

सन् १९६९ में कुल २१५ स्वास्थ्य निरीक्षकों का चुनाव किया गया तथा उसमें १३ परिगणित जाति के अभ्यर्थियों को चुना गया ।

*७९--- श्री रामप्रसाद---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री चुने गये उम्मीदवारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद---

वांछित सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १००३-१००६ पर) ।

सदस्यों पर कमरा तथा बिजली का बकाया

*८०---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन ६७ के जनरल एलेक्शन तथा सन ६९ के मध्यावधि चुनाव में जो सदस्य चुन कर आये उनमें से किन-किन पर कमरे तथा बिजली का किराया बकाया है और उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्म सिंह---

कमरों के बकाया किराये की सूची मेज पर रख दी गयी है । वसूली मालगुजारी के बकाये की भांति की जा रही है । बिजली का बकाया माननीय सदस्यों से लिया जाय या नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १००७-१००९ पर) ।

रायल होटल, लखनऊ को सदस्यों का आवास गृह बनाने पर व्यय

*८१---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सदस्यों को आवास गृह उपलब्ध करने के लिए रायल होटल, लखनऊ की पुरानी इमारत को रिनवेट करने के सम्बन्ध में सरकार ने इमारत, बिजली, सेनिटेशन, सड़क आदि के सम्बन्ध में अलग-अलग कितना रुपया खर्च किया ?

श्री धर्म सिंह---

विधान मण्डल के सदस्यों के आवास के लिए रायल होटल के पुराने भवन के ३६ कमरों को सुधारने के कार्य में शासन द्वारा निम्नलिखित व्यय किया गया है :---

	रु०
१---भवन की मरम्मत	८६,६००
२---बिजली फिटिंग	५,६००
३---सेनिटेशन पानी आदि	१८,०००
४---सड़क	२,०००
५---फर्नीचर, साज सज्जा	३६,८८९

राज्य सम्पत्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*८२---श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विधायक निवासों में काम करते हैं क्या उनकी कोई सेवा नियमावली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो उक्त नियमावली कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

श्री धर्म सिंह—

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विधायक निवासों तथा अन्य गृहों के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी कोई नियम नहीं बने हैं परन्तु इस सम्बन्ध में शासकीय आदेश जारी किये गये हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०१०–१०१२ पर) ।

*८३—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य संपत्ति विभाग क अधीन काम करने वाले कर्मचारियों जो कि विधायक आवासों में काम करते हैं को साप्ताहिक अवकाश तथा वर्दी देने के क्या नियम हैं तथा उक्त श्रेणी के वह कर्मचारी जो कि विधायक आवास के बाहर काम करते हैं उन्हें वर्दी तथा अवकाश देने का क्या नियम है ?

श्री धर्म सिंह—

विधायक निवासों में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मास में एक दिन की छुट्टी दी जाती है और सरकारी कार्यालय, जो इतवार को बन्द रहते हैं के चपरासियों को रविवार को छुट्टी मिलती है । विधायक निवास के कर्मचारी तथा अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को वर्दी दिय जाने के संबंध में सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०१०–१०१२ पर)

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर

*८४—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवा रही है ? यदि हां, तो ये क्वार्टर कब तक बन जायेंगे ?

श्री धर्म सिंह—

सरकार की एक योजना उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के लिय क्वार्टर बनाने के लिये है पर उपयुक्त भूमि सचिवालय के निकट उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

सहकारिता विभाग, देवरिया में गबन

*८५—सर्वश्री श्याम लाल, हरिवंश सहाय तथा गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार देवरिया, डिस्ट्रिक्ट होलसेल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, देवरिया तथा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, देवरिया में कितने रुपयों का गबन तथा घाटा सन् १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में आडिट रिपोर्ट के अनुसार हुआ है ? यदि गबन हुआ है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—

गबन तथा घाटे की सूचना का विवरण सलग्न है ।

गबन से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस तथा सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सालसी कार्यवाही की गई और जिनके विरुद्ध गभीर आरोप थे उन्हे सेवा निवृत्त भी कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०३३ पर)

*८६—श्रीवंश्री श्याम लाल, हरिवंश सहाय तथा गया प्रसाद—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त तीनों संस्थाओं के पास जितने भी लाइसेंस हैं उन सबको उक्त गबन और भ्रष्टाचार को देखते हुए कैंसिल करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—

जनपद थोक उपभोक्ता भण्डार देवरिया का तत्कालीन सहायक निबन्धक द्वारा निरीक्षण किय जाने पर भण्डार की सस्ते गल्ले की दूकानों में विशेष गड़बड़ियां पायी गयी जिसके फल-स्वरूप उपरोक्त भण्डार की १२ दूकानों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये ।

भूमि विकास बैंक, फूलपुर के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

*८७—श्री राजित राम पांडय तथा श्री रामपूजन पटल—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया जांच कर बतायेंगे कि इलाहाबाद के भूमि विकास बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद, शाखा फूलपुर के मैनेजर कोआरेटिव ए० डी० ओ० ब्लाक एवं अन्य अधिकारियों से मिलकर पंपिंग सेट हेतु फूलपुर मशीनरी स्टोर फूलपुर से खरीदने के लिये इसी स्टोर के नाम भुगतान हेतु चेक पर हस्ताक्षर कराया ? यदि हां, तो क्या वह बिना मशीन दिये लगभग ३ लाख रुपया गंगापार ब्लाक के किसानों का लेकर मैनेजर फूलपुर मशीनरी स्टोर जनवरी, १९६९ के बाद गायब हो गई ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्म सिंह—

कृषकों को ऋण वितरण में की गई गड़बड़ी के सम्बन्ध में भूमि विकास बैंक, फूलपुर (इलाहाबाद) के शाखा प्रबन्धकों तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के विरुद्ध एक शिकायत शासन को प्राप्त हुई । शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच अतिरिक्त सहायक निबन्धक, इलाहाबाद से कराई गई । जांच में पाया गया कि उक्त अधिकारियों ने कृषकों को फूलपुर मशीनरी स्टोर, फूलपुर से इंजन तथा मशीन खरीदने के लिये प्रेरित किया और कृषकों द्वारा अनुमति पत्र भरने पर उनके ऋण की चेकें उक्त फर्म के नाम पृष्ठांकित की गयीं, फर्म के मैनेजर ने पृष्ठांकित चेकों के धन में से लगभग ३०,००० रुपये का गोलमाल किया । भूमि विकास बैंक के संबंधित शाखा प्रबन्धकों को निलम्बित कर दिया गया है । सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को चार्जशीट करके विभागीय कार्यवाही की जा रही है । गोलमाल में सहयोग देने वाले अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश शासन ने दे दिये हैं । फर्म से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक पुलिस कार्यवाही करने के लिये उप निबंधक सहकारिता डी० ओ० सी० से परामर्श करके उचित कार्यवाही कर रहे हैं । संबंधित कार्यकारों को मामले में अदालती कार्यवाही करने की सलाह दी गई है ।

देहरादून सहकारी स्टोर के हिसाब में अनियमिततायें

*८८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून सहकारी स्टोर के पिछले आडिट में कौन अनियमितताएं पाई गई तथा जिनसे सरकार को अवगत कराया गया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां, यह सही है कि देहरादून सहकारी स्टोर के पिछले आडिट में व्यवसाय तथा लेखा जोखा से संबंधित अनियमितताएं पाई गई हैं । इस आडिट रिपोर्ट के संबंध में राज्य शासन को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी गई । निबन्धक द्वारा संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई । रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं को दूर करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही भंडार द्वारा की जा रही है तथा ऐतराजों का अनुपालन किया जा रहा है । कुछ ऐतराजों के बारे में अंतिम कार्यवाही की जा चुकी है ।

*८६—श्री त्रिवेणी सहाय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

सी० ओ० डी० सैलरी अर्नर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, कानपुर में अनियमिततायें

*६०—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सी० ओ० डी० सैलिरी अर्नर्स, कोआपरेटिव, सोसाइटी, कानपुर के संबंध में आरबीट्रेशन के मामल का कोई निर्णय दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ को श्री के० बी० खरे अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, कानपुर के द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उसम कितने रुपये की जालसाजी तथा कितने रुपये का गबन और क्या अनियमितताए पाई गई हैं तथा जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां।

इसमें अनियमितताओं से सम्बन्धित धनराशि मुबलिग रुपये ४१,४६९.७२ पैसा है । इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होन की दशा में जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध इजराय की कार्यवाही स्थगित रही । अपील दिनांक १४ अगस्त, १९६९ को अस्वीकृत कर दी गई । वादी को लिख दिया गया कि वह इजराय की कार्यवाही नियमानुकूल सम्पादित कराय, जो वादी ने अब तक नहीं किया है ।

वन सम्बन्धी सहकारी समितियां

*६१—श्री गेंदा सिंह (जिला बदरिय) तथा श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अपन प्रदेश में कितनी सहकारी समितियां बन सम्बन्धी बनी हुई और उन्हें कितन ऽके गत पांच वर्षों में दिये गये हैं ?

*६२—जो सहकारी समितियां बनी हैं उनके कितने सदस्य हैं और उनमें श्रमिक कितने हैं ?

श्री धर्मसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

खोरहंसा सहकारी संघ में गबन

*६३—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में खोरहंसा कोआपरेटिव सोसाइटी में हाल में गबन का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो कितने रुपये का खाद्य का गबन हुआ और उक्त गबन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री धर्म सिंह—

यह सत्य है कि खोरहंसा सहकारी संघ तथा उससे संबंधित कुछ समितियों में हाल में गबन का मामला प्रकाश में आया है । गबन खाद को अनियमित ढंग से बेचकर किया गया है । वास्तविक धनराशि, जिसका गबन किया गया है, अभी तक निश्चित नहीं हो सकी है । वर्ष १९६९-७० खरीफ में ११ समितियों में सहकारी संघ खोरहंसा से रु० ३,१६,६१५.४७ प० की खाद समितियों को देना दिखाया गया है परन्तु समितियों ने अपने सदस्यों को खाद वितरण करने का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता इस संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कर ली है । अतिरिक्त जिला अधिकारी (नियोजन), गोंडा द्वारा इस मामले की जांच के लिये थानाध्यक्ष

कोतवाली, गोंडा को प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ० आई० आर०) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६९ को प्रेषित कर दिया गया था। इस मामले की जांच अब अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जारी है।

बलिया जिले की क्रय-विक्रय समितियां चितवड़ागांव, रसड़ा तथा बेलथरा रोड के सेक्रेटरियों का भत्ता

*६४--श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जिला बलिया के अन्तर्गत क्रय-विक्रय समिति चितबड़ागांव रसड़ा तथा बेलथरा रोड के प्रबन्धक सेक्रेटरियों ने सन् १९६५ से अक्तूबर, १९६९ तक प्रतिवर्ष कितना टी० ए० व डी० ए० उपरोक्त समितियों से प्राप्त किया और क्या सरकार इसकी तालिका पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---

बलिया जनपद की क्रय-विक्रय समिति चितबड़ागांव, रसड़ा तथा बेलधरा रोड के प्रबन्धक सेक्रेटरियों द्वारा वर्ष १९६५ से अक्तूबर, १९६९ तक प्रति वर्ष प्राप्त डी० ए० व टी० ए० का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०१४ पर)

रूरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, कानपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*६५---चौधरी रामपालसिंह यादव---

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समिति रूरा में जो १९६७-६८ की बैलेंस शीट के अनुसार दिनांक ३० जून, १९६८ तक १,२५,०४५ रु० ३८ पे० का घाटा सीधी खरीद की गई वस्तुओं के दाम गिरने से हुआ है। उस समय वहां समिति में कौन-कौन व्यक्ति थे और अध्यक्ष कौन था तथा सहकारी निरीक्षक का क्या नाम है ? क्या इनको निलम्बित करके सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी कि वह घाटा है या धन का गबन हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---

वर्ष १९६७-६८ की बलेंस शीट, जो ३० जून, १९६८ तक है, के अनुसार रूरा क्रय-विक्रय समिति लि० कानपुर में १,२५,०४५.३८ पै० की हानि दिखाई गई है। उक्त हानि केवल सीधी खरीद के भाव गिरने से ही संबंधित नहीं है बल्कि उसके अन्य कारण भी हैं---

उपरोक्त अवधि में पदाधिकारियों के नाम निम्न हैं---

१---अध्यक्ष .. श्री कृपा नारायन दीक्षित व श्री राम स्वरूप सिंह

२---संचालक मण्डल के सदस्य .. सर्वश्री---

१---वीरेन्द्र सिंह
२---राधे श्याम
३---कृपा नारायन दीक्षित
४---राम स्वरूप सिंह
५---राजा सिंह
६---काली चरण शुक्ला
७---राज नारायन तिवारी
८---हरि शंकर सिंह
९---केशव सिंह

१०—अंबिका प्रसाद शुक्ल
११—काली चरन यादव
१२—मोती सिंह
१३—कमल सिंह
१४—कमला दत्त त्रिपाठी
१५—जैराम सिंह
१६—शिव वचन सिंह
१७—राजेन्द्र नाथ बाजपेयी
१८—बाल कृष्ण अवस्थी ।

३—मंत्री व्यवस्थापक .. सर्वश्री—

१—मलखे सिंह
२—राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
३—राजा राम
४—टी० एन० श्रीवास्तव
५—राज बहादुर चतुर्वदी
६—राम महेश त्रिपाठी

उक्त हानि से संबंधित समिति के संचालक मण्डल और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक आर्यवाही चल रही है । इसके अतिरिक्त कुछ के विरुद्ध हानि से संबंधित धन के एवार्ड लिये जा चुके हैं, वसूली की कार्यवाही हो रही है । सी० आई० डी० द्वारा ज ंच कराने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

झींझक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन की जांच

*९६—चौधरी रामपालसिंह यादव—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की झ झक क्रय-विक्रय समिति में जब ५४,२०६.५३ का गबन हुआ था तब वहां उक्त समिति का संचालक मण्डल में कौन-कौन सदस्य थे और अध्यक्ष कौन था ? क्या सरकार इसकी जांज सी० आई० डी० द्वारा करायेगी ?

श्री धर्मसिंह—

कानपुर जिले की झींझक सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि० में जब रु० ५४,२०६.९३ पै० का गबन हुआ था तब श्री मदन गोपाल द्विवेदी समिति के अध्यक्ष थे तथा सर्वश्री रघुराज सिंह, रामाधार त्यागी, हरिश्चन्द्र शुक्ल, राम स्वरूप यादव, लक्ष्मी नायायण, बुद्धा लाल, राम नारायन सिंह, विशम्भर नाथ, राम पाल सिंह, जगन नारायन पांडेय, और गया प्रसाद संचालक मण्डल के सदस्य थे ।

इस मामले की जांच विशेष जांच बल पुलिस (एस० आई० एस०) द्वारा की जा रही है अत: सी० आई० डी० द्वारा जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना विकास समिति, धामपुर में गबन

*९७—श्री शौनाथ सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन सहकारी समिति धामपुर, जिला बिजनौर की सन् १९६४–६५, १९६५–६६ में विभागीय तथा सी० आई० डी० जांच हुई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवराज सिंह---

सहकारी गन्ना विकास समिति, धामपुर जिला बिजनौर में वर्ष १९६४-६५, १९६५-६६ में ८१,००० रु० का गबन किया गया। इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा वर्ष १९६६-६७ से प्रारंभ की गई और उनकी जांच के फलस्वरूप समिति के तत्कालीन हेड कैशियर दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध पांच मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। दिनांक ७ फरवरी, १९७० को अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) बिजनौर ने उन्हें सैशन सिपुर्द कर दिया है।

अन्य संबंधित सरकारी एवं समिति वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं अनुशासकीय कार्यवाही न्यायालय से निर्णय हो जाने तक के लिये स्थगित है।

*९८---श्री शौनाथ सिंह---

क्या सरकार कृपया उक्त जांच की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी?

श्री शिवराज सिंह---

चूंकि मुकदमा सैशन सिपुर्द है अतः सी० आई० डी० की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

जौनपुर जिले में सहकारी सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण न होना

*९९---श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने सहकारी सुपरवाइजर ऐसे हैं जो जौनपुर जिले में सात साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं तथा एक ही स्थान पर ३ साल से अधिक से कार्य कर रहे हैं तथा उनका स्थानान्तरण अब तक न किये जाने का क्या कारण है?

श्री धर्म सिंह---

जौनपुर जनपद में ३३ सुपरवाइजर ऐसे हैं जो सात वर्ष से अधिक समय से जनपद में कार्यरत हैं। इनमें से २६ ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से हैं। इन २६ के अतिरिक्त १५ और सुपरवाइजर ऐसे हैं जो एक जगह पर तीन साल से अधिक समय से हैं परन्तु वह जनपद में सात वर्ष से कम समय से हैं। इस प्रकार प्रश्न से सम्बद्ध कुल सुपरवाइजरों की संख्या ४८ है।

उपरोक्त ४८ सुपरवाइजरों में से ४० सुपरवाइजर जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के नियंत्रण में हैं, इसलिए जिले से बाहर उन के स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। जिले के अन्दर उनका स्थानान्तरण जिला सहकारी बैंक द्वारा विचाराधीन है।

शेष ८ सुपरवाइजर प्रादेशिक सहकारी संघ के नियंत्रण में हैं और उनमें से सात के जनपद के बाहर स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं। एक सुपरवाइजर का स्थानान्तरण जिले के अन्दर विचाराधीन है।

मेला रामगंज बीज भंडार, जिला बाराबंकी के विरुद्ध शिकायतें

*१००---श्री चिरंजी लाल---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास मेला रामगंज बीज भंडार, जिला बाराबंकी से खाद को निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने और निश्चित मात्रा से कम मात्रा में देने की शिकायतें ग्राम कंचरौली परगना व ब्लाक दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के निवासियों की ओर से सितम्बर, १९६९ में प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री धर्म सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वलिया महिला चिकित्सालय की डाक्टर कुमारी के० के० भटनागर के खिलाफ श्री सच्चिदानन्दसिह द्वारा की गयी शिकायत पर जांच की रिपोर्ट

*१०१---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २० नवम्बर, १९६२ को बलिया महिला चिकित्सालय की प्रभारी डाक्टर कुमारी के० के० भटनागर थीं जिनके विरुद्ध बलिया जिला पूर्ति कार्यालय के आशुलिपिक श्री सच्चिदानन्द सिंह एक शिकायती-पत्र अपने स्त्री और पुत्र की घूस न देने के कारण असावधानी से मृत्यु करने का आरोप लगाते हुये विभागीय निर्देशक को दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६२ को लिखित रूप में दिया है जिसकी जांच पर ४/५ मई, १९६४ को उप-निर्देशक महिला स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, डा० बी० मेन्डोन्सा ने किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायती-पत्र और डाक्टर की जांच रपट सदन की पटल पर रखेगी ?

श्री अनवार अहमद---

जी हां । ऐसा एक शिकायती-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक को मिला था जिस पर उप निदेशिका (महिला) डा० मेन्डोन्सा द्वारा जांच की गयी थी । शिकायती-पत्र तथा डा० मेन्डोन्सा की जांच† रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी है । इसका हिन्दी अनुवाद बाद में माननीय सदस्य को भेज दिया जायगा ।

*१०२---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस सन्दर्भ में उक्त डा० मेण्डोंसा ने अपने पत्र संख्या डब्ल्यू २५८७/१०९-एस०-५२---ई०, दिनांक ५ मार्च, १९६६ को प्रार्थी को जिलाधीश बलिया के माध्यम से सूचित किया है कि उसका आरोप सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार अपना निर्णय कब देगी ?

श्री अनवार अहमद---

जांच अधिकारी की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने डा० (कु०) के० के० भटनागर को एक कड़ी चेतावनी देने तथा उनकी चरित्र-पंजी में एक प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने का निर्णय लिया था ।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ द्वारा ट्रैक्टरों का आवंटन

*१०३---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

विधान सभा की बठक दिनांक २६ अगस्त, १९६९ ई० को प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के क्रम पर क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वष १९६८---६९ तक आवंटित ट्रैक्टरों की जिलेवार संख्या में जो १३ ट्रैक्टर, जिला नैनीताल को दिये गये हैं, ये ट्रैक्टर किन-किन को शासन द्वारा किस आधार पर दिये गये ?

श्री शिवराज सिंह---

जिला नैनीताल में आवंटित १३ ट्रैक्टरों से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है । ट्रैक्टरों का आवंटन उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ द्वारा "प्रथम आया प्रथम पाया" के आधार पर किया गया ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०१५ पर)

†छापी नहीं गयी ।

बांसगांव ब्लाक में चीनी विक्रेता

*१०४---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)---

क्या खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लाक में चीनी की कितनी दुकानें हैं, कितनी फुटकर हैं और कितने थोक विक्रेता हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

चीनी की फुटकर दुकानें २६ और थोक की दुकानें २ हैं ।

*१०५---श्रीमती मसाली देवी---

क्या खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इनमें कितने ऐसे लोगों को चीनी के लाइसेंस दिये गये हैं कि जो हलवाई हैं और मिठाई की दुकान रखते हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

दो फुटकर चीनी विक्रेता ऐसे हैं जिन के हलवाई की दुकानें हैं । यह लाइसेंस न्याय पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर दिये गये ।

गोंडा जिले में महिला हेल्थ विजिटर

*१०६---श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में ऐसी हेल्थ विजिटर (महिला) कौन हैं जो कि इसी जिले में १४ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रही हैं और गोंडा जिले में इन की नौकरी के काल में कितनी बार स्थानान्तरण किया गया पर रोक दिया गया तथा रोकने का कारण क्या है ?

श्री अनवार अहमद---

जिला गोंडा में ऐसी कोई महिला हेल्थ विजिटर नहीं है जो वहां पर १४ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रही हो ।

*१०७---१०८---श्री रामस्वरूप वर्मा---

[प्रश्नकर्त्ता का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

उद्यान विभाग में पदोन्नति

*१०९---श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दिसम्बर, मास सन् १९६९ में उद्यान विभाग में ग्रुप १ में जो पदोन्नति की गयी है वह सीनियारिटी के आधार पर की गयी है या किसी अन्य आधार पर ?

श्री शिवराज सिंह---

उक्त पदोन्नति अस्थायी रूप से ज्येष्ठता के आधार पर उस अवधि के लिए की गयी है जब तक उन पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जायें ।

हल्द्वानी सहकारी संघ में गबन

*११०---श्री राम करन (जिला गोरखपुर) तथा सुखपाल पांडेय---

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि जिला नैनीताल हल्द्वानी स्थित कोआपरेटिव फेडरेशन में दो लाख का गबन १९६८---६९ के बीच में हुआ है ? यदि हां, तो इस के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री धर्म सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

दुग्ध संघ लालकुंआ, जिला नैनीताल का ठेका

*१११--श्री रामकरन तथा श्री सुखपाल पांडेय--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश दुग्ध संघ, लाल कुवां, जिला नैनीताल में दुग्ध संघ के मन्त्री जी ने अपने लड़के को दूध का ठेका दिया है ? क्या सरकार इस अनियमितता को शीघ्र समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्म सिंह--

दुग्ध संघ, लाल कुवां, जिला नैनीताल के मन्त्री ने अपने लड़के को दूध का ठेका नहीं दिया है । अतः अनियमितता को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार देवरिया में गबन

*११२--श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, देवरिया में कुल कितनी पूंजी सरकार की लगी हुई है और कितनी पूंजी हिस्सेदारों की है ?

श्री धर्म सिंह--

जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भन्डार देवरिया में सरकार तथा हिस्सेदारों की निम्नांकित पूंजी लगी हुई है :--

	रु०
१--शासन की पूंजी	२,२४,०००·००
२--हिस्सेदारों की पूंजी	६५,८७२·००

शासन की पूंजी में भंडार तथा उसकी शाखाओं को दी गयी अंश पूंजी, ऋण तथा अनुदान शामिल है ।

*११३--श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री बांकेलाल--

क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में आडिट रिपोर्ट से सिद्ध हो गया है कि उक्त जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, देवरिया में डेढ़ लाख से अधिक रुपयों का गोलमाल हुआ है और सरकार द्वारा लगायी गयी पूंजी के डूबने की आशंका है ?

श्री धर्म सिंह--

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भन्डार देवरिया में गत १९६७--६८ में कुल मु० रु० १३,६०६.५५ पै० का नकद व स्टाक के रूप में अपहरण प्रकाश में आया है । वर्ष १९६८--६९ का आडिट अभी हो रहा है और अभी तक कोई अपहरण प्रकाश में नहीं आया है । इस समय ऐसी आशंका नहीं है कि सरकार द्वारा लगायी गयी पूंजी डूब जायेगी ।

*११४-११५--श्री होतीलाल अग्रवाल--

[३रे सोमवार के प्र० सं० ८९--९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११६-११७--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[प्रश्न कर्त्ता के मन्त्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

परिवार नियोजन विभाग से पुरस्कार

*११८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन विभाग की तरफ से प्रदेश में पुरस्कार योजना का निर्णय १९६७ में लिया गया था ? यदि हां, तो कितने गैर सरकारी या सरकारी कार्यकर्त्ता एवं कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया, वे किन-किन जिलों के हैं और प्रत्येक को कितने रुपये का पुरस्कार दिया गया ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां ।

पुरस्कार राज्य स्तर, मण्डल स्तर तथा जिला स्तर पर दिये जाते हैं । राज्य स्तर पर जिन कर्मचारियों को १९६७—६८ की उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कृत दिया गया था उनके नाम तथा उनकी नियुक्ति के जिले तथा पुरस्कार की धनराशि निम्न प्रकार है :—

१—श्री वेद व्रत दीक्षित, प्रसार शिक्षक शाहजहांपुर (५०० रु०) नकद

२—श्री दुखरन सिंह, सुपरवाइजर कानूनगो, जौनपुर (४०० रु०) नकद

३—श्री राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सुपरवाइजर कानूनगो, जौनपुर ३०० रु० नकद ।

४—श्रीमती शर्मिष्टा जैन, महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता, आगरा, (२५० रु०) नकद ।

५—डा० देव व्रत वराट, चिकित्सक सचल नसबन्दी इकाई, इलाहाबाद १३२ रु० की कलाई घड़ी ।

६—डा० (कु०) जे० डी० राजन, चिकित्सा अधीक्षक । लेडी लायल चिकित्सालय, आगरा, १६४ रु० की कलाई घड़ी ।

जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर जिन कर्मचारियों को इसी प्रकार पुरस्कृत किया गया है उन की सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ।

*११९—श्री रामचन्द्र आजाद—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

साधन सहकारी समिति, घघौरा में गबन की जांच

१—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद में साधन सहकारी समिति घघौरा में गबन के आरोप की जांच श्री भानु प्रताप सिंह, ए० डी० ओ० (सी०) असोंथर ने आज से करीब दो-तीन वर्ष पूर्व की थी, वह जांच रिपोर्ट व सम्पूर्ण सम्बन्धित कागजात सहकारी विभाग के दफ्तर से गायब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह—

इस समिति में गबन सम्बन्धी कोई जांच श्री भानुप्रताप सिंह, ए० डी० ओ० (सी०) ने नहीं की । श्री सिंह को सहकारी अधिनियम १९१२ की धारा ३५ के अन्तर्गत समिति की आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु जांच के आदेश दिये गये थे । परन्तु समयाभाव तथा

उन के स्थानान्तरण के कारण जांच पूरी न हो सकी । अतः जांच रिपोर्ट तथा उससे सम्बन्धित कागजात सहकारी विभाग के दफ्तर से गायब होने का तथा इस सम्बन्ध में किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जिले के अस्पतालों पर व्यय

२—श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६८-६९ में मुरादाबाद जिले के अस्पतालों को दवाई तथा दूसरे उपकरण खरीदने के लिये सरकार से कुल कितनी सहायता दी गई और उसमें से शहरी तथा देहाती क्षेत्रों के अस्पतालों को कितना-कितना भाग दिया गया ?

श्री अनवार अहमद—

वर्ष १९६८-६९ में मुरादाबाद जिले के अस्पतालों के दवाई तथा दूसरे उपकरण खरीदने पर कुल २,१५,०४७.०८ रु० व्यय हुए । उसमें से देहाती क्षेत्रों के अस्पतालों पर ५०,०४६ रु० ४८ पै० एवं शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों पर १,६५,०००.६० रु० व्यय हुए ।

देवरिया जिले में परवरपार ग्राम का आयुर्वेदिक चिकित्सालय

३—श्री बांके लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के रामकोला ब्लाक के अन्तर्गत परवरपार ग्राम में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय भूतपूर्व माल मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के प्रयत्न से खोला गया है तथा उसके बनवाने के लिये २५ हजार रुपया स्वीकृत हुआ था ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां । परवरपार चिकित्सालय के बनवाने के लिये २५ हजार रुपये की नहीं बल्कि १८,८०० रुपये की स्वीकृति ६ सितम्बर, १९५९ को प्रदान की गई । भवन निर्माण के लिए कोई उपयुक्त भूखण्ड नहीं प्राप्त हो सका । जब पड़ोसी ग्राम सौहसा के प्रधान श्री वृज नारायण राय ने भूमि की व्यवस्था की तो चीनी आक्रमण के कारण देश में संकट कालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई । मितव्ययता के लिये सभी निर्माण कार्य रोक दिया गया । इस कारण परवरपार में भी भवन निर्माण नहीं कराया जा सका ।

४—श्री बांकेलाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त चिकित्सालय में प्रत्येक वर्ष कितने रुपये की कौन-कौन सी दवाइयां जनता हेतु प्रतिवर्ष भेजी जाती हैं ?

श्री अनवार अहमद—

उपरोक्त चिकित्सालय को एक हजार रुपये की औषधियां प्रतिवर्ष दी जाती है । दी जाने वाली औषधियों की सूची*संलग्न है ।

अवक्रान्त सहकारी बैंक

५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन सहकारी बैंक इस समय सुपरसीडेड हैं और उनके संचालक मण्डलों का चुनाव ए० जी० एम० द्वारा कब तक हो जावेगा ?

---

*छापी नहीं गयी ।

श्री धर्मसिंह—

प्रदेश में इस समय (१५ जनवरी, १९७०) को जिला सहकारी बैंक लि० मेरठ, आगरा व उन्नाव का संचालक मण्डल अवक्रान्त (सुपरसीडेड) है। मेरठ बैंक की वार्षिक सभा कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण रुकी है। कोर्ट के निर्णय के बाद होने वाली ए० जी० एम० द्वारा संचालकों का चुनाव हो सकेगा। आगरा एवं उन्नाव के संचालक मण्डलों का चुनाव दिनांक २८ दिसम्बर, १९६९ को संपन्न हुआ परन्तु संचालकों के चुनाव के परिणाम की घोषणा कोर्ट के आदेशानुसार रोक दी गई है।

मुरादाबाद जिले में सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण

६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितनी साधन समितियां काम कर रही है और कितनी प्राइमरी समितियां हैं और उनके द्वारा कितना धन कर्जे के रूप में इस समय बटा हुआ है ?

श्री धर्म सिंह—

मुरादाबाद जनपद में क्रमशः ४७५,६२ तथा २६ साधन, प्राइमरी तथा क्षेत्रीय सहकारी समितियां कार्य कर रही है। जिनके द्वारा कुल ३,१०,५७,६४८ रु० ऋण के रूप में बटा हुआ है।

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली पर व्यय

७—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई दिल्ली यू० पी० निवास के निर्माण एवं साज-सज्जा पर सरकार का कुल कितना व्यय ३१ मार्च, १९६९ तक हुआ है ?

८—प्रतिवर्ष उनके रख-रखाव, टेलीफोन, आदि पर अलग-अलग सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ता है और सरकार को वार्षिक आय कितनी होती है ?

श्री धर्म सिंह—

मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०१६ पर)

देहाती क्षेत्र के अस्पतालों में नर्सों की कमी तथा महिला डाक्टरों के स्थानान्तरण

९—डाक्टर जगमोहन वर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कौन-कौन से देहात क्षेत्र के महिला अस्पताल हैं जिनमें न तो महिला डाक्टरों के पास कम्पाउन्डर हैं न ट्रेन्ड नर्स हैं ?

श्री अनवार अहमद—

ऐसा कोई महिला अस्पताल देहाती क्षेत्र में नहीं है जहां महिला डाक्टर के पास कम्पाउन्डर न हो। देहात के महिला अस्पतालों में नर्सों के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः वहां उनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

१०—डाक्टर जगमोहन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कष्ट करेगी कि सरकार की ऐसी कोई आज्ञा है कि जो विवाहित महिला डाक्टर्स (ए० एम० बी० एस० या एम० बी० बी० एस० है, वह अपने पतियों यदि सरकारी नौकरी में हैं) के निकटतम स्थान पर ही रक्खीं जायं ?

श्री अनवार अहमद—

चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसा कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है परन्तु विभाग की सामान्य नीति के अनुसार यथासंभव विवाहित महिला डाक्टरों की तैनाती उनके पति के साथ की जाती है ।

११—डाक्टर जगमोहन वर्मा—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सन् १९६७, ६८ व १९६९ में कौन-कौन सी महिला डाक्टरों का एक साल के सेवाकाल के अन्दर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया गया और क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०१७–१०१८ पर)

सहकारी विभाग अलीगढ़ में पर्यवेक्षक

श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी अलीगढ़ जिले मे कोआपरेटिव विभाग के अन्तर्गत कितने प्रशिक्षित तथा कितने अप्रशिक्षित सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं और कितने स्थायी स्थान रिक्त हैं ?

श्री धर्मसिंह—

अलीगढ़ जनपद में १५५ पर्यवेक्षक कार्य कर रहे हैं जो सभी प्रशिक्षित हैं । इस जनपद में कोई स्थायी स्थान रिक्त नहीं है ।

सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा जौनपुर जिलों में नसवन्दी

१३—श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा जौनपुर के परिवार नियोजन के स्वास्थ्य सहायकों, ने १ दिसम्बर, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक अपने क्षेत्रों में कितने-कितने लोगों की नसबन्दी कराई है और उसमें क्षेत्र से बाहर के लोग कितने हैं ?

श्री अनवार अहमद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विधान परिषद् में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर सरकारी नीतियों के विरुद्ध स्वीकृत संशोधन से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वैधानिक तथा औचित्य के प्रश्न

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, हमको एक वैधानिक व्यवस्था एवं औचित्य का प्रश्न उठाना है । आपको विदित ही है कि राज्यपाल महोदय ने विधान सभा एवं विधान परिषद् के दोनों ही सदनों के आदरणीय सदस्यों को संबोधित किया था जिसके संबंध में दोनों ही सदनों में सरकार की ओर से धन्यवाद के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे । विधान परिषद् में जो सरकार की ओर से धन्यवाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

का प्रस्ताव आया था उसमें नीति सम्बन्धी बहुत से संशोधन हो गये हैं। जैसे कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी सवा ६ एकड़ को माफ नहीं करना चाहते थे। परन्तु विधान परिषद् ने यह संशोधन पास कर दिया है कि सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ किया जाय। चौधरी साहब प्रोफेशन टैक्स को नहीं माफ करना चाहते थे परन्तु विधान परिषद् ने उसको पास कर दिया है। चौधरी साहब यह नहीं करना चाहते थे कि मास्टरों को नियमित वेतन दिया जाय परन्तु विधान परिषद् ने उसको भी पास कर दिया। जो धन्यवाद का प्रस्ताव विधान परिषद् में प्रस्तुत किया गया था तो उसने बहुत से नीति संबंधी संशोधन स्वीकार किये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप विधान परिषद् से संबंधित प्रश्नों को यहां नहीं उठा सकते हैं। आप स्वयं कोई प्रश्न उठाएं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि विधान परिषद् में सरकार की ओर से जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया था उसमें बहुत से नीति संबंधी संशोधनों के बाद वह प्रस्ताव पारित हुआ। मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि क्या अब वे संशोधन की नीतियां अब सरकार की नीतियों का अंग बनने जा रही है और यदि ऐसा नहीं है तो क्या मुख्य मंत्री जी इस्तीफा देने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी व्यवस्था देता हूं कि वहां पर कुछ भी हुआ हो यह सरकार उसके लिये इतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी इस सदन के लिये। इस सदन का जो प्रस्तव पारित होगा उसके अनुसार उनको काम करना लाजमी होगा। वह सदन इस सदन के फैसले के बारे में केवल पूछ सकता है परन्तु यह सदन उनका जो फैसला होता है उसके बारे में यहां बहस नहीं कर सकता है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

श्रीमान जी, व्यवस्था का प्रश्न है

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मंत्री जी विधान परिषद् की कोई कार्यवाही मे बाध्य है। परन्तु विधान सभा को कांफीडेंस में लिये बिना वह काम भी नहीं चला सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसको वह स्वीकार करते हैं या नहीं। जब प्रस्ताव संशोधनों सहित विधान परिषद् में पास हो चुका है तो इसमें क्या औचित्य है कि.....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन् मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। समाचार-पत्रों से भी हमें मालूम हुआ था कि मुख्य मंत्री जी ने विधान परिषद् में यह कहा था कि सवा तीन एकड़ लगान की छूट उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दी है, बल्कि दबाव में आकर दी है। तो क्या यह सत्य है।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को आप लिख कर भेज दीजिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत न्यायप्रिय हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिये तो आप आज्ञा दे ही दें। यह नीति संबंधी प्रश्न है जो कि विधान परिषद् में उनके दिये गए भाषण के बारे में है। अगर मुख्य मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखित दे दें। यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्रश्न तो उठ गया है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, यह प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सब चीज यहां पर पास कर लेते हैं तो फिर विधान परिषद् में क्यों भेजते हैं? जब आप उससे संबंधित नहीं हैं तो उसे तोड़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि विधान परिषद् में जो कुछ तय हो गया है उसके बारे में आप यहां पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं न टीका कर सकते हैं।

अब श्री डूंगर सिंह बोलेंगे।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, में यह देख रहा हूं कि ४ मार्च से जो मैंने प्रश्न किये हैं उनका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। इस प्रकार मेरे अधिकारों का हनन करने वाली बात हो रही है।

श्री जगननाथ खन्ना—

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था को मान रहा हूं। अपर हाउस किस चीज के लिये है? आप कहते हैं कि जो कुछ वहां पर पास हुआ उसके बारे में यहां पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो फिर अपर हाउस को तोड़ क्यों नहीं दिया जाता है? मान्यवर, इसके बारे में आपकी क्या राय है?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जो आपने व्यवस्था दी है उसे तो मैं शिरोधार्य करता हूं। परम्परा और नियम यह है कि जो प्रस्ताव इस सदन से वहां जाये और वह गिर जाये, तब.....

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न यहां नहीं उठ सकता है। ये दोनों सदन अलग-अलग हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव विधान परिषद् में पास नहीं हो सके हैं, तब दुबारा सामूहिक सेशन बुलाकर क्या आप उन पर गौर करायेंगे?

श्री अध्यक्ष---

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी भी बोलने के लिये खड़े हैं और माननीय बेतराम गंगवार भी खड़े हैं। तो मैं पहले श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को बोलने की इजाजत देता हूं, क्योंकि वे अपने दल के नेता भी हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आपके सामने जो प्रश्न उपस्थित है वह है, धन्यवाद का प्रस्ताव जिस पर यहां पर विचार हुआ और विधान परिषद् में भी विचार हुआ। विधान परिषद् में धन्यवाद का प्रस्ताव गिर गया। वह संशोधन नीति से संबंधित था। वास्तविकता तो यह है कि वह संशोधन यहां पर भी गिर गया था। यहां पर वोटिंग नहीं हुयी। जिस प्रकार से वोटिंग हुई, वह आपको मालूम है। आपने इस स्थान से स्वयं स्वीकार किया कि उसमें इर्रेगुलरिटी हुई और जो यहां पर कार्यवाही हुई उसमें भी इर्रेगुलेरिटी हुई। इस तरह से संशोधन का प्रस्ताव गिर गया यहां पर भी। श्रीमन, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। दो पहियों में से एक पहिया तो खत्म हो गया। अगर आदमी एक पैर से चलाता है तो वह चलाए। यहां पर दो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं---एक तो संवैधानिक स्थिति और दूसरी नैतिक स्थिति। नैतिक स्थिति से तो यह सरकार बिलकुल नहीं रह गयी है। यहां पर सरकार का कोई स्थान नहीं है। हम अगर होते तो इस्तीफा दे देते। हम अगर मुख्य मंत्री होते तो हम निश्चित इस्तीफा दे देते। (व्यवधान) मैं कह रहा था कि अगर मैं मुख्य मंत्री होता तो निश्चित इस्तीफा दे देता। क्योंकि संवैधानिकता बिलकुल खटाई में पड़ गई है, उसको तो माना ही नहीं गया है। पब्लिक ने माना, अखबारों ने माना, और अन्य लोगों ने माना कि प्रस्ताव गिर गया। इस तरह से नैतिकता की दृष्टि से संविधान की हत्या हो गई। एक तरह से सरकार गिर गई, फिर कोई कारण नहीं है कि सरकार बनी रहे। हां, मैं यह बहस नहीं करता---जैसा कि विकल जी ने कहा---यह प्रस्ताव यहां से वहां नहीं जाता इसलिये इस प्रश्न को उठाना उचित नहीं होगा। लेकिन पब्लिक की निगाह में और हाउस की निगाह में यह बात आ गई कि यह सरकार गिर गई इसलिये फिर धन्यवाद का प्रस्ताव लाना चाहिये और उसके अनुसार सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे क्योंकि जैसा कि कहा गया है, मुख्य मंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया वह अपने हृदय से न लेकर किसी दबाव से लिया। कोई भी कारण रहा हो, यह वे ही जानें लेकिन उचित यही है कि वे फिर धन्यवाद का प्रस्ताव लाने का अवसर दें और पुनः अपनी नीतियों को प्रतिपादित करें। (व्यवधान)

(श्री महीलाल का नाम पुकारने पर)

श्री अनीसुर्रहमान---

श्रीमन्, मैं इनसे पहले खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उनका नाम पुकार लिया है, आप बाद में बोल लेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, औचित्य और अनौचित्य का जो प्रश्न उठाया गया है, हमारी नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन-किन प्रश्नों पर किस-किस महत्व के स्थानों पर हम औचित्य के प्रश्न को उठा सकते हैं। मान्यवर, इसमें स्पष्ट है "कि ३०० (१) औचित्य प्रश्न इन नियमों के संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।"

मान्यवर, माननीय कृष्णानन्द राय जी एक वकील हैं, और इस सदन के एक सीनियर सदस्य हैं। जब उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपसे अनुज्ञा चाही तो क्या उन्होंने

इसको देखा कि जो कुछ विधान परिषद् में हुआ वह संविधान की किस धारा या अनुच्छेद के विरुद्ध है या हमारे किस नियम के विरुद्ध है? श्री कृष्णानन्द राय जैसे सीनियर सदस्य को अपनी ओर से इस बात को बतलाना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष—

उसके ऊपर मैंने पहले ही फैसला दे दिया है, उसके ऊपर अब आप न बोलें ।

श्री महीलाल—

अब इसके आगे औचित्य का प्रश्न सदन के सम्मुख कार्य के संबंध में उठाया जा सकता है लेकिन कब ?

"(२) औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ? परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो ।"

मान्यवर, यहां सदन में हम देख रहे हैं कि माननीय कृष्णानन्द राय और आचार्य जी जैसे सदस्य जब-तब व्यवस्था का प्रश्न उठा कर लगातार सदन के कार्य में व्यवधान डालने की अपनी आदत सी बनाते जा रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीनियर सदस्यों को . . . . (व्यवधान)

मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं चाहता बल्कि आपके ध्यान में यह बात दिलाना चाहता हूं कि व्यवस्था के नाम पर हमारे ऐसे सीनियर सदस्य इस तरह से सदन के समय का दुरुपयोग न करें, उनको आप रोकने की कृपा करें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे भी पर्सनल स्पष्टीकरण का मौका दिया जाना चाहिये क्योंकि एक नया प्रश्न उठाया गया है । (व्यवधान) हमारा नाम लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न तय हो गया है । उसके ऊपर आप टीका नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

५ मिनट का मौका मुझे भी देने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री अतीसुर्रहमान—

दूसरी बात व्यवस्था के रूप में यह है कि नियमावली में है कि दोनों सदनों को संबोधित करेंगे । कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय । क्या करेंगे ? आवाहन करके बतायेंगे कि किन बातों पर हमारी सरकार चलेगी । वह नीति इस सदन में आई और उस पर चार दिन चर्चा हुई । उसके परिणाम में इरेंगुलरिटी हुई । कुछ लोगों ने वोट नहीं किया । मतदान होता उसका क्या परिणाम होता, मैं नहीं कह सकता । लेकिन एक अंग जो यहां मौजूद था, उसने नीति को सुना और परखा । उस अंग ने उसे अस्वीकार कर दिया तो क्या मुख्य मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिये । यह तो नैतिकता की कसौटी पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो अंग यहां उपस्थित था और जिस अंग ने वोट नहीं दिया तो आप व्यवस्था देंगे कि ऐसा कोई दूसरा विचार आए जिस पर राज्यपाल का फिर अभिभाषण हो सके । नीति संबंधी विचार ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल यहां पर दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करते हैं। यहां पर भी कर सकते हैं, दूसरी जगह हो तो वहां भी कर सकते हैं। यहां जगह है और सदन के सदस्य आ जाते हैं और फिर उसके (अभिभाषण) ऊपर अपने अपने स्वतंत्र विचार सदन में सदस्य व्यक्त करते हैं। स्वतंत्र विचार व्यक्त करके अलग-अलग मत हो सकता है। यहां का प्रस्ताव इस सदन को बाध्य करेगा और वहां का प्रस्ताव वहां के सदन के लिये बाध्य होगा। लेकिन यह नहीं कह सकते कि जो प्रस्ताव वहां पारित हुआ उसको आपके ऊपर लागू कर दें या यहां का कोई प्रस्ताव वहां लागू कर दें। नियम यह है कि इस सदन का जो प्रस्ताव होगा वह सरकार पर बाध्य होगा। इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। यहां पर जो प्रस्ताव आप पास करते हैं उसी के बारे में आप बात कर सकते है। वहां पर जो प्रस्ताव पारित करते हैं, वह वहां के लिये हैं। जो प्रश्न आप यहां उस सदन के बारे में पूछते हैं वे वहां के सदस्य अपने सदन में पूछ सकते हैं। लेकिन पूछने तक ही सीमित रहेंगे। मैंने फैसला ले लिया कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। उस सदन का फैसला है, वह जाने। यहां के सदन के सदस्य उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री अनीसुर्रहमान--

इसमें है कि दोनों सदनों को आवाहन का कारण बतालायेंगे जिसके लिये हम यहां इकट्ठा हुए थे। जो कारण वहां हैं उनसे यह सरकार बन्धी है नहीं? मुख्य मंत्री जी नैतिकता के आधार पर बताएं।

श्री अध्यक्ष---

आप आर्ग्युमेंट नहीं कर सकते।

*श्री कृष्णानन्द राय---

यह बिलकुल सही है, जैसी कि आपने रूलिंग दी कि विधान परिषद् के किसी निर्णय के प्रति यह सरकार उत्तरदायी नहीं है। मैंने यह प्रश्न उठाया था जिस पर मैं आपका निर्णय चाहता हूं कि क्या इस विधान सभा का, जिसके प्रति सरकार जिम्मेदार है, इस बात को जानने का हक है या नहीं कि इस सरकार की नीतियां क्या हैं? (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हमारा अधिकार है। इस अधिकार को आप न लें नहीं तो डैमोक्रेसी चल नहीं सकती। मेरा स्पष्ट निवेदन है कि पार्लियामेंटरी प्रोसीजर में हर सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है और किसी सदस्य को इस अधिकार से संवित्र नहीं किया जा सकता अन्यथा इस विधान सभा का कोई अर्थ नहीं रह जायगा। आप यह व्यवस्था दे सकते हैं कि हमारा व्यवस्था का प्रश्न अवैध है। यह दूसरी बात है। (व्यवधान) आपने तीन मिनट तक महीपाल जी को इस बात का मौका दिया कि वह कहते रहें कि कृष्णानन्द राय और लक्ष्मीरमण आचार्य ऐसे सीनियर मेंबर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। वह बेचारे पहले गवर्नमेंट में थे, इस बार चौधरी साहब ने उनको लिया नहीं....(व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस विधान सभा के प्रति सरकार उत्तरदायी है या नहीं? और अगर है तो इस विधान सभा को सरकार की नीति को जानने का अधिकार है या नहीं। विधान परिषद् में जो प्रस्ताव में परिवर्तन हो गया है तो यह विधान सभा जानना चाहती है सरकार ने उन नीतियों को स्वीकार किया है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि सवा तीन एकड़ तक की लगान माफी उन्होंने दबाव में आ कर किया है, स्वतः वह इसके विरुद्ध हैं। तो यह सरकार जनता को क्या नीतियां देना चाहती है? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था देता हूं, आप बैठ जाइए। नीति जानने का आपको अधिकार है लेकिन नियम के अनुसार और वह नियम के अनुसार यह है कि उसके बारे में आप प्रश्न करें, अल्प सूचित भेजें किसी तरह से भेजें, लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि किसी अखबार में आपने कोई बात पढ़ ली और उस बिना पर आप यहां नीति पूछें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस पर कृपा कर के व्यवस्था दें कि क्या शासन को अधिकार है कि वह इस सदन को धोखे में रख सके ?

श्री अध्यक्ष—

धोखे में रखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नियम के अनुसार आपकी भी चलना जरूरी है। आप जो प्रश्न यहां उठा नहीं सकते हैं वैसे वह व्यवस्था के नाम से उठाते हैं। यह चीज ठीक नहीं है। अगर आप नीति जानना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रश्न पूछें। उन्होंने कुछ कहा है उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप वह भी भेज सकते हैं, लेकिन यह नहीं कर सकते कि अमुक अखबार में यह छपा है लिहाजा नीति बताइए। आप अपने प्रश्न से पूंछिए और जब मैं उस प्रश्न को मंजूर करूं तब आप पूछ सकते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

एक बार आपने व्यवस्था दी थी कि कोई कहीं भी किसी को चकमा दे सकता है। तो उसके अनुसार तो वह सब नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं मानता कि चकमा दे रहे हैं।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

व्यवस्था का प्रश्न कब कब उपस्थित हो सकता है मेरा प्रश्न यह है। जब किसी प्रस्तुत प्रश्न के ऊपर आपकी रूलिंग हो जाय तो वह प्रश्न वहीं समाप्त हो जाता है। सदन के समक्ष कार्यवाही हेतु कोई प्रश्न उपस्थित नहीं रहता। ऐसी व्यवस्था में जब सदन के समक्ष कार्यवाही के लिये कोई आइटम न हो तो उस वेकुअम में क्या कोई प्रश्न इस तरह का आ सकता है। आपने रूलिंग दे दी उसके बाद यहां अनेक व्यवस्था के प्रश्न आए हमें इसका खेद है और हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार व्यवस्था में व्यवस्था के प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था के ऊपर अब कोई बात नहीं हो सकती।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें अब समय जाया न करें।

श्री त्रिवेणी—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न केवल इतना है कि सदन का जितना समय इस प्रकार व्यवस्था के नाम पर खराब किया जाता है इसकी भी कोई व्यवस्था आप करेंगे कि वह खराब न हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको रोक रहा हूं।

५ मार्च, १९७० को बिना समय वृद्धि के प्रस्ताव के ५ बजे के उपरान्त की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

आज सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में कोई सूचना नहीं है। अब कल एक प्रश्न मैंने अपने फैसले के लिये रखा था। ५ तारीख को सदन ५ बजे के बाद चलता रहा और उस दिन ७ मिनट और अधिक कार्यवाही ५ बजे के बाद हुई। तो सवाल यह था कि उस वक्त में जो कार्य यहां हुआ और उस समय सदन का समय नहीं बढ़ाया गया, न अध्यक्ष ने बढ़ाया और न समय प्रस्ताव द्वारा ही बढ़ाया गया और ऐसी अवस्था में वह उस समय की कार्यवाही नियमानुकूल हुई या अनियमित हुई यह सवाल था। उसके बारे में मैंने फैसला देने को कहा था मैंने सभी बातें सुनीं। हमारे यहां अभी तक का तरीका यह रहा है कि जब कोई प्रश्न सदन के सामने आता है, तो उस विषय में नियम ५२ है या नियम ४९ है उसमें हमारे सामने आए प्रश्न उपस्थित करते हैं और अगर किसी में वादविवाद की आवश्यकता मैं समझता हूं तो कह देता हूं कि ५ बजे यह लिया जायगा और उस पर घंटे भर बहस होती है और उसका मतलब है कि वह बहस नियमानुसार ही होती है। एक बार सन् ६६ में भी यह प्रश्न उठा था, उसमें भी यह था कि ५ बजे के बाद कुछ काम होने वाला था, बजट का वक्त था, उस समय यह फैसला दिया गया कि जब श्री राज्यपाल ५ बजे का समय फिक्स करते हैं तो उसके बाद यह कहने की जरूरत नहीं है कि आगे चलकर और कितना समय लिया जायगा जब ५ बजे लिया जाता है तो उसमें कुछ समय तो लगेगा ही लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि ५ के बाद सदन का काम न चले क्योंकि ५ के बाद थोड़ा सा समय लगेगा ही यह तो उसमें निहित ही है, उसकी कोई घोषणा करने की अध्यक्ष को जरूरत नहीं है। क्यों कि नियम १५ जो आपने बताया उसमें भी यह है . . .

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं बोल रहा हूं, आप बैठें। तो उसमें कहीं भी यह चीज नहीं है कि अध्यक्ष जो सदन का संचालन कर रहा है वह इसकी घोषणा करे। यह माना जायगा कि जब अध्यक्ष को १५ मिनट समय बढ़ाने का अधिकार है तो ऐसी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब नियम ५२ में बहस होती है तो वह डेढ़ घंटे तक होती है। तो इस तरह की प्रथा रही है कि जो कार्य एजेंडे पर दिया है उसके हिसाब से अगर कार्य ५ बजे आरंभ होगा तो वह ५ बजे के बाद चलता रहेगा और उसमें कोई अनियमितता नहीं है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि अब की बार कार्यमंत्रणा समिति में तय हुआ और नोटिस सब को दिया गया कि यह ५ बजे रखा जायगा और उसी दृष्टि से वह कार्यवाही में रखा गया और ५ बजे की बात पहले से मालूम थी और उसमें कोई अतिक्रमण नहीं हुआ और भाषण का सिलसिला भी जारी रहा। और उसमें अगर अध्यक्ष ने उसको रोका नहीं तो ठीक है। ५ बजने के बाद १५ मिनट का समय अध्यक्ष को बढ़ाने का भी अधिकार है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई इसमें अनियमितता नहीं हुई है। नियमानुसार ही वह प्रस्तुत हुआ है और उस पर बहस जारी रही।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है परन्तु यह ऐसी व्यवस्था है कि जिससे गड़बड़ी बढ़ जायेगी क्योंकि नियम यह है कि अगर सदन ५ बजे के उपरान्त बैठना चाहे तो सदन संकल्प

द्वारा बैठक के समय को बढ़ाने का प्रस्ताव लाये और कहे कि यह कार्य करना है या अध्यक्ष स्वयं बैठक का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा सकते हैं। श्रीमन्, इससे इन दोनों का उल्लंघन हुआ है। यह उचित नहीं प्रतीत होता कि इन्डाइरेक्ट रूप से परोक्षरूप से यह मान लिया जाय कि हमने यह कह दिया...

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप मेरी व्यवस्था पर बहस कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है। मैं कह चुका हूं कि आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था बाद में चलकर बड़ी कुव्यवस्था पैदा करेगी। इसलिये आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या श्रीमान की व्यवस्था का यह अर्थ है कि यदि सदन चल रहा है और ५ बज जाते हैं तो उसके बाद भी सदन चलता रहेगा। अगर कमी किसी दिशा में बिना प्रस्ताव के या बिना सूचना दिये १५ मिनट तक सदन चलता रहे तो क्या आप कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगर पहले यह तय हो चुका है कि कोई चीज ५ बजे ली जायगी तो रूल्स का रिजिनेबिल इन्टर प्रिटेशन करना चाहिये। यह अनरीजिनेबिल न हो। अगर कोई चीज ५ बजे आरंभ होनी है तो ५ बजे ही वह समाप्त नहीं हो सकती है। कार्यमंत्रणा समिति ने यह कहा कि वह ५ बजे रखा जायेगा और उसको आपको नोटिस भी दे दी गई, राज्यपाल जी ने भी ५ बजे का समय फिक्स किया तो जब वह ५ बजे पेश करते है तो वह चलता रहगा। वैसे भी अध्यक्ष को सदन के समय बढ़ाने का १५ मिनट का अधिकार है। इस संबंध में अध्यक्ष की रूलिंग है जिसको आपने स्वीकार भी किया है। इसमें यह है कि—

"जो मुझे अधिकार है वह १५ मिनट बढ़ाने का है और मैं समय ५ बजकर एक मिनट पर चाहूं तो बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह तय हो चुका है। लेकिने १८४ को जिस तरस से माननीय नेकराम जी ने पढ़ा उसको प्राग्दर्शन में देखते हुए उनकी आपत्ति ठीक मालूम होती है कि "ऐसे दिन पर सभा के समक्ष रखा जायेगा जो राज्यपाल नियत करें"। किन्तु यह भी है कि यदि राज्यपाल समय निश्चित कर दें तो प्रश्न यह है कि वह समय हम मानें या न मानें, यह एक सवाल आता है। जहां तक इस आदरणीय सदन की परम्परा है, इसके पूर्व भी हमने देखा है कि उन्होंने समय निश्चित किया और माननीय राज्यपाल के समय के निश्चयानुसार हमने बजट लिया। तो उन परंपराओं का आधार रखते हुए, नेकराम जी, हम इसको ठीक समझते हैं तो आपत्ति उठी। अध्यक्ष ने कहा कि "पिछली परम्पराओं का आधार रखते हुए, हमने इसको स्वीकार किया है और उसी के अनुसार कार्य किया गया है।

यही हालत है। "नेकराम जी ने यह कहा था" कि विधान सभा की नियमावली के नियम १८४ के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि १८४ के अन्त में लिखा हुआ है "शैल बी प्रेजेन्टेड टु दि असेंबली आन सच डे एज दि गवर्नर में अपोइन्ट"। तो इसमें समय का जिक्र नहीं है। गवर्नर को इतना अधिकार है कि दिन निश्चित कर दें लेकिन यह अधिकार नहीं है कि समय ५ बजे या ६ बजे कर दे। विधान सभा के जो नियम हैं उनमें नियम १६ में

[श्री अध्यक्ष]

है कि हमारी सिटिंग जो होगी वे ११ से ५ बजे तक होंगी। उसके पश्चात् नहीं। तो जब तक इस सदन में कोई प्रस्ताव न लिया जाय और कोई समय न बढ़ाया जाय तब तक यह प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ५ बज गये हैं। सभा भंग हो गई इस समय ५ बजे के बाद कोई समय नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए यह पेश नहीं किया जा सकता है। यह आपको अधिकार था कि १५ मिनट का समय बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने उसकी भी घोषणा नहीं की। अतः इस समय बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता"। इस पर अध्यक्ष ने यह फैसला लिया कि जो हमने किया है वह ठीक है। तो जो भाषण शुरू किया वह चलता रहा। पहले भी यह हुआ है। १५ मिनट का इसीलिए अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि जो काम शुरू हो गया हो उसमें बीच में कोई रुकावट न पड़े। जब उन्होंने पढ़ने की इजाजत दे दी तो पढ़ते रहे और उन्होंने पूरा किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि वह उनकी अनुमति से पढ़ा गया। उसके लिये कोई घोषणा ही करने की जरूरत नहीं थी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

एक सदस्य—

आपकी व्यवस्था पर व्यवस्था कैसी ?

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सदन चलता हो तो निश्चित रूप से श्रीमान् यह कह देते हैं ५ बजकर १ मिनट पर कि इतना समय मैंने बढ़ा दिया है या यह कह देते हैं कि जब तक यह विषय समाप्त न हो तब तक के लिये समय बढ़ा दिया है। तो क्या अब साधारणतया इस नियम का भी पालन नहीं करेंगे ? अगर ५ बजे का समय किसी चीज के लिये नियत कर दिया गया है तो क्या यह भी होगा कि वह आगे उसके बाद तक चलना रहे और आप सदन को समय बढ़ाने की कोई सूचना न दें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

५ बजे अगर कोई कार्य शुरू होने वाला है तो उसका मतलब यही है कि वह आगे तक चल सकता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

नियमों के अनुसार आप १५ मिनट का समय बढ़ा सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद भी आपको समय बढ़ाने का अधिकार है। उसके बाद भी क्या आप सदन की बिना स्वीकृति के समय बढ़ा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अगर पहले से टाइम फिक्स है किसी चीज के लिये तो वह कार्य चलता रहेगा, उसके लिये समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कोई चीज पारित हो जाती है तो उसके अनुसार सबको सूचना दे दी जाती है। एजेंडे में लिख दिया जाता है अन्डर लाइन करके कि ५ बजे के बाद। जैसे नियम ५२ वगैरह के प्रस्तावों के लिये आपने देखा है कि वे लिए जाते हैं, उसके लिये अलग से समय नहीं बढ़ाया जाता। अब जो प्रथा पहले से चली आ रही है या जो नियम आदि हैं उनको आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिये सदन से प्रस्ताव पारित कराना होगा। नहीं तो जो प्रथा चली आ रही है वह चलती रहेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

वह मैंने स्पष्ट कर दिया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आप स्पष्टीकरण के नाम से चिढ़ते क्यों हैं ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष के लिए इन शब्दों का प्रयोग कि "चिढ़ते क्यों हैं" श्रीमन्, नहीं किया जा सकता, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

शब्द क्या कहें ।

श्री महीलाल---

"आप माननीय अध्यक्ष मुझ से चिढ़ते हैं" क्या इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो इन्हें माननीय सदस्य वापस लें । आप इसे वापस करवाइये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसके बारे में मैं निवेदन करता हूं, निवेदन यह है कि.....

श्री अध्यक्ष---

आपने 'चिढ़ने' का शब्द कहा या नहीं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जी हां, मैंने कहा । मैंने यह कहा कि मैं जब-जब खड़ा होता हूं, तो आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे मालूम होता है कि आप मुझसे चिढ़ते हैं । जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं तो आप जब खड़े हो जाते हैं तो हमें बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष---

आप अपने शब्द वापस लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अच्छा वापस लेता हूं । मैं आपके आदर में कभी गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूं न कभी की है और न करता हूं । मैं आपका ध्यान कुछ नियमों की ओर खींचना चाहता हूं हमारे यहां जो नियमावली है, उसमें सरकारी और असरकारी कार्य में विभेद किया गया है, एक डिस्टिंक्शन किया गया है । सरकारी कार्य के लिए समय निश्चित है ११ बजे से ५ बजे तक---साधारणतया जिस समय सदन बैठता है उस समय में बैठेगा। और इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ेगी तो नियम १५ के अनुसार आप उसे बढ़ा सकते हैं । किन्तु जो असरकारी कार्य हैं उनके लिए ऐसा नहीं है । आपने जिन नजीरों का हवाला दिया है वे सब असरकारी कार्य से सम्बन्धित हैं । जहां तक गवर्नर के तिथि नियत करने की बात है, यह उनका अधिकार है । गवर्नर साहब एक तिथि निश्चित कर सकते हैं, लेकिन जब वह तिथि निश्चित हो जाती है तो उसका मतलब साफ हो जाता है कि उस तिथि को निश्चित समय में ही वह काम होगा । ऐसी स्थिति में यदि आपने ५ बजे लिख दिया और कह दिया कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो प्रस्ताव किया था, सदन ने उसे मान लिया---यह समझ में नहीं आता । मैं कहना चाहूंगा कि वह प्रस्ताव पास हो गया,

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

एजेन्डे में लिख गया, लेकिन इसके बावजूद यह औपचारिकता और नियम जो इस सम्बन्ध में हैं उनका पालन करना पड़ेगा, जिसके अनुसार आप जब समय बढ़ावेंगे खुद उसका ऐलान कर देंगे आवश्यकतानुसार या फिर आप सदन का संकल्प करा लेंगे। तो मैं आप से गुजारिश कर रहा हूं और आप से करबद्ध निवेदन है कि इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी व्यवस्था का पुनः सुधार लें तो हमेशा के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यह समझा जाएगा कि नियमानुकूल यह चीज नहीं हुई है। आप इन बातों की रोशनी में अपनी व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर लें।

श्री अध्यक्ष---

यदि कोई नियम परम्परा पुरानी चली आ रही है तो आप उसके लिए मुझसे मेरे चेम्बर में आकर डिस्कस करें और मुझे कनविंस करें तो मैं सदन की राय से परम्परा को बदलूंगा अन्यथा नहीं। इसके अलावा अन्य को इसके बदलने की आवश्यकता नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

काफ भी मैंने कहा था लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया, क्या आज हमें समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आज, हां दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना (समागत)†

श्री अध्यक्ष---

यहां प्रिविलेज का जो सवाल है, उसमें कल दूसरा संशोधन देने के लिए मैंने माननीय सदस्य राजमंगल पांडेय से कहा था, वह उन्होंने मुझे दे दिया है। वह मैं आपके सामने रख देता हूं---परसों ५-३-७० को सदन में घटित "घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें पांच बज कर पांच मिनट अपराह्न जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे उस समय माननीय श्री शिवदास, सदस्य विधान सभा ने अध्यक्ष आसन पर जाकर माननीय उपाध्यक्ष को पीठासन से घसीटना शुरू कर दिया और यदि उस समय और सदस्य दौड़कर पीठासन के निकट न पहुंच जाते तथा श्री शिवदास को न रोकते तो माननीय उपाध्यक्ष को चोट आ जाती। इस प्रकार की शिवदास ने सदन के कार्य में बाधा डाली तथा माननीय उपाध्यक्ष के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया और साथ ही सदन का अवमान किया। अतः मैं अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं---

"यह सदन निश्चय करता है कि श्री शिवदास, सदस्य, विधान सभा, इस सदन के प्रत्यक्ष अवमान के दोषी हैं अतः इन्हें सदन की सदस्यता से निष्कासित किया जाय"।

तो इस प्रकार के दो हिस्से हैं। एक तो क्या शिवदास अवमान करने के दोषी हैं ? इस पर निर्णय आपको करना है। दूसरे, जब दोषी होने का आप निश्चय कर लें तो उसके बाद क्या दंड देना चाहिए यह आप तय करेंगे।

श्री नित्यानन्द गोस्वामी (जिला देहरादून)---

इसमें एक व्यवस्था है।

---

† ९ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष---

मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपने जो शिकायत पत्र पढ़ा है इसमें एक व्यवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष---

आप पहले सुन लें।

(श्री बांकेलाल के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये।

यह संशोधित प्रस्ताव उन्होंने दिया है। इसको मैंने माननीय सदस्य श्री शिवदास जी के पास भेजने का प्रयत्न किया लेकिन वह नहीं मिल सके। उनके दस्तखत नहीं हो पाये। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि सदन में गरमागरमी नहीं होनी चाहिए, जहां पर विशेषाधिकार का प्रश्न आ जाय और इसीलिए कल मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही थी कि कोई भी किसी किस्म की त्रुटि न रह जाय। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसमें भी जो दंड के लिए प्रस्ताव किया गया है, जो सबसे अधिक दंड दिया जा सकता है, उसका जिक्र किया गया है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, इधर वालों से भी और उधर वालों से भी, कि शान्ति से इस विषय पर विचार करें। दो हिस्सों में इस पर विचार किया जायगा। एक तो यह है कि क्या सम्बन्धित सदस्य दोषी हैं, यह पहले आपको निर्णय करना है। दूसरे, जिस प्रकार से उन्हें आप दोषी समझते हों उस प्रकार से आप यह कर सकते हैं, कि अमुक दोष हुआ है यह दंड देना चाहिए या दूसरा दंड देना चाहिए। यह भी आप कर सकते हैं। यह मैंने इसकी व्यवस्था दी है। आप कृपया शान्त होकर बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक और सुझाव देता हूं। एक और तरीका है। आज और कल दो रोज बहुत से बिल हमारे सामने मौजूद हैं, अगर आप थोड़ा समय ज्यादा लेना चाहते हैं तो मैं दूंगा लेकिन तब दूंगा, जब और जो कार्य है उसको ले लें आज, बिल वगैरह को आज ले लें और दूसरा काम जो है वह कल के लिए रखें। तो ज्यादा समय मिल सकता है।

मैं माननीय कमलापति जी से पूछूंगा कि अगर आप पसन्द करते हों तो इसके अनुसार आगे बढ़ें। नहीं तो आज साढ़े तीन बजे का समय रखूंगा क्योंकि इस बीच में थोड़ी देर के लिए मैं चला जाऊंगा। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष जी यहां बैठेंगे, तो उस वक्त दूसरी बात होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि उपाध्यक्ष से सम्बन्धित प्रत्यक्ष मामला है तो मैं बैठूं यह ज्यादा अच्छा होगा। एक बजे का समय हो गया है। साढ़े तीन बजे मैं बैठूंगा, अगर साढ़े तीन बजे होगा, या कल होगा तो कल ज्यादा समय मिल सकेगा। सरकार की तरफ से मैं मुख्य मंत्री जी से और कमलापति जी से क्योंकि ये दो मुख्य घटक हैं पूछूंगा, अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें तो शान्त वातावरण में बहुत काम हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि लोगों से कह कर कि शान्त वातावरण में विचार करें और व्यवस्था कायम रखें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, आपने मुझको संकेत क्यों किया यह बात मेरी समझ में नहीं आई इस विषय में जो नेता सदन हैं और नेता विरोधी दल हैं इन दोनों की राय हो जानी चाहिये। मैं समझता हूं जब इन लोगों की राय हो जाय तो हमको उसे स्वीकार करना चाहिये। एक दिन इसको और टाल देना यदि आप ठीक समझते हैं तो मैं समझता हूं इसमें कोई खास बात नहीं है। इस बीच में यह भी हो कि अभी तक माननीय शिवदास के पास वह सूचना पहुंच नहीं पाई है तो यह अन्तिम प्रयास और कर दें कि यह नोटिस उनके पास पहुंच जाय ताकि यह प्रश्न न उठे कि उनको यह सूचना नहीं मिली। मैं नहीं समझता कि इसमें नेता सदन को कोई आपत्ति होगी और वह भी इसको स्वीकार कर लेंगे।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मान्यवर, जब सारे सदन के अवमान का प्रश्न होता है तो वह किसी दल का प्रश्न नहीं होता है। जब एक ऐसी घटना हुई है तो उसके सम्बन्ध में किसी ने यह नहीं कहा कि यह घटना नहीं हुई या जो कुछ हुआ वह खेदजनक या दुखद नहीं हुआ। सबने उस घटना को खेदजनक और बुरा माना है। जायसवाल जी ने स्वयं कहा कि वह घटना अशोभनीय हुई। उन्होंने अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया। सबने इसी तरह की घटना इसको माना है। जब ऐसी घटना यहां पर हो गई तो बहुत से कानून के पंडित लोग यहां पर हैं, मैं तो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं और कानून तो बहुत कम जानता हूं। यहां पर कृष्णानन्द राय जी और लक्ष्मीरमण जी आचार्य हैं जो कानून के पंडित हैं। कानून के पंडितों का तरीका यह होता है कि जिस किसी केस को वह लें लें तो फिर वह उसी केस को साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर वह इस पक्ष में होते तो वह इसी पक्ष की बात साबित करने का प्रयास करते और उस पक्ष में हैं तो उसकी बात साबित करने का प्रयास करते हैं। यह बुद्धिविलास है। यह श्रीमन्, ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसमें बुद्धिविलास से काम लिया जाय। उधर से कहा गया कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये इस तरह की परम्परा नहीं बननी चाहिये। इसी प्रकार से मेरा भी यह निवेदन है कि इसमें बहुत कानूनी बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न पर बहुत शान्ति से विचार करना चाहिये कि क्या होना चाहिये। इसलिये मेरी राय यह है कि कल तक आपने समय दिया है ठीक है लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि एक घटना हुई और वह घटना अशोभनीय हुई। उसके लिये सदन उनको दंड देगा जो मुनासिब समझेगा। सदन को पूरा अधिकार है कि उनको दण्ड दे और सदन को यह भी अधिकार है कि उनको क्षमा कर दे। जो चाहेगा सदन करेगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का काम भी होना चाहिये। यह एक मौलिक प्रश्न है। २६ तारीख से यह सदन बैठ रहा है। मैंने देखा है कि सदन का काम नहीं हो रहा है। यह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। यह किसी को पसन्द नहीं आ सकता है कि जनता के धन का इस तरह से दुरुपयोग किया जाय। इस प्रश्न पर भी आप विचार कर लें। हमारे नेता विरोधीदल और दूसरे विरोधी दल के नेता भी और हमारे नेता सदन भी एक बार यह निश्चय कर लें कि इस सदन का काम कैसे चले। अगर यही हाल रहा और २० दिन तक यह सदन चला और काम कुछ नहीं हुआ तो इसको कोई भी पसन्द नहीं करेगा। आपने कल के लिये यह प्रश्न को टाल दिया। इस बीच में समय का प्रयोग इसके काम के लिये हो तो उचित होगा। अशोभनीय घटना हो गई वह किसी खास दल से संबंध नहीं रखती है। अगर उस संबंध में दंड देना हो तो उस पर विचार करके सदन उनको दंड दे। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस विषय में भी हल निकालें नेता सदन से बात करके कि भविष्य के लिये ऐसी पद्धति निकालें जिससे सदन का काम चल सके। विरोधी दल को अधिकार है अगर वह वैकल्पिक सरकार कोई बना सकता है तो इस सरकार को हटा कर वह बना सकता है। उसके लिये जो प्रयास करना चाहिये वह करें लेकिन जब तक वह चल रहा है तब तक सदन का काम तो चलता रहे, इस विषय पर विचार होना चाहिये। आगे भी बजट सेशन आयेगा। इसके लिये रास्ता निकालना चाहिये क्योंकि पिछले १५ दिनों में ऐसी घटनायें घटीं जो मैं समझता हूं कि सभी के लिये खेदजनक हैं। लिहाजा इस पर विचार करने की चेष्टा की जायगी।

श्री गिरधारीलाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस बात को कहना चाहता था और कमलापति जी ने उसे बहुत अच्छी तरह से यहां रख दिया है। मैं नेता सदन से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि हमको कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिये ताकि भविष्य में अच्छे ढंग से, सुचारु रूप से, सभ्यता तथा शिष्टतापूर्वक हम अपने सदन के कार्य को चला सकें। दुःख की बात है कि हमारे देश में बहुत से सूबों के अन्दर ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे अन्देशा है कहीं उनका कुप्रभाव हमारे प्रदेश पर भी न पड़े। इसके लिये मैं अच्छा यही समझता हूं कि हम लोग खुले दिल से आपके चेम्बर में या जिस स्थान पर भी आप उचित समझें बैठ कर बातचीत कर लें और यह निर्णय लें कि हम सदन को किस तरह से अच्छी तरह से चला सकते हैं। वैसे तो ऐसी घटनायें पहले भी हो चुकी हैं और उनके लिये

कुछ न कुछ रास्ता निकल आया लेकिन हमेशा के लिये कोई रास्ता निकल आये इसके लिये मैं आप से और नेता सदन से दरख्वास्त करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अगर सही समझ पाया हूं तो वह यह है कि माननीय त्रिपाठी जी का प्रस्ताव यह है कि आज यह मामला मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसे कल लिया जाय और बाकी जितने काम हैं उन पर आज चर्चा होती रहे।

श्री चरणसिंह—

इसमें मुझ कोई अपत्ति नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

जैसा नेता विरोधी दल ने कहा और लोगों को बुला कर भी बातचीत कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरा काम है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर)—

कल भी मैंने इसके बारे में प्रार्थना की थी कि इस घटना को हाउस के बाहर निबटा लें तो सदभावना से निपट जायगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि यह सब मेरा काम है।

नियम ५१ की सूचना के बारे में जानकारी

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

कल मैंने एक प्रस्ताव दिया था और आपने आदेश दिया था उसके मुताबिक पेपर की कटिंग भी पेश कर दी है।

श्री अध्यक्ष—

वह मेरे पास आज सबेरे ही पहुंची है। मैं उसे पढ़ नहीं पाया। मैं कल व्यवस्था दूंगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में ३ अधिवेशन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

रामचन्द्र बिकल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार जारी था। कल कहा गया था कि आपस में कार्य मंत्रणा समिति में बातचीत करके तफसिया होगा तो क्या उस पर कई संशोधन उपस्थित किया जा रहा है।

(श्री महीलाल जी का नाम पुकारे जाने पर)

---

† ९ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

श्री रामचन्द्र विकल (जिल बुलन्द शहर)--

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैठ कर कोई सर्व सम्मत प्रस्ताव किया जाय ऐसा यहां कहा गया था और मैंने उसे सदन में मान लिया था। आधा घंटा बाहर मैं बैठा रहा तब यह तय हुआ कि शाम को बैठ कर हम कोई सर्व सम्मत प्रस्ताव कर लेंगे। किसी ने यह बात नहीं कही कि सर्व सम्मत प्रस्ताव हम, क्या लाने वाले हैं? मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव मेरा है ....

श्री अध्यक्ष--

आप उसको स्वीकार नहीं करते। फिलहाल इसको स्थगित किया जाय। आगे की जो कार्यवाही है उसे पहले ले लेंगे और फिर इस पर बातचीत हो जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल--

लेकिन सर्वसम्मति हो तो ठीक है वरना बहस हो जाय।

(इस समय १ बज कर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विकल जी का प्रस्ताव स्थगित हुआ।

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कितनी देर के लिए स्थगित हुआ है यदि इस तरह से यह रोज स्थगित होगा तो इस पर निर्णय कैसे होगा। मुझे दिक्कत होती है। यह कल स्थगित हुआ। फिर शाम के लिये समय दिया गया। अब इतना बतला दीजिये कि कितनी देर के लिये स्थगित कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी तरफ से कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित करने के लिए कहा। यदि आप चाहें तो इस समय ले लेंगे। आपके प्रस्ताव के संबंध में अध्यक्ष जी ने कहा कि शायद कोई रास्ता निकल आये इसलिये इसको बाद में ले लिया जाय। लेकिन यदि आप चाहते हों तो इसको पहले ले लिया जाय।

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, यह थोड़े समय के लिये स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विकल जी का प्रस्ताव साढ़े चार बजे तक के लिये स्थगित कर दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (क्रमागत)†

खंड ३

नयी धारा ४-क का बढ़ाया जाना

३--मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार

"४-क--राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी मद को बढ़ा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है, और तदुपरान्त अनुसूची तदनुरूप संशोधित हो जायगी।

---

†९ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि 'खंड ३ में "४-क" के स्थान पर २ (२) रखा जाय।' मंत्री जी इसको देख लें। इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि वह इसको मान लेंगे क्योंकि इसके पूर्व खंड २ में यह मान चुके हैं कि जहां ४ रखा है वह बिल्कुल गलत है। जो मूल अधिनियम है उसमें खंड २ है और २ में बहुत से खंड हैं। इसलिये दूसरे खंड में २ (२) कर दिया जाय तो उपयुक्त होगा। यह २ खंड का ४-क उपयुक्त नहीं होता।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

मान्यवर, यह बात सही है कि विधेयक की दफा २ (क) है उसमें कृषि उत्पादन विषय दिया हुआ ह, उसकी परिभाषा दी हुई है, उसका उल्लेख है। इसलिये यह ठीक लगता है। इसके बाद ही वह धारा है जिसमें राज्य सरकार अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त करे वह उसके तत्पश्चात् है। लेकिन कानूनी राय यह है कि ड्राफ्टिंग प्रिंसिपिल्स के अनुसार इस तरह के अधिकार रहने के संबंध में एक धारा अलग से होनी चाहिये।

श्रीमन्, इसलिये मैं उसको उपधारा बनाने के पक्ष में नहीं हूं और जिस प्रकार से इस विधेयक में है, उसी प्रकार से रखने का मेरा मत है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा उससे काम नहीं चलेगा। आप मूल अधिनियम की धारा ४ को देखें। धारा ४ में 'रिपगनेंसी विद अदर ला'। इस समय इसको दो उपखंड हैं। अगर इसको आप ४ में ही रखना चाहते हैं तो ४ (३) कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग बिल्कुल गलत मालूम पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष---

कृषि मंत्री इसको कृपया देख लें।

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, इसको ४ (३) कर दिया जाय, यह मुझे स्वीकार है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

लेकिन वहां वह ठीक नहीं रहेगा। यहां कौन-सी रिपगनेंसी है। धारा ८ का (१) (ए) देखिये। इसके अन्त में इसको जोड़ा जा सकता है। जो चीज आप ४ (क) करके जोड़ना चाहते हैं वह वहां आलरेडी एक्जिस्ट करती है। ८ (१) (ए) के बाद आप यह रख सकते हैं "यदि सरकार समझे तो कुछ वस्तुओं को जोड़ सकती है या घटा सकती है"। अगर आपको जोड़ना ही है तो यहां जोड़ दीजिये। धारा ४ में जोड़ना ठीक न होगा।

श्री शिवराज सिंह---

माननीय सदस्य का सुझाव ठीक मालूम पड़ता है। यह अधिकार मूल अधिनियम की धारा ८ (१) (अ) में दिया हुआ है, इसलिये यह वहीं ठीक रहेगा। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

फिर आप यहां से उसको वापस ले लीजिये और जब धारा ८ आये तब इसको ले लिया जायगा।

श्री शिवराज सिंह---

मूल अधिनियम की धारा ८ (१) के स्थान पर यह रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

मूल अधिनियम जो है उसके खंड ३ में जो संशोधन रक्खा गया है उसमें यह रक्खा जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी---

मैं वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

धारा ७ का संशोधन।

४---मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:---

"७---धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मण्डी क्षेत्र के ऐसे भाग को जो निर्दिष्ट किया जाय प्रधान मंडी स्थल और ऐसे अन्य भागों को जो निर्दिष्ट किये जाय, उप-मण्डी स्थल घोषित कर सकती है।"

श्री उपाध्यक्ष---

अब खंड ४ लिया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी---

जो संशोधन विधेयक में दिया गया है उसमें कुछ शब्द हटा दिये गये हैं। जो पहले था वह उचित था। आप मंडी में क्या करते हैं यह डिफिनीशन में आता है तो आप इसको क्यों निकालना चाहते हैं। जो चीज इसमें दी है वह आपने मंडी की डिफिनीशन में दी है, तो इसको निकालना नहीं चाहिये। मूल धारा ७ जसी है वसी ही रक्खी जाय।

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, इसका उद्देश्य यह है कि क्रय-विक्रय बढ़ रहा है तो मंडियों में मार्केट और सब मार्केट के क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान नियमों में केवल उन्हीं स्थानों को मार्केट या सब मार्केट घोषित किया जा सकता है जहां यह कार्य हो रहा ह। आवश्यकता यह है कि जहां यह कार्य नहीं हो रहा है लेकिन समीप हैऔर आवश्यकता है कि उन स्थानों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय। इसलिये यह प्रतिबन्ध कि केवल वही हिस्से मार्केट में सम्मिलित किये जा सकते हैं जहां क्रय-विक्रय हो रहा है यह प्रतिबन्ध निकाल दिया गया ह और यह अधिकार लिया ह कि जहां आवश्यकता हो भले ही वहां आज नहीं हो रहा हो, आवश्यकता अनुसार वह भी इसम शामिल कर लिये जायं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन की उपयोगिता से माननीय सदस्य सहमत होंगे और अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो तर्क दिया है उस पर वोट ले लिया जाय। मंत्री जी ने समझा यह है कि मैं शायद इसका क्षेत्र बढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं ह। मूल अधिनियम में से धारा ७ की एक लाइन निकाल दी गई ह। तो अगर मंत्री जी समझते हैं कि इससे क्षेत्र का विस्तार हो रहा है ऐसा नहीं है। क्षेत्र का विस्तार मूल धारा जैसी थी वैसा ही रक्खा गया है। इसमें विस्तार का प्रश्न नहीं है। इसमें दिया है "where sale purchase.....is carried on."

केवल इतना ही निकलता है। इससे क्षेत्र का विस्तार नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष---

हिन्दी का आपके पास नहीं है?

श्री हरिनाथ तिवारी---

जी नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मान्यवर, संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

धारा १० का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "और जो धारा १४ के अधीन समिति के संघटन के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत होने के पहले का न होगा" निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

धारा १३ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

(१) उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (६) में शब्द "व्यापारियों, दलालों और आढ़तियों के तीन प्रतिनिधि" के स्थान पर शब्द "व्यापारियों के दो प्रतिनिधि और आढ़तियों का एक प्रतिनिधि" रख दिये जायं;

(२) खण्ड (७) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्—

"(७) मंडी क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली गांव सभाओं के प्रधानों द्वारा निर्वाचित मण्डी क्षेत्र के आठ उत्पादक;

(७-क) मंडी क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे दो से अनधिक उत्पादक जो अनुसूचित जातियों के हों;";

(३) खण्ड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(८) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सरकारी अधिकारी, जिनमें से एक कृषि विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा;"; और

(४) खण्ड (८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(९) मण्डी-क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली समस्त क्षेत्र समितियों की उत्पादन समितियों के सभापति";

(२) उपधारा (३) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "खण्ड (४), (५) और (८) के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "खंड (४), (५), (७-क) और (८) के अधीन" रख दिये जायं; और

(३) उपधारा (१२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:---

"(१३) उपधारा (१) के खण्ड (८) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य को समिति की किसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा।"

श्री हरिनाथ तिवारी---

मान्यवर, मैं यह प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ (१) (१) में शब्द "व्योपारियों के दो प्रतिनिधि और आढ़तियों का एक प्रतिनिधि" हटा दिये जायं और शब्द "व्योपारियों, दलालों व आढ़तियों के १-१ प्रतिनिधि" रखे जायं।

खंड ६ (१) (३) "राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा" के आगे "जिनको मतदान का अधिकार होगा" बढ़ाया जाय। इसमें श्रीमान जी, जो मैंने प्रति दी थी उस में ना था जो छू गया हूँ। इसमें यह कर दिया जाय कि "जिनको मतदान का अधिकार नहीं होगा"।

इसमें तीन प्रकार के लोग हैं व्योपारी, दलाल और आढ़ती। इसमें दलाल नहीं है। इससे श्रीमन्, सबको प्रापर रिप्रजेन्टेशन नहीं मिल पायेगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि तीनों प्रकार की संस्थाओं के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। एक व्योपारी, एक दलाल और एक आढ़तिया कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि अगर एक संस्था नहीं होगी तो उसका काई रिप्रजेन्टेशन नहीं होगा इसलिये हर संस्था से एक-एक प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है।

श्री शिवराज सिंह---

मूल अधिनियम की धारा १३ के खंड ६ में तीन-तीन प्रतिनिधि हैं। वे प्रतिनिधि ट्रेड के रखे गये हैं। परिवर्तन यह कर दिया गया है कि उसका बटवारा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के ज्यादा आ जायं। इस आशय से व्योपारियों के २ प्रतिनिधि और आढ़तियों का एक है। प्रश्न है कि दलालों के प्रतिनिधि नहीं रखे गये हैं। दलालों के प्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसी कारण से उनके प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं है और उनका कोई प्रतिनिधि नहीं दिया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसको माना है कि वहां पर तीन संस्थायें हैं और तीन प्रतिनिधि रख दिये गये थे। आपने यह कह कर उसे समाप्त कर दिया कि दलाल की क्रय-विक्रय के काम में आवश्यकता नहीं होती है। यह समझ कर आपने दलाल शब्द को काट दिया है। जहां क्रय-विक्रय होता है वहां दलाल और आढ़ती दोनों की आवश्यकता होती है। अगर आढ़तियों की संख्या अधिक हो गयी तो दलालों का एक भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा। इस कारण एक-एक प्रतिनिधि हर संस्था का होना चाहिए। यह सोच कर इसमें यह संशोधन किया गया है। अगर तीनों एक ही संस्था के हो जायेंगे तो दूसरों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो पायेगा। इसलिए तीनों संस्थाओं का एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

खरीद-फरोख्त के बीच दलाल की भी एक एजेन्सी है, जो व्यापार को बहुत ही सहज बनाती है। यह एजेन्सी हमारे उत्तर प्रदेश के मार्केट को खत्म नहीं कर रही है। जहां कहीं भी दलाल शब्द इसमें है वह ठीक है और दलालों का एक प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए। इस प्रकार की एजेन्सी खत्म नहीं होनी चाहिए। इस एजेन्सी के द्वारा खरीदने वालों और बेचने वालों दोनों को ही सुविधा मिलती है।

श्री शिवराज सिंह—

क्रय-विक्रय में बेचने वाला और खरीदने वाला केवल ये दो ही होते हैं। इसलिए इन दोनों वर्गों के प्रतिनिधि रखे गये हैं। तीसरा वर्ग दलाल का होता है जो केवल सहायतार्थ होता है। उसका संबंध क्रय-विक्रय से बिल्कुल नहीं है और उसका कोई इन्ट्रेस्ट उसमें नहीं होता है। जब उसका कोई इन्ट्रेस्ट है ही नहीं तब उसके इन्ट्रेस्ट को वाच करने की क्या जरूरत है? यदि हम दलाल को रखते हैं तो फिर पल्लेदार और झाड़ू देने वालों को भी रखेंगे, क्योंकि वे भी क्रय-विक्रय के काम में सहायता करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि दलालों के प्रतिनिधि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, उनका नाम हटा दिया गया है। मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मानेंगे कि ये तीनों शब्द उपयुक्त हैं और ये तीनों ही संस्थाएं क्रय-विक्रय में भाग लेती हैं। यह कहना गलत है कि वे बेचने और बिकवाने में भाग नहीं ले रही हैं। अगर उपयुक्त नहीं था तो फिर दलाल शब्द को ही क्यों रखा गया। दलाल तो पहला ही व्यक्ति है जो भाग लेता है। वह माल बिकवाने में सहायक होता है। इसलिए उनका इन्ट्रेस्ट माल बिकवाने में है और उनका रहना बहुत आवश्यक है। आप कहते हैं कि दलालों और आढ़तियों में से एक प्रतिनिधि होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि दलालों का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। मेरे विचार से तीनों संस्थाओं में से प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का मंशा समझ नहीं पा रहा हूं। माननीय सदस्य दलाल को रखने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो संशोधन इस विधेयक में है उसके शब्दों पर गौर फरमायें। मूल अधिनियम में दलाल का शब्द था। अब जो प्रस्ताव विचारार्थ है उसमें केवल व्यापारी और आढ़ती का शब्द है। दलाल का शब्द ही हमने निकाल दिया है। इसलिए मुझे वह संशोधन जो माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं, स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ (१) (१) में शब्द "व्योपारियों के दो प्रतिनिधि और आढ़तियों का एक प्रतिनिधि" हटा दिया जाय और शब्द "व्योपारियों, दलालों व आढ़तियों के १-१ प्रतिनिधि" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी—

दूसरा संशोधन खंड ६ (१) (३) में है जो इस प्रकार है कि खंड ६ (१) (३) "राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा" के आगे "जिनको मतदान का अधिकार न होगा" बढ़ाया जाय। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा उन्होंने इसमें यह बढ़ाया है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि "(१३) उपधारा (१) के खंड (८) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य को समिति की किसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा।"

तो आप यहीं पर उसे ऐड कर दें। एक और उपधारा न बढ़ावें क्योंकि उसी से आपका पूरा काम चल सकता है। इसमें नयी उपधारा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिये उपयुक्त जगह यही है। इसमें आप ऐड कर दें कि नाम निर्दिष्ट सदस्य को मतदान करने का अधिकार न होगा।

श्री शिवराज सिंह---

प्रस्तावित धारा जो मूल अधिनियम की धारा १३ में संशोधन करने के लिये है उसका सम्बन्ध समिति के गठन से है। प्रस्तावित धारा में इसको सम्मिलित कर देना ठीक न होगा। उसके लिये अलग से उपधारा की आवश्यकता होगी। इसी लिये आप देखेंगे कि प्रस्तावित विधेयक की धारा ६ (३) में अलग से इस बात का जिक्र किया गया है। सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट जो दो सरकारी कर्मचारी होंगे उनको वोट देने का अधिकार न होगा। उसके लिये अलग से प्राविधान करने की आवश्यकता होगी। इसलिये मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री हरिनाथ तिवारी---

इसमें कोई कांस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं दिया हुआ है कि जहां किसी समिति के अधिकार को बढ़ाने की जरूरत हो वहीं संशोधन रखा जाय। मूल अधिनियम के १२ पैराज हैं और १३वां पैरा और जोड़ना चाहते हैं। हमारा कहना है कि यहां पर जो दो नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति रखे गये हैं उनका अधिकार रहेगा, उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इसलिये नयी धारा रखने का कोई औचित्य नहीं है और न कोई कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी ही है।

श्री शिवराज सिंह---

इससे ऐक्ट की खूबसूरती ज्यादा रहेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी---

इस तरह से तो ऐक्ट बढ़ता चला जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ६ (१) (३) "राज्य सरकार ....का प्रतिनिधि होगा" के आगे "जिनको मतदान का अधिकार न होगा" बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी---

श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन "खंड ६ (३) समस्त हटा दिया जाय" वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

धारा १४ का संशोधन

७---मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्:---

"(१)---राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के, या धारा ८ की उपधारा (२) के खण्ड (क) में उल्लिखित नयी समिति, के सभापति तथा उप-सभापति सहित, सभी सदस्यों की नियुक्ति, उन व्यक्तियों में से करेगी जो राज्य सरकार की राय में धारा १३ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उप-युक्त हों।"

प्रथम समिति या नयी समिति का संघटन

श्री हरिनाथ तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ७ में शब्द "और सदैव से रखी गयी समझी जाय" हटा दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको सरकार रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट देना चाहती है। सन् ६४ से अब तक उन वस्तुओं का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मेरे विचार से इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफैक्ट नहीं देना चाहिये।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर इस संशोधन का तात्पर्य मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। श्रीमन, राष्ट्रपति द्वारा एक अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) के नाम से सन् ६८ में हुआ। यह विधेयक राष्ट्रपति के अधिनियम को पुनर अधिनियमित करने क उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। यदि ये शब्द निकाल दिये जायंगे तो क्यों कर हम राष्ट्रपति के अधिनियम को पुनर अधिनियमित कर पायेंगे। श्रीमन, यह आवश्यकीय है राष्ट्रपति के अधिनियम को पुनर अधिनियमित किया जाय इसलिए ये शब्द रखना आवश्यक ह और मुझे खेद ह कि मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय मंत्री महोदय ने शायद इसका अध्ययन नहीं किया। यह है प्रथम समिति और नई समिति का गठन। यह आप ७० में पास कर रहे हैं। इससे ६४ से क्या मतलब होगा। प्रथम समिति और नई समिति का गठन है। यह ६४ में गठन होने जायेगा नहीं, पीछे नहीं जायगा। ७० में जो प्रथम समिति गठित होंगी वे ७० से लागू होंगी। इसलिए यह शब्द बिल्कुल रिडेंडेन्ट हैं और यह ड्राफ्टिंग की गलती है। इसको दुरुस्त कर लिया जाय।

श्री शिवराज सिंह—

मैं पुनः माननीय सदस्य को समझाऊंगा आपके माध्यम से कि राष्ट्रपति द्वारा एक अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) के नाम से ६८ में हुआ। उसके बाद से जो कार्य हुए उनको हम क्यों कर विधिवत् करार देंगे अगर इन शब्दों को निकाल दें श्रीमन्, उस कानून के माध्यम से परिवर्तित राष्ट्रपति के अधिनियम के माध्यम से जो परिवर्तित समितियों के गठन हुए होंगे उन तमाम को विधिवत् बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ये शब्द रखे जायं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य की समझ में यह बात आ गयी होगी और वे इस संशोधन को वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ में शब्द "और सदैव से रखी गयी समझी जाय" हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८ से १८, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

८—मूल अधिनियम की धारा १५ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट करके पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड

का इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानो कि शब्द 'निदेशक' के स्थान पर शब्द 'राज्य सरकार' रखे गये हों।"

धारा १९ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिवन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (२) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में वार्षिक व्यय, समिति की कुल वार्षिक प्राप्तियों के, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये ऋण और उसे दिये गये अग्रिम धन या अनुदान नहीं हैं, दस प्रतिशत से अधिक, सिवाय निदेशक के पूर्वानुमोदन के न होगा।"

धारा ३९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (१) के प्रतिवन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिवन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

"प्रतिवन्ध यह है कि उसे उपविधि से, जो निदेशक द्वारा सुझाई गई प्रारूप या प्रतिमान उपविधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उपविधि तब तक वैध न होगी जब तक कि वह निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दी जाय।"

अनुसूची का बढ़ाया जाना

११—मूल अधिनियम की धारा ४० के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात्:—

अनुसूची

[धारा २ (क) और ४ क]

क—कृषि

१—अन्न

१—गेहूं
२—जौ
३—धान
४—चावल
५—ज्वार
६—बाजरा
७—मक्का
८—बेझर
९—मंडुवा
१०—जई
११—काकुन
१२—कोदों
१३—कुटकी
१४—सावां

२—द्वि-दलीय उत्पादन

१—चना
२—मटर
३—अरहर
४—उरद

४—रेशे

१—जूट
२—सनई का रेशा
३—रूई (ओटी हुई/बिना ओटी)
४—पटसन
५—ढैंचा
६—रामबांस
७—मेस्टा

५—स्वापक

१—तम्बाकू

६—मसाले

१—धनिया
२—पकी मिर्च
३—मेथी (बीज)
४—सोंठ
५—सौंफ
६—हल्दी
७—खटाई, अमचूर
८—जीरा

ख—उद्यान-कर्म

१—शाक

१—आलू
२—प्याज
३—लहसुन
४—शकर-कन्दा
५—अरवी
६—अरदक (हरी)
७—कचालू
८—मिर्च
९—टमाटर
१०—बंद गोभी, फूलगोभी गांठ-गोभी।
११—गाजर
१२—मूली
१३—बैंगन
१४—टिन्डा
१५—लौकी
१६—हरी मटर
१७—शलजम
१८—[illegible]

५—मूंग
६—मसूर
७—लोबिया (बीज)
८—सोयाबीन
९—खेसारी
१०—सनई (बीज)
११—ढैंचा (बीज)
१२—ग्वार
१३—मोठ
१४—कुलथी

३—तिलहन

१—सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, जिसमें राई, वुवा, तारामीरा, और तोरिया सम्मिलित है।
२—सेहुंवा (बीज)
३—अलसी
४—अंडी
५—मूंगफली
६—तिल
७—महुआ की गुठली
८—गुल्लू
९—बिनौला
१०—बर्र अथवा कुसुम (बीज)

२—फल

१—नीबू
२—नारंगी
३—मुसम्बी
४—माल्टा
५—ग्रेप फूट
६—केला
७—अनार
८—स्ट्राबेरी
९—खरबूजा
१०—तरबूज
११—फूट
१२—पपीता
१३—फालसा
१४—पोस्ता
१५—सेब
१६—अमरूद
१७—बेर
१८—आंवला
१९—लीची

७—घास तथा चारा

१—सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ)
२—भूसा

८—विविध

१—चौलाई (बीज)
२—पोस्ता
३—रामदाना
४—अखरोट
५—बान
६—निमकौली
७—सेलरी का बीज
८—अम्बि बीज
९—महुवा का फल सूखा
१०—चिरौंजी
११—बरसीम (बीज)
१२—ल्यूसर्न (बीज)
१३—मखाना
१४—गन्ना
१५—मेस्टा बीज
१६—सेम
२०—साग (सब प्रकार के)
२१—पान
२२—चुकन्दर
२३—रतालू
२४—जिमीकन्द
२५—सलाद
२६—सोया
२७—कटहल (कच्चा)
२८—ककड़ी-खीरा
२९—चिचिण्डा
३०—करेला
३१—तरोई
३२—पेठा
३३—भिण्डी
३४—कद्दू
३५—ग्वार
३६—इमली
३७—बण्डा
३८—सिंघाड़ा
३९—लोबिया (हरी)
२०—चिकू
२१—आड़ू
२२—लोकाट
२३—बेल
२४—अनन्नास
२५—आम
२६—आलू-बुखारा
२७—अंजीर
२८—कटहल (पका)
२९—कमरख
३०—करौंदा
३१—खजूर
३२—खिरनी
३३—खुबानी
३४—जामन
३५—नाशपाती व नख
३६—शरीफा
३७—शहतूत
३८—चकोतरा
३९—रसभरी

च—मत्स्य संवर्धन

१—मछली

छ—पशुपालन-उत्पाद

१—कुक्कुट
२—अण्ड
३—पशु
४—भेड़
५—बकरी
६—मक्खन
७—घी
८—खोया
९—पनीर
१०—दूध
११—चमड़ा और खाल
१२—हड्डी
१३—गोश्त
१४—सूअर का बाल
१५—ऊन

ग---द्राक्षा-कृषि
१---अंगूर

घ---मधु-मक्खी पालन
१---शहद
२---मोम

ङ---कोशकीट पालन
१---रेशम

ज---वन-उत्पाद
१---गोंद
२---लकड़ी
३---तेन्दू की पत्ती
४---लाख
५---रीठा
६---कत्था

अध्याय ३

संक्रमण कालीन उपबन्ध

कतिपय कृत्यों का वैधीकरण

१२---किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वधीकरण) अध्यादेश, १९६९ के प्रारम्भ के पूर्व गुड़, राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई क्रिया, जिसके अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ५ से ८ तक की किसी भी धारा के अधीन जारी की गई कोई विज्ञप्ति, धारा १६ या धारा १७ के अधीन किसी मंडी समिति द्वारा या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा प्रयोग किया गया कोई अधिकार, सम्पादित किया गया कोई कृत्य या पालन किया गया कोई कर्त्तव्य, और विशेष रूप से, किसी मंडी द्वारा लाइसेंस के देने या उसके नवीकरण के लिए लगाया गया या वसूल किया गया कोई शुल्क या गुड़, राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी के क्रय विक्रय के सौदे पर लगाया गया या वसूल किया गया मंडी शुल्क भी है, एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी और सदैव से समझी जायगी और यह उतनी ही वैध समझी जायगी और सदैव से वैध समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व गुड़, राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी के संबंध में मूल अधिनियम की धारा ३७ के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने या दंड देने का प्राधिकार प्राप्त होता है।

मंडी क्षेत्रों की कतिपय घोषणायें और मंडी क्षेत्रों में वृद्धि अवैध न होगी

१३---मूल अधिनियम की धारा ५, ६ और ८, में या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी,

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन या वैधीकरण) अध्यादेश, १९६८ (जिसे आगे १९६८ का अध्यादेश कहा गया है) प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन या धारा ६ के अधीन की गई अथवा की जाने के लिए तात्पर्यित कोई घोषणा; और

(ख) इस प्रकार प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन किसी मंडी क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए किया गया अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई आदेश,

इस आधार पर कि वह केवल गजट में विज्ञप्ति द्वारा जारी किया गया और नियत रीति से नहीं, न तो अवैध होगा और न कभी अवैध रहा समझा जायगा।

प्रधान मंडी स्थलों या उपमंडी स्थलों की कतिपय घोषणायें अवैध न होंगी।

१४—(१) यदि १९६८ के अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन कोई क्षेत्र, उक्त घोषणा में निर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल घोषित किया गया हो अथवा घोषित किये जाने के लिए तात्पर्यित हो, और ऐसा क्षेत्र उक्त मंडी क्षेत्र का भाग न हो तो मूल, अधिनियम की धारा ५, ६ और ७ या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुये भी—

(क) ऐसा क्षेत्र, मूल अधिनियम की धारा ६ के अधीन उस मंडी क्षेत्र के संबंध में की गई घोषणा में निर्दिष्ट दिनांक से, उक्त मंडी क्षेत्र के भाग के रूप में उक्त धारा के अधीन विधिवत् घोषित किया गया समझा जायगा; और

(ख) ऐसा क्षेत्र, मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल के संबंध में कोई की गई घोषणा में निर्दिष्ट दिनांक से उक्त मंडी क्षेत्र के, यथास्थिति, प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल के रूप में विधिवत् घोषित किया गया समझा जायेगा।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) के उपबन्धों के कारण किसी मंडी क्षेत्र में किसी क्षेत्र का सम्मिलन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९६८, की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन ऐसे सम्मिलन के विरुद्ध की गई किन्हीं आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा, और ऐसा क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग गजट में विज्ञप्ति द्वारा आदेश में निर्दिष्ट दिनांक से सम्बद्ध मंडी क्षेत्र से निकाल दिया जाय तो इस प्रकार निकाला गया क्षेत्र, इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन इस प्रकार निकाला गया समझा जायगा और उक्त अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह क्षेत्र उक्त धारा ८ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन निकाला गया हो।

कतिपय मंडी समितियां तथा उनके कृत्ये अवैध न होंगे

१५—(१) १९६८ के अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संघटित प्रत्येक प्रथम समिति या कोई नई समिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा १४ के उपबन्धों के अनुसार सदैव से विधिवत् संघटित समझी जायगी।

(२) मूल अधिनियम की धारा ५, ६, ७ और ८ में या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी—

(क) उपधारा (१) में अभिविष्ट कोई समिति, कभी इस आधार पर अवैध रूप से संघटित हुई नहीं समझी जायगी,

(ख) ऐसी समिति द्वारा, किसी अधिकार का किया गया प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन या किया गया कार्य, कभी इस आधार पर अवैध रूप से किया गया प्रयोग, सम्पादन या कार्य नहीं समझा जायेगा;

कि मूल अधिनियम की धारा ५, धारा ६, धारा ७ या धारा ८ अथवा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अनुसार, मंडी क्षेत्र या प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल, जैसी भी दशा हो, की घोषणा नहीं की गई थी, या उक्त मंडी क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया था।

कतिपय दशाओं में प्रथम समिति का नई समिति का नः संघटित किया जाना आवश्यक नहीं

१६—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा १३ तथा १४ में दी गई किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मंडी क्षेत्र के सम्बन्ध में संघटित किसी प्रथम समिति या नई समिति को केवल इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धाराओं के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए पुनःसंघटित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि एतद्द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (६) में अभिदिष्ट उत्पादन समितियों के सभापति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर संबंधित समितियों के पदेन सदस्य हो जायेंगे।

कतिपय उपविधियां अवैध न होंगी

१७—यदि मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (१) के अधीन किसी मंडी समिति द्वारा बनाई गई कोई उपविधि, १९६८ के अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व, निदेशक द्वारा अनुमोदित हो तो मूल अधिनियम की धारा ३६ की उक्त उपधारा (१) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपविधि उस दिनांक से, जब वह इस प्रकार बनाई गई हो वैध होगी और सदैव से वैध हुई समझी जायगी।

अध्याय ४

निरसन

निरसन

१८—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९६८, और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १३, १९६८, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६९

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २५, १९६४

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ का अग्रेतर संशोधन तथा तद्धीन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ से १८, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसमें जो ज्ञापन पत्र छपा है उसमें एक हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफरेन्स दिया गया है लेकिन वह जजमेंट क्या है इसके बारे में सदन को कोई जानकारी नहीं दी गयी । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब तक वह जजमेंट सामने न आ जाये तब तक हम कोई राय इस पर नहीं दे सकेंगे । इसलिये पहले वह जजमेंट आ जाय तब यह प्रस्तुत किया जाय ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझको तो कोई दिक्कत नहीं है उस जजमेंट को माननीय मित्र को दिखाने में लेकिन मेरे खयाल से वह स्टेज जब कि जजमेंट हाउस की टेबिल पर रखा जाय गुजर गयी है । मैं माननीय मित्र से जानना चाहूंगा कि कौन से नियम के अन्तर्गत यह आपत्ति कर रहे हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चरण सिंह—

तो आप यह बतलाइये कि कौन से नियम के मातहत यह जरूरी है कि वह रखा जाय । मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह समय निकल गया । उस समय आप आपत्ति करते तो हम उसे रखते । अब भी कोई आपत्ति नहीं है अगर आज शाम को इसे ले लें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अगर हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात के लिये राजी हैं और हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं तो शाम को ले लें, जैसी आपकी आज्ञा हो ।

जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह कौन सा नियम है तो वह स्पष्ट है कि जब हम किसी चीज की चर्चा करते हैं और वह चीज किसी सन्दर्भ में रहती है तो वह यहां रखी जाती है । लेकिन अगर वह देखना चाहें और वह दिखाना चाहे तो मुझ कोई आपत्ति नहीं है अगर शाम को ले लिया जाय ।

---

†२६ फरवरी १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

श्री चरण सिंह—

मैं कहता हूं कि इस तरह का है तो कहीं रिक्वायरमेंट लेकिन उसका समय निकल गया। यह आपत्ति पहले होनी चाहिये थी लेकिन मैं अब भी तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

"विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन के पटल पर रखे जायं।" उसी समय कहना चाहिये था। अब तो इस समय आपका यह संशोधन है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

यह ठीक है कि हमको उसी समय व्यवस्था उठानी चाहिये थी परन्तु साथ ही साथ सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह उन कागजात की नकलें हमको दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अवश्य देनी चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—

हम उसमें कोई आपत्ति नहीं उठा रहे हैं। हम केवल इतनी आपत्ति उठा रहे हैं कि वह डाक्यूमेंन्ट दिखा दें उसके बाद आज ही ले लें। यह नहीं कि हम समय बढ़ाना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—

डाक्यूमेन्ट भी क्या, हाई कोर्ट का जजमेन्ट है, पब्लिक डाक्यूमेन्ट है कोई विशेष डाक्यूमेंट नहीं है, एक टेक्निकल प्वाइंट है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान लिया।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह कार्य स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है। इन नियमों में परिवर्तन और संशोधन की बड़ी आवश्यकता है मैंने जिन तर्कों और बातों को माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन के सामने प्रस्तुत किया है उनको मैं दोहराऊंगा नहीं केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वह उस पर ध्यान देंगे। जो बातें अभी तक हमारे सामने नहीं आई है ऐसी अनेक चीजों पर संशोधन लाने और करने का वह विचार करेंगे। इन फंडामेंटल रूल्स की पूरी पुस्तक के विषय में तो मुझे नहीं मालूम लेकिन यह सन् १९१९ की बनी है और तब से आज तक उनमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। मैं ठीक नहीं जानता कि यह सन् १९०९ के हैं या सन् १९१९ के हैं। समय-समय पर उसमें परिवर्तन हुये है लेकिन सन् १९६४ में उसमें एक परिवर्तन ऐसी जल्दी में हुआ, ऐसी घुड़दौड़ रही कि जल्दी में गौर नहीं किया गया। किसी ने रिट कर दिया और उस पर हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और उसका कारण यह था कि जो ५५ साल पूर्व सेवा निवृत्ति क्लाज रखी थी और जो अधिकार दिया था अप्वाइंटिंग अथारिटी को उसमें यह नहीं रखा कि उसका कारण बताना चाहिये कि उसे क्यों छुट्टी दे दी जाय जहां कि यह नियम रखा था कि बाकी समय का वेतन देकर छुट्टी दे दी जाय। इन के विधि विभाग वालों ने भी विचार नहीं किया जबकि अनेक हाईकोर्ट की इस तरह की रूलिंग हो चुकी है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि सम्बंधित व्यक्ति को अपनी बात

कहने का अवसर न दे, यह साधरण बात सोच नहीं सके कि यह उचित होगा या नहीं। इसका कारण केवल यही था कि जल्दी में संबंधित मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा कानून बन जाय, विधि वाले भी कहते है कि हमें समय नहीं मिलता और जल्दी-जल्दी में आदेश आये और कानून बन गया। इसी कारण से संशोधन लाना पड़ता है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अगर स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं तो यह उस से बहुत ज्यादा सम्बन्धित है और मुझे आशा है कि वह ऐसा करेंगे भी। ऐसे पग उन्होंने उठाये हैं जिनकी हम सराहना करेंगे जैसे बस्ती के जिलाधीश की शिकायत थी उसको उन्होंने फौरन दूर किया, उनकी मुखतलिफ शिकायतें थीं उनको उन्होंने सस्पेंड किया। कोई काम गलत हो रहा हो या कोई असित हो तो मुझे आशा उनसे है कि वह जरूरी कदम उठायेंगे। लेकिन यह चीज उसमें बाधक होगी अगर वह फंडामेंटल रूल्स में शांति से बैठकर वांछित संशोधन नहीं लाते। इस पर एक बार विचार करना आवश्यक है। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेज दें और उसके सभापति स्वयं मुख्य मंत्री जी ही रहें और अन्य माननीय सदस्य बैठेंगे तो वहां अनेक चीजें आयेंगी और उन पर विचार हो जायगा। जब हम लोग पी० ए० सी० में बैठते हैं तो अनेक कठिनाइयां हमारे मस्तिष्क में आती हैं। एक अधिकारी ने ५ हजार रुपया का गबन किया और बाद में मालूम हुआ कि वह आदमी रिटायर होने वाला है या हो गया और पैसा वसूल नहीं हो सकता। मैं जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से वह जरा प्रकाश इस पर डालें कि क्या नियुक्ति अधिकारी ऐसे मुलाजिम को जिसकी सेवा केवल १५-२० साल है अथवा २५ साल से कम है और वह धारा ४५८ सी० एस० आर० के अनुसार सुपरएनुएशन पेंशन पाने का अधिकारी है ५५ साल की आयु पर रिटायर कर सकता है। २५ साल जिनकी सर्विस नहीं हुई है उनके बारे में वह क्या सोचतें हैं? तो इस प्रकार के इस में अनेक छेद हैं जिन को ठीक करने का अवसर तभी मिलेगा जब मुख्य मंत्री जी इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें और वहां इन सब चीजों पर व्यापक रूप से विचार हो।

जो संशोधन उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं उनकी भावना और उन के विचारों का भी स्वागत करता हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि जब आप फन्डामेंटल रूल्स को बदल रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखें। अभी ३–४ दिन हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला साहब ने एक भाषण में यह कहा कि हमारे कानून इतने पुराने बने हुये हैं कि आजकल के इस परिवर्तन-शील युग में, जबकि सरकार की अनेक योजनायें और अनेक प्रोग्राम चलते हैं सरकारी अधिकारियों का भी नैतिक स्तर ऊंचा उठे। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन सी बात इस में रखना चाहते हैं? अगर ऐसी बहुत सी बातें सोची जाय, तो मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें जिस के आप स्वयं अध्यक्ष हों। लेकिन ऐसा न करें कि केवल इस में संशोधन कर दें और शेष में न करें। मैं समझता हूं कि उन्हें सोचने का मौका नहीं मिला है या जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा है। यह बड़े महत्व की चीज है। इससे सर्विसेज को टाइट करना है।

हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी भाषण भी करते हैं कि वे कुशल प्रशासन चाहते हैं। कल ही मैंने पढ़ा है उन्होंने कहा है कि जो हमारा कौमन मैन है, सड़क पर चलता है, वह यह महसूस करे कि अधिकारीगण हमारे ही आदमी हैं। भावना तो अच्छी है लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए आप हमारे जो फन्डामेंटल रूल्स हैं, उन पर ध्यान दें। आप कितनी भी शिक्षा दें, अखबारों में, उसका पालन नहीं होगा जब तक कि उस के अनुकूल आप कानन नहीं बनायेंगे। तो मैं यह ही उचित समझता हूं कि आप इस को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें। दूसरे यह जो संशोधन रखा गया है, उस में यह भी लिखा हुआ है कि जिस चीज के लिए यह विधेयक सदन के सामने रखा गया है, उसकी परिधि थोड़ी है। जब प्रवर समिति के सुपुर्द इस को किया जाय तो इसकी परिधि भी बढ़ा दी जाय और जैसा आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो समूल परिवर्तन लावें ताकि हमारी सर्विसेज कुशल और योग्य हो सकें। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है और आशा है आप इसे मान लेंगे।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० है उसके उद्देश्य और कारणों में जो लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं इसमें यह लिखा हुआ है :

"इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने एक के विरुद्ध दो के बहुमत से यह घोषित किया कि उक्त प्रतिबन्धात्मक खंड संविधान के अनुच्छेद १४ और १६ का उल्लंघन करता है।"

तो उसमें किसी न्यायालय ने या हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि शोकाज नोटिस नहीं दिया जाय तो बजाय इस के कि कोई कर्मचारी सर्विस करता है जैसा कि पहले क्लाज में अमेन्डमेन्ट किया है तो बिना उसको कोई उचित कारण बताये कि तुम्हारी सर्विसेज क्यों समाप्त की जा रही हैं सरकार ने एक फन्डामेन्टल रूल में ही संशोधन कर दिया कि ५५ वर्ष के ऊपर अथवा ऐसी कम आयु, जिसमें ऐसी नोटिस की अवधि, जिसके बदले में वेतन दिया जाय जोड़कर ५५ वर्ष हो जाय, प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा निवृत्त किया जा सकता है। तो मुझे शंका होती है कि जो भी नियुक्ति प्राधिकारी है अगर वह किसी कर्मचारी से नाराज हो जाय तो बिना नोटिस दिये हुए, उस को अलग कर सकता है और अगर तनख्वाह भी देता है तो राष्ट्र का नुकसान होता है। और अगर किसी कर्मचारी का कोई नियुक्ति प्राधिकारी रिश्तेदार है और उसको वह पहले ही निकालना चाहता है तो उसे २० साल में ही निकाल देता है और वह कर्मचारी कोई फैक्टरी वगैरह लगा सकता है। तो इससे सरकार का भी नुकसान हुआ और कर्मचारी को भी नौकरी से पहले निकाल दिया। तो श्रीमन्, यह चीज मेरी समझ में नहीं आयी। इसलिए मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। क्योंकि यह देश, प्रदेश और कर्मचारियों के हित में है और जनता के हित में भी है।

दूसरी बात मैं इस विधेयक के अग्रेतर प्रतिबन्ध (२) के बारे में कहना चाहता हूं जिस में यह कहा गया है कि किसी सरकारी सेवक द्वारा एक बार दिया गया नोटिस प्राधिकारी की आज्ञा के बगैर वापस नहीं लिया जायगा। श्रीमन्, यह बड़ा ही गलत होगा। मान लीजिये कि मैं कर्मचारी हूं। मेरा आफिसर मुझसे नाराज हो गया। उसके किसी दबाव में आकर मैं कुछ लिख कर दे देता हूं। बाद को यदि मैं उस को वापस लेना चाहता हूं तो मुझे उसकी इजाजत होनी चाहिये। इसलिए इस प्रतिबन्ध की जरूरत नहीं है। माननीय हरिनाथ तिवारी जी का जो संशोधन इसको निकालने के बारे में है, वह बिल्कुल ठीक है, सरकार को उसे मान लेना चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है वह इस कारण से किया गया है कि फन्डामेन्टल रूल ५६ संविधान के अनुच्छेद १४ और १६ का उल्लंघन करता है। मान्यवर, अनुच्छेद १४ में है "इक्वलिटी बिफोर ला" है, और १६ में "ईक्वल अपारचुनिटी आफ इम्प्लायमेंट्स" है। यह दोनों खंड ऐसे हैं जो इन दोनों विषयों को टच करते हैं। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एक निर्णय दे दिया जिसमें यह कहा है कि इन दोनों अनुच्छेद के विपरीत जाकर सरकार ने कार्यवाही की है। इसमें यह बात इम्प्लाइड है कि कहीं न कहीं कोई कमी है। तो विधेयक इस तरह का लाना चाहिये था कि जिससे अधिकारियों को इस तरह की छूट न होती। इसके द्वारा आप किसी भी कर्मचारी को ३ महीने का नोटिस देकर रिटायर कर सकते हैं। यह जूरिसप्रुडेन्स के हिसाब से भी गलत है और संविधान की उस भावना का भी उल्लंघन है जिसमें यह प्राविधान है कि किसी व्यक्ति को हम दंडित भी करेंगे जब उसके दोषों को पहले उसके सामने रख दें और उसे सुन लें। कुशल प्रशासन और स्वस्थ प्रशासन की जो बात कही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रही है वह किसी तरह इस विधेयक से हमारे सामने नहीं आती। जरूरत तो इस बात की है कि आज प्रजातंत्र के युग में हम किस प्रकार नियमों का पालन करते हुये, संविधान की रक्षा करते हुये और फंडामेन्टल राइट्स की भी सुरक्षा करते हुये कुशल और स्वस्थ प्रशासन ला सकते हैं। पहले जब विपक्ष की ओर से माननीय अध्यक्ष की ओर जूते और चप्पल चलाये गये थे, तब माननीय चरण सिंह विरोधी दल के नेता थे, उस समय उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जो मैं आप के सामने पढ़ना चाहता हूं। आप कृपया उसको सुन लें।

सुनने के बाद ही इसमें कुछ ऐक्शन लिया जाए। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रोसीडिंग दिनांक २८ अगस्त, १९६९ में दिया हुआ है—"इसके अतिरिक्त मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, जूरिसप्रूडेंस का यह बुनियादी वसूल है कि आप सजा नहीं दे सकते जब तक आप किसी को अपनी बात कहने का अवसर न दें। यहां तक कि किसी आदमी का कत्ल अगर सेशन जज, जिलाधीश, जस्टिस अथवा चीफ जस्टिस के सामने हो जाय तब भी आप उसे फांसी नहीं दे सकते जब तक उसे वह मौका न दें कि उसने कत्ल क्यों किया? क्योंकि उसके कत्ल करने का कोई कारण हो सकता है, और बहुत-सी बातें वह कह सकता है। ९९ फैक्ट्स आ जायं इस बात के कि यह आदमी गिल्टी है लेकिन एक फैक्ट ऐसा आ सकता है जो ९९ तथ्यों पर पानी फेर दे और आप ही मजबूर हो जायं यह कहने के लिये कि यह निर्दोष है। लिहाजा जो कांस्टीट्यूशन का बेसिस है, दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जूरिसप्रूडेंस का जो आधार है वह यही है कि मौका दिया जाय दोषी आदमी को, वह उन को दिया नहीं गया। यह सजा दी जा रही है और सजा दी गई अनहर्ड, उन्हें बिना मौका दिये हुये। यह जो विधेयक पेश किया गया है, इसमें यदि आप सरकार को इस बात की छूट दे देंगे कि किसी भी कर्मचारी को बिना कारण बताए हुए, कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाए तो इस से दो बातों की सम्भावना बढ़ जाएगी, दो तरह की बुराइयां—अनियमितताएं पैदा हो जाएंगी। एक तो यह कि इससे जो सत्तारूढ़ नेता हैं उनके दल के जो लोग हैं, उनको सरकारी कर्मचारियों पर बेजा—नाजायज दबाव डालने की आदत पड़ जाएगी। डेमोक्रेटिक सेट अप जो हमने अपने देश में स्थापित किया है कि हर आदमी को पूरा अधिकार है कि वह अपने को दोषी करार देने की दशा में अपने को दोषरहित सिद्ध करने के लिए स्पष्टीकरण दे, अपनी सफाई दे, वह समाप्त हो जाता है। ऐसी भावना के अन्तर्गत मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक प्रकार से तानाशाही को बढ़ावा देने का मार्ग है।

दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं सन् १९६४ से इसका एफेक्ट माना जा रहा है। मैं समझता हूं जिस दिन से फुल बेंच ने इस बात का निर्णय दिया कि यह अल्ट्रावायरस है, उसी दिन से इसे लागू होना चाहिए। एक बात अभी चेतराम गंगवार जी ने कही जो इसके सेकेण्ड खण्ड से सम्बन्धित है। मैं अभी खण्ड पर नहीं बोल रहा हूं। वह इस प्रकार है—"प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किसी सरकारी सेवक द्वारा एक बार दिया गया नोटिस उस के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं लिया जायगा"। मैं इस बात का यहां जिक्र कर रहा हूं इस विधेयक के अन्दर जिस तरह से इसे जोड़ा गया है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि कुशल प्रशासन के नाम पर लोगों को इस बात के लिए पूरी छूट दे दी जाए कि वे किसी भी अधिकारी को किसी भी समय निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं यह हमारे फण्डामेंटल रूल्स के बिलकुल विपरीत है और संविधान की धाराओं के विरुद्ध है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई अपने दोस्तों का भाषण सुनकर और जब ये भाषण हो रहे थे, तब मुझे आज से २० वर्ष पहले की बात याद आ गई इस विषय में। यह उस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

की बात है जब इधर कांग्रेस की बेंच थी और उधर मुस्लिम लीग के लोग बैठते थे, जो पार्टी कांग्रेस के अत्यन्त विरोधी थी। लेकिन फिर भी रोज कुछ न कुछ काम पब्लिक का होता था—बिल पेश होते थे, विचार होता था, बहस होती थी, पास होता था, नियम पास होते थे, असेम्बली ठीक से चलती थी। क्लैश आफ इंटेलीजेंस होता था, डिबेटिंग टैलेन्ट देखने को मिलता था और योग्यता के साथ बहस होती थी और काम चलता था। पब्लिक इन्टरेस्ट सर्व होता था। लेकिन आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, इधर जो अभी माधव प्रसाद जी बोले, वैसा अब हमारे यहां काम देखने को नहीं मिलता है। वैसे आप को अधिकार है, जो समझें करें। स्पीकर साहब आप से बातचीत करेंगे, जैसा निर्णय होगा, वैसा होगा। चलो कुछ तो काम हुआ। थोड़ी सी डिबेट तो हुई। अध्यक्ष महोदय, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को पेन वेव आई, ऐसा होता रहा है। उनका यह खयाल बेबुनियाद है। इसी तरह का चार्ज गवर्नमेंट के खिलाफ १०–१५ साल पहले इस सदन में लाया गया था। तो मैंने दस साल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के कितने ऐक्ट्स, सब्सटेंटिव और अमेंडिंग पास हुए, वह सब निकाले थे, तो मालूम हुआ कि हमारे यहां कम लेजिस्लेशन होता है और उनके यहां ज्यादा होता है क्योंकि ऐक्ट ज्यादा बनते ह। अगर नियमों में अमेंड करने की जरूरत होती है तो वह इस बात का परिचायक नहीं है कि अपरिपक्व किस्म के या बिना ज्यादा विचार के कानून बनते हैं। हाई कोर्ट ने हमारे कितने कानूनों को इनवैलिड करार दिया? बहुत कम। डेमोक्रेसी कानून के जरिये चलती है। हमारे देश में डेमोक्रेसी जड़ जमा ले, देश का विकास हो जाय और हमारा जीवन बहुत पेचीदा हो जाय, बहुत सी शाखाएं और डिपार्टमेंट्स हो जायं सार्वजनिक लाइफ के, इंडस्ट्री बढ़ जाय, हर तरह का इकोनामिक डेवलपमेंट हो जाय तो रोज कानून बनेंगे। हमारे यहां कानून गलत बनता है यह उनका खयाल गलत है। उन्होंने एक मिसाल दी कि यह गलत हो गया। वह कोई बड़ी भारी गलती नहीं है। फुल बेंच ने इसमें तय किया कि यह रूल इनवैलिड है लेकिन जस्टिस जगदीश सहाय का डिसेंटिंग जजमेंट है मैं त्रिपाठी जी से अर्ज करूंगा कि उसको पढ़ लें। जस्टिस जगदीश सहाय ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को को किया है और बहस की है कि रूल इनवैलिड नहीं है। थोड़ा सा उस जजमेंट्स का हमारे लीगल रेमेम्बरेंसर के नोट में हवाला दिया है। मैं आप की इजाजत से सुनाये देता हूं। कम से कम आप की तसल्ली हो जाय कि गवर्नमेन्ट इतनी निकम्मी नहीं है जितनी वह समझते हैं। आप यहां आ जायं तो कहीं और अच्छी हो जायगी। अंग्रेजी में है। मैं सुनाये देता हूं।

"The judgement of Hon'ble Jagdish Sahai Ji. indicated a different approach in as much as Hon'ble Jagdish Sahai held that the scheme of the Financial Rules shows that there is no right for a government servant to continue in service after attaining the age of 55 and that the guiding factor is whether or not the government servant concerned is fit to be kept in service after he has attained the age of 55 years. His Lordship relied upon the Division Bench ruling of the Allahabad High Court in Shridhar Prasad Nigam's case and also cited in support of His view Supreme Court decisions reported in the State of Bombay vs Doshi A.I. R., 1957, s.c., 1 92. where rule 165A authorized the government to terminate the services of a government servant without assigning any reason on his completing 25 years; Dilip Singh vs State of Punjab—A. I. R. 1960, S. C. 1305 where an order of compulsory retirement made under the provisions of Rule 278 of the Patiala State Regulations was upheld and the decision in Shyam Lal vs State of U.P. where the validity of the rule requiring a government servant to retire after he had put in 25 years service without assigning any reason was upheld."

तो उन्होंने तीन जजमेंट कोट किये हैं। इससे जाहिर होता है कि एक दूसरा व्यू भी है। लेकिन फुल बेंच ने फैसला किया कि इसमें जब तक यह न हो कि पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कर रहे हैं तब तक इनवैलिड है। एक टेक्निकल बात है। उसकी वजह से हम अमेंडमेंट

लाये हैं। इसी सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी ने जानना चाहा कि क्या ५५ वर्ष की उम्र जिस आदमी की हो और २५ वर्ष की सर्विस न हुई हो उसको भी रिटायर किया जा सकता है। अब मैं रूल्स का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन जो मेरा तजुर्बा है उसके आधार पर कहता हूं। रूल यह है कि २५ साल की सर्विस हो जाय और गवर्नमेन्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि इस आदमी को सर्विस में रखने से पब्लिक इन्टरेस्ट पूरा नहीं होता तो उसको रिटायर कर सकती है। या तो ५५ साल की एज हो जाय या २५ साल की सर्विस हो जाय। यह नहीं है कि ५५ साल की एज जरूरी है या २५ साल की सर्विस जरूरी है।

एक साहब ने कहा कि १९६४ से आप इसका नफाज करना चाहते हैं। वह जरूरी है क्योंकि ये रूल्स १९६४ में बने थे। उसके बाद हाई कोर्ट का यह जजमेंट ऐसे ही रहता है। या तो हम अपील करें प्रीम कोर्ट में और वहां पर हार जायं तो फिर अमेंडमेंट करें या अभी अमेंडमेंट कर लें। सुप्रीम कोर्ट में अपील करें और उनकी राय हमारी राय हो जाय तो इसमें साल भर लगेगा। तो इस साल भर में ऐसे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स जो इस रूल के अधीन रिटायर होंगे वे सब रिट फाइल कर देंगे। इसलिये इसको हमें रिट्रास्पैक्टिव एफेक्ट देना पड़ रहा है। इससे नुक्सान किसी को नहीं हो रहा है। यह तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग है कि पब्लिक इन्टरेस्ट रखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट ने एड किया है और कुछ ने नहीं किया है। एक टैक्नीकल त्रुटि रह गई थी उस को पूरा किया जा रहा है....

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

इस प्रश्न में कुछ हरिजनों का भी सवाल आ जाता है। कुछ दृष्टान्त ऐसे सामने आये हैं कि जिनकी आयु ५५ साल की थी और कोई भी कम्पलेन्ट उनके खिलाफ नहीं थी उनको भी रिटायर कर दिया। तो क्या मुख्य मन्त्री जी इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि उन पर यह प्रभाव न पड़े ?

श्री चरण सिंह—

इसमें हरिजन या गैरहरिजन का सवाल नहीं उठता है। हरिजन या कोई कमजोर तबके का हो या पोलिटिकल सफरर हो जिसको भी गवर्नमेन्ट सुविधा देती है वह उसकी नियुक्ति के समय देती है। उसके बाद एफिशियेंसी, परोमोशन वगैरा के जो नियम हैं या परम्परायें हैं वह सबके साथ एक सी है। यह हरिजन हैं जल्दी रिटायर कर दिया जाय यह नहीं है। यह हो सकता है कि कोई हरिजन इस रूल के अन्तर्गत रिटायर किया गया हो। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई हो और २, ४ महीने का ही वह केस हो कि हरिजन होने के नाते उसके साथ अन्याय हुआ है मेरे दोस्त बतलायेंगे तो मैं उसको देखूंगा और सम्भव हुआ तो उस अन्याय को दूर करने की कोशिश करूंगा।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि माननीय त्रिपाठी जी ने अपनी पार्टी के सेक्रेटरी को यह आदेश दे दिया कि जितने भी बिल हैं उन सब पर एक तरफ से यह संशोधन ले आओ कि उन सब को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। उन्होंने सब बिलों पर यह लिखा है कि इनको प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय और इनको परिधि को बढ़ा दिया जाय ताकि सारे बिल पर बहस हो जाय जो रूल्स हैं कोई ऐक्ट नहीं हैं जिसके लिये सिलेक्ट कमेटी बैठेगी। इस रूल के अमेंडमेंट के लिये बिल इसलिये लाना पड़ा कि इसे रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना है। अगर यह न करना होता तो हाउस के सामने न आता। रूल्स संविधान के अनुच्छेद ३११ के मातहत बने हैं और अगर उनमें संशोधन करना है तो फिर ३११ में संशोधन कराइये। सरकार ३११ के मातहत रूल्स बनाती है और उनको हाउस के सामने रखती है अगर कोई नया रूल हो तो। पुराने रूल्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी हो जाती है कि जो संविधान हैं उसके विरुद्ध तो नहीं पड़ रहा है कोई रूल। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा।

[श्री चरण सिंह]

अब मेरे एक मित्र ने मेरी पूरी स्पीच कोट कर दी। वह एक फंडामेंटल सिद्धांत है जो नेचुरल जस्टिस पर आधारित है कि किसी आदमी को सजा न दी जाय जब तक कि उसको अपनी सफाई का मौका न दिया जाय। यह बिलकुल सही है जो मैंने पहले कहा था। लेकिन हां, सजा देने का सवाल नहीं है। सरकार अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि अमुक आफिसर इस लायक नहीं रह गया कि वह सरकारी सर्विस में रहे जिससे जनहित पूरा हो सके और उसे रिटायर कर देती है तो वह सजा नहीं मानी जाती। इसलिये उसे सफाई देने का मौका नहीं है कि वह २५-३० वर्ष से सेवा कर रहा है। उसके खिलाफ हर साल एडवर्स एंट्रीज होती हैं और उनकी सफाई देने का मौका उसे होता है। जब ५५ वर्ष की उम्र हो जाती है तो पचासियों एंट्रीज पहले हैं और उनके आधार पर सरकार फैसला करेगी कि उसे रिटायर कर देना चाहिए। यह कोई सजा नहीं है। लिहाजा सफाई का मौका नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे माननीय मित्र बिना किसी आपत्ति के इस बिल को पास हो जाने देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

सबसे प्रमुख चीज एक मुख्य मंत्री जी ने जो नहीं कही वह यह कि जो खामियां हैं उनको पूरा करने का वह प्रयत्न करेंगे। इतना और कह देते तो अच्छा होता। चाहे जो विधि अपनानी पड़े रूल्स में खामी को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री चरण सिंह---

त्रिपाठी जी को मेरा स्टैंडिंग इंविटेशन है कि केवल इस कानून में नहीं, हर नियम अथवा कानून में जो त्रुटि बतलाई जायगी उस पर हम विचार करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

फण्डामेंटल रूल ५६ का संशोधन

२---फाइनेंशिएल हैन्डबुक, खण्ड २ भाग २ से ४ तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के नियम ५६ के खण्ड (ए) में, जिसे आगे उक्त नियम ५६ (ए) कहा गया है, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण रख दिए जाय, और १ जनवरी, १९६४ से रखे गये समझे जायें, अर्थात् :---

प्रतिबन्ध यह है कि---

(१) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, कोई कारण दिये बिना किसी सरकारी सेवक से तीन महीने की नोटिस पर अथवा ऐसे नोटिस की कुल या आंशिक अवधि के स्थान पर उसके बदले में वेतन पर, उसके ५५ वर्ष अथवा ऐसी कम आयु, जिसमें ऐसी नोटिस की अवधि, जिसके बदले में वेतन दिया जाय, जोड़कर ५५ वर्ष हो जाय, प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवा निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर

सकता है, किन्तु ऐसी नोटिस की पूरी अथवा आंशिक अवधि को, जिसके बदले में वेतन दिया जाय, सरकारी सेवक को देय पेंशन एवं मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान का आकलन करने के प्रयोजन से, किन्तु अन्य किसी प्रयोजन से नहीं, उसकी अर्ह सेवा में जोड़ा गया समझा जायगा; अथवा

(२) सरकारी सेवक ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करन क उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी को ३ माह का नोटिस देने के बाद, स्वेच्छया-सेवा निवृत्त हो सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध अनुशासिक कार्यवाही विचाराधीन या विवेक्षित हो, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने के लिये दिया गया नोटिस तब प्रभावी होगा यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, किन्तु शर्त यह है कि किसी विवेक्षित आनुशासिक कार्यवाही की दशा में, सरकारी सेवक को इसकी सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जाय;

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी सरकारी सेवक द्वारा एक बार दिया गया नोटिस उसके द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं लिया जायगा ।

स्पष्टीकरण—(१) नियुक्ति प्राधिकारी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन सरकारी सेवक को सेवा निवृत्ति करने का, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है, निर्णय तब लेगा यदि उक्त प्राधिकारी को ऐसा करना लोक-हित में प्रतीत हो, और राज्य सरकार समय-समय पर, ऐसे कार्यकारी अनुदेश जारी कर सकती है जिसमें तदर्थ पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त इंगित हों, किन्तु यहां पर दी गई किसी बात से इस बात का, कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है, आदेश में उल्लेख करने की, अथवा ऐसे अनुदेशों के प्रकाशन करने की, अपेक्षा न समझी जायेगी ।

(२) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, लोक-हित में लिया गया उपधारित किया जायगा ।

(३) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक को सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो या सरकारी सेवक सेवा निवृत्त होना चाहता हो, मौलिक नियुक्तियां करने का अधिकार हो ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहला संशोधन वापस ले रहा हूं। दूसरा वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दूसरा संशोधन सदन में प्रस्तुत कर दें। पहला मूव किया हुआ नहीं माना जायेगा।

श्री हरिनाथ तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदव, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ (२) के अग्रेतर प्रतिबन्ध का खंड (२) समूचा निकाल दिया जाय।" जहां वापस लेने का प्रश्न आता है वहां पर एक प्रकार का प्रोत्साहन होता है। किसी ने अपना इस्तीफा दे दिया और जब एक बार दे दिया तो उसको फाइनल माना जाना चाहिये। इसमें यह जोड़ा गया है कि "नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय वापस नहीं लिया जायगा।" सवाल क्या है?

[श्री हरिनाथ तिवारी]

जब एक बार इस्तीफा दे दिया तो वापस लेने का मौका नहीं होना चाहिये। जब प्राधिकारी की अनुज्ञा लेनी होगी तो उसके ऊपर प्राधिकारी का दबाव पड़ सकता है और वह कह सकता है कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि कहां इसमें नाजायज दबाव की बात होगी। सोच समझ कर वह इस्तीफा देता है तो इसमें यह है कि नोटिस वापस लिया जा सकता है लेकिन प्राधिकारी की अनुज्ञा की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी बूढ़ा हो गया नौकरी करते करते और इस्तीफा दे दे और फिर वापस ले।

श्री चेतराम गंगवार—

कभी-कभी ऐसा हो जाता है।

श्री चरण सिंह—

कानून तो जनरल बात पर बनता है। गवर्नमेंट की बुद्धि और ईमानदारी पर विश्वास करके ही चलना पड़ेगा। चाहे वह जनसंघ की ही क्यों न हो, यह तो मान कर चलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २(२) के अग्रेतर प्रतिबन्ध का खण्ड (२) समूचा निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३, ४, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

वैधीकरण

३—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उक्त नियम ५६ (ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत किया गया कोई निर्णय या आदेश जारी, किये गये कार्यवाही अनुदेश, या दिया गया काई नोटिस या नोटिस के बदले में दिया गया या भुगतान किया गया या भुगतान के लिये आदिष्ट वेतन, अपेक्षित या कार्यान्वित सेवा निवृत्ति अथवा स्वीकृति या भुगतानकृत पेंशन भी है, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त नियम ५६ (ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या की गई और सदैव से किया गया या की गई समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६, १९६९ का निरसन

४—उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

फण्डामेंटल रूल ५६ का संशोधन करने और तद्धीन या उसके संबंध में किये गये कतिपय कार्यों का वैधीकरण करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, ४, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

*श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन, मैं इस पर बोलना चाहता हूं । तीसरे वाचन में कोई भी सदस्य बोल सकता है । पहले हमारे प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र ५५ वर्ष थी, जो बाद में ५८ वर्ष कर दी गई । लेकिन उसमें एक प्रतिबन्ध लगाया गया कि किसी भी सेवक की आयु ५५ वर्ष और २५ वर्ष की उसकी सर्विस हो गई है तो नौकरी पर रखने वाला अधिकारी यह देखेगा कि यदि उसकी सेवाएं अबव एवरेज रही है तो उसको ५८ वर्ष तक जाने दिया जायगा । यदि उसमें कमी होगी तो उसको ३ महीने का नोटिस दे दिया जायगा और उसके बाद उसकी नौकरी खत्म कर दी जायेगी अथवा उसको ३ माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से मुक्त कर दिया जायगा । लेकिन इसमें बहुत से लोगों को बहुत परेशानी हो गई है । बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी २५ वर्ष की नहीं हुई है । बहुत से ऐसे टेक्निकल विभाग के लोग हैं जिनको १० वर्ष का अनुभव होने पर रखा जाता है । कोई ३० वर्ष की उम्र में नौकरी में आया है और १० वर्ष के पश्चात ४० वर्ष की उम्र में आया अब ५५ वर्ष की उम्र पर उसकी सर्विस केवल १५ वर्ष की होगी । बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, उनके भी ५५ वर्ष पूरे हो गये हैं लेकिन नौकरी २५ वर्ष नहीं हुई है, १० या १५ साल की ही हुई है । माननीय माधव प्रसाद जी ने जब इस सवाल को उठाया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया । लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया संभवतः वह सही उत्तर नहीं दिया, ऐसा मेरा ख्याल है । क्योंकि उसमें यह है कि २५ वर्ष की सर्विस हो और ५५ वर्ष की उम्र हो । वहां "और" शब्द है, "या" शब्द नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस चीज को नहीं देखा । इस प्रकार की गलतफहमी में १५–२० वर्ष की सेवाओं वालों को रिटायर कर दिया जा रहा है, जबकि कानून के अनुसार उनकी सेवाएं समाप्त नहीं होनी चाहिये । मुख्य मंत्री जी तो इस समय नहीं हैं, उनके स्थान पर बैठे हुए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और अपने जवाब में इसका भी उत्तर दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मित्र ने जो बात कही उससे फिर से मुझे शंका हो गई । माननीय मंत्री जी के पास अगर वह पुस्तक हो तो उसमें से जरा पढ़ कर सुना दें कि उसके शब्द क्या हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

वह पुस्तक तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन उसमें "और" शब्द नहीं है, "अथवा" है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

किताब होती तो अच्छा था, हो सकता है आप भूल गय हों।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसमें "अथवा" शब्द है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कहा गया है कि "अथवा" है, तो इसके लिये मंत्री जी जिम्मेदार होंगे लेकिन शायद ऐसा नहीं है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

इसमें ५५ वर्ष का जिक्र आया है। मैंने भी सर्विस में २५ साल गुजारे हैं। सर्विस में ५५ वर्ष की उम्र या २५ साल नौकरी की बिना पर ज्यादतियां की जाती हैं और उससे सरकार बदनाम होती है। मुझे इस बारे में बहुत से केसेज मालूम हैं कि एक शख्स ने २५ साल तक सर्विस की। २४ साल तक रिमार्कस बहुत अच्छे रहे लेकिन २५वें साल में बदकिस्मती से ऐसा अफसर मिला कि अनहैपी हो गया और उसने २५ वें साल का रिमार्क देकर ५५ साल में रिटायर कर दिया। मुझे ऐसे बहुत से केसेज मालम हैं और गवर्नमेंट अगर चाहे तो मैं उसकी नोटिस में भी ला सकता हूं, जो कि सर्विस में रहे, ज्यादा से ज्यादा तरक्की की, जो यहां प्राविन्शिअल सर्विस के आफिसर नहीं कर सकते हैं। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया में चले गये और वहां पर बड़े-बड़े ओहदे पाए लेकिन अगर वह यहां पर सलाम करने नहीं आए तो उनको ५५ साल पर रिटायर कर दिया गया। पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो तो कहा गया कि उनके काम के बारे में कोई इत्तला नहीं है कि ठीक काम किया है या नहीं। कहा गया कि जहां नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। इस पर भी राजी नहीं हुए क्योंकि जो स्कीम उनके दिमाग में थी वह उससे पूरी न हो पाती और वह ५५ साल पर रिटायर कर दिये गये ताकि उनके बाद के लोगों को प्रमोशन मिल सके।

मालूम नहीं कि इस ५५ और ५८ के रूल में कितने अच्छे-अच्छे आफिसरों और अहलकारों का खून किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह गवर्नमेंट क्या करेगी लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वह भी अपने को देश सेवक कहती थी और उसने बड़ी-बड़ी गलतियां इस मामले में की हैं। मैं इस पार्टी में हूं इसलिये जो मुख्य मंत्री जी ने प्रपोज किया है उसको अपोज नहीं करूंगा लेकिन मैं कहूंगा कि यह उनके वास्ते बदनामी की चीज होगी कि वह हेड आफ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर कि फलां आदमी का रिकार्ड खराब है और उसको इस बिना पर ३ महीने का नोटिस देकर अलहदा कर दें। इसके लिये एक ट्राइबुनल या कमेटी होना चाहिये जो इसकी इवजामिन करे कि जो हेड आफ डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि फलां आदमी को रिटायर कर दिया जाय क्योंकि उसका रिकार्ड खराब है, तो वाकई ऐसा है या नहीं है। कहीं हेड आफ डिपार्टमेंट का दिमाग तो खराब नहीं है जो ऐसा कह रहे हैं यह भी देखने की जरूरत है। अगर सरकार इसको देखेगी तो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि हेड आफ डिपार्टमेंट का खुद ही दिमाग खराब है। उनमें अब जो ईमानदारी और सच्चाई बड़े आफिसरों से उम्मीद की जाती है वह नहीं रही है। मैं अपने मंत्री जी से कहूंगा कि आप रूल तो कर रहे हैं, मुझे इसमें एतराज नहीं है। अगर कोई खराब काम करता है तो ५५ साल की उम्र में उसको रिटायर कर दिया जाय। लेकिन इसके जरिए आफिसरों के साथ बेइन्साफी और बेईमानी न की जाय जो कि की जा रही है।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)—

जो कुछ किदवई साहब ने कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। बहुत से मुझे आज भी इस सूबे मे भ्रष्ट सरकारी अधिकारी मालूम हैं जो कि ५५ साल के हो गये हैं लेकिन सरकार के नोटिस में उनकी कार्यवाही नहीं आई है। वह भी कम्पलसरी रिटायर करने के लिये वाध्य कर दिया जाता है। सरकार का जो उद्देश्य है कि क्लीन एन्ड एफीशिएन्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसलिये यह रूल रहना चाहिये। जो अधिकारी उसका उपयोग करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निकालते हैं इसलिए कि उनके विभागाध्यक्ष उनसे नाराज हैं तो यह ठीक नहीं है। लेकिन उससे सरकार के फैसले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने यह नीति इसलिये बनाई है कि गलत अधिकारियों को ३ वर्ष तक इस प्रकार से और गलत काम करने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अभी किदवई साहब बोल रहे थे। मैं उनकी राय से इत्तिफाक करता हूं। यहां पर पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम अनुभव करते हैं। इस प्रकार के बहुत से दृष्टान्त मिलेंगे कि इस रूल को एप्लाई करते वक्त निष्पक्ष कार्य नहीं हुआ है और उसकी जिम्मेदारी चौधरी चरण सिंह पर या फिर कोई भी मुख्य मंत्री हो उस पर है तो लेकिन कुछ इस प्रकार की कार्यप्रणाली चल रही है जिसके अन्तर्गत सरकार के खास व्यक्ति के कानों तक वह बात पहुंच नहीं पाती। मैं अपनी जानकारी के आधार पर इस बात को कह रहा हूं। मैंने अभी एक प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी से किया था कि क्या हरिजनों के साथ कोई इस प्रकार की सतर्कता बर्ती जाती है कि जो उनके साथ पक्षपात किया जाता है वह उससे बरी हो सकें। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रिक्रूटमेंट के समय उनको यह रियायत दी जाती है और बाद में वह रूल सब प्रकार से उन पर एप्लाई होता है। अधिकारी जिसको जिस प्रकार से पसन्द करता है उसको उस प्रकार की इन्ट्री देता है और अगर किसी भी वजह से उसके साथ कोई नाइत्तिफाकी हो गई, चाहे हमन कितनी ही अच्छी सर्विस अदा की हो, कितने भी मेडिकली फिट हों, अधिकारी उसमें ऐसी बात कर देता है जिससे उसको रिटायर कर दिया जाता है। उनकी क्या स्थिति होती है जो हरिजन हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। हम आवाज लगाते हैं पर कुछ नहीं, जो उनके साथ इंसाफ होना चाहिये नहीं होता।

एक हरिजन इन्सपेक्टर जो एक थाने के इन्चार्ज थे, शायद किदवई साहब के जिले में ही वह थे, उसके खिलाफ कोई खराब इन्ट्री नहीं थी, वह मेडिकली फिट थे, और शायद वह उन बहुत से लोगों से अधिक स्वस्थ थे जो उस समय तक काम कर रहे थे और जिनको रिटायर नहीं किया गया था, परन्तु उन इन्सपेक्टर साहब को रिटायर कर दिया गया, उसके साथ गैर इंसाफी की गई। वह बेचारा इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा कि उसके साथ गैरइंसाफी की गई है, वे चिल्लाते रहे कि वे मेडिकली फिट हैं पर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैं यह कह रहा था कि हरिजनों में कम लोग ही इंचार्ज होते हैं और न तो उनके इंचार्ज होने की कोई गुंजाइश ही होती है। इस हरिजन को इसलिये रिटायर कर दिया गया कि उसकी जगह खाली होने पर दूसरों को प्रमोशन का मौका मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वह समय था जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। हमने भी उसकी दौड़ की परन्तु आप तो जानते ही हैं कि जब राज्यपाल महोदय ने एक निर्णय ले लिया तो उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है इसको तो आप जानते ही हैं। जो नीचे से फाइल चल रही है उसी पर सब जगह दस्तखत होते चले जाते हैं। यदि वह दुबारा अपील करता है तो वह भी ठुकरा दी जाती है। मैं किदवई साहब की बात का समर्थन करता हूं। मैं इस बात को पक्षपात या गैर पक्षपातपूर्ण भावना से नहीं कहता हूं। सरकारी कर्मचारियों को रिटायर करने में या हटाने में जो नीति बरती जा रही है उसका ज्ञान बहुत मुश्किल से सरकार को हो पाता है और सब घपला नीचे ही हो जाता है। मैं श्री किदवई साहब के सुझाव से सहमत हूं कि ५५ वर्ष की आयु में रिटायर करने के लिये कोई कमीशन या ट्रिब्यूनल नियुक्त होना चाहिये। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को हम हटाना चाहते हैं या उनका सेवा-काल समाप्त करना चाहते

[श्री धर्मवीर]

हैं उनको अपनी बातों को कहने का और अपने ग्रिवान्सेज रखने का अधिकार होना चाहिये। जब यह हक उनको प्राप्त होगा और आयोग उनके पक्ष को भी सुनेगा तभी उनके साथ न्याय हो सकेगा। आप मिलिटरी के अन्दर देखें। वहां पर रिटायर करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड बैठता है, जांच पड़ताल होती है और तब रिटायर करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश के अन्दर इसके संबंध में वातावरण अनुकूल नहीं है। यहां तो यह होता है कि जो नीचे से हेड आफ डिपार्टमेंट ने लिख दिया उसी के अनुसार सब कलम चलाने लगते हैं। मैं किदवई साहब के इस प्रस्ताव का समथन करता हूं और आशा करता हूं यह सरकार इस पर विचार करेगी। ट्रिब्यूनल का शीघ्रातिशीघ्र बिठा देना नितान्त आवश्यक है। उसमें सभी वर्गों के अधिकारी रखे जायं, यह नहीं कि केवल हरिजन ही रखे जायं। सरकारी कर्मचारियों को नियमानुकूल ही सेवा काल की बढ़ोतरी दी जाय। हमारा निवेदन तो केवल यह है कि सब को न्याय मिलना चाहिये। ट्रिब्यूनल के सामने उनको अपनी पूरी सफाई देने का मौका मिलना चाहिये। यह ध्यान देने की चीज है कि एक कर्मचारी जिसने इतने लम्बे काल तक सरकार की सेवा की है और हम उसको सेवा मुक्ति से पहले अपनी सफाई देने का अवसर भी नहीं देते हैं। उसको अपनी परेशानियां कहने का अवसर मिलना चाहिये। मैं सरकार से जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस चीज की गहराई में जाएं और इसका जो महत्व है उसको समझें। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किदवई साहब के इस सुझाव से सहमत हूं कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के प्रति कोई अन्याय हो, उनको उस अन्याय का निराकरण करने की सुविधा मिलनी चाहिये। उनको यह सुविधा प्राप्त होना न्यायसंगत है। श्रीमन्, मैं श्री धर्मवीर के विचार से सहमत नहीं हूं। उन्होंने हरिजन और नान-हरिजन का सवाल उठाया। हमें उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिये जिनके बीच से आज हम गुजर रहे हैं। नौकरियों में रेक्रूटमेंट के समय तो हरिजनों के साथ विशेष व्यवहार होता है और उसका होना आवश्यक भी है और उसके लिए आज तक हमेशा अनुमति दी गई, लेकिन एक बार जब वे सर्विसेज में आ जाते हैं तब फिर हरिजन और नान-हरिजन का सवाल नहीं उठना चाहिये। हम अपने शासन को क्लीन और अच्छा बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम उसको ही कर पाते हैं तो वह काफी बात हो सकती है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारी जो शासन की मशीनरी है वह हमें ब्रिटिश शासन काल के समय से मिली है। इस बात को तो इतिहास ही बता सकता है कि वह मशीनरी हमें किसी क्रान्ति के जरिये से नहीं मिली है, बल्कि वह परंपराओं की देन है जो हमें विरासत में मिली है। श्रीमन्, हम जाते हैं कि हमारे यहां जो शासन की मशीनरी स्थापित की गई थी वह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के लिए की गयी थी। मेरा ख्याल तो यह है कि हमारे देश में जो विभिन्न समस्यायें उठ रही हैं हमको उन पर विचार करना चाहिए।

सिंचाई एवं विद्युत उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

क्या विषय है जिस पर आप बोल रहे है?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इस संबंध में मै सरकार को सुझाव देना आवश्यक समझता हूं। मैं इस विषय पर विस्तार से कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन संकेत के रूप में, मैं चाहता हूं कि आज देश के सामने इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि एक क्लीन प्रशासन देश को दिया जाय और क्लीन प्रशासन के लिये हमें शासन की मशीनरी की जो बहुत सी समस्याएं हैं उन पर विचार

करना होगा। चूंकि नई बात आ गई थी और मेरी समझ से इस पर विचार करना आवश्यक था इसलिए मैंने यह विषय उठाना आवश्यक समझा और मुझे इस बात का विश्वास है कि चौधरी साहब प्रशासन में कुछ ऐसा आमूल परिवर्तन करेंगे जिससे कि हमारे प्रदेश को क्लीन शासन प्राप्त हो।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मूल अधिनियम में संशोधन है उसका अभिप्राय केवल यह है कि किसी अधिकारी के ऊपर कोई दोष आरोपित होता है और उसकी सेवा २५ वर्ष की हो चुकी या उसकी आयु ५५ वर्ष हो चुकी तो उसको नोटिस देकर निकाला जा सकता है। इस विधेयक का तृतीय वाचन चल रहा है और मैं समझता हूं कि यह पारित हो जायेगा लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि तृतीय वाचन में सदस्यों द्वारा जो विचार उपस्थित किये जाते हैं उनके आधार पर उस कानून को कार्यान्वित करते समय उसके लिये जो नियम बनते हैं उनमें उन सदस्यों के विचारों का ख्याल रखा जाता है ताकि उसका कार्यान्वयन सही रूप से हो सके। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कानून है प्रायः अनुभव से यह देखा गया है कि इसका लाभ ब्यूरोक्रेसी को पहुंचता है। जो उच्च अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से नाराज हो जाता है तो उसके प्रति इस कानून का प्रयोग करने की जरूर कोशिश करता है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके कार्यान्वयन में जिस अधिकारी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जाय, उसकी चरित्र पंजिका पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। पिछले २५ वर्ष या पूरी सेवा में उसकी चरित्र पंजिका कैसी रही है, उसकी कार्यक्षमता कैसी रही है, वास्तव में वह ईमानदारी एवं सक्षमता के साथ कार्य करता रहा है या नहीं करता रहा है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि अपने उच्च अधिकारी को किसी वजह से वह खुश न कर पावे या किसी तरह से संतुष्ट न कर पावे तो वे उससे नाराज होकर उसको किसी तरह से उलझा दें। किसी ने अपराध किया हो और इसके लिये उसे दोषी ठहराया जाय तो एकदम से उसे सेवा से न हटा कर उसे साधारण चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अधिकारी के खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया जाय उसके पूरे कार्यकलापों पर ध्यान रखा जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि वास्तव में इस कठोर दण्ड का भागी वह है भी या नहीं और उसके बाद ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार नियमों के बनाने में और उसके कार्यान्वयन में पूरी चेष्टा रखे। इससे मैं समझता हूं कि किदवई साहब का जो संशोधन है, मेरी बातों से उनको समर्थन मिलेगा।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का वास्तव में बड़ा आभारी हूं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं हम उन सुझावों पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे। हमारे भाई धर्मवीर जी ने कुछ बातें हरिजनों की सेवा के संबंध में कहीं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विसेज में किसी के साथ पक्षपात या कोई भेदभाव पूर्ण नीति हमारी सरकार की नहीं होगी। जो सर्विसेज के नियम हैं वे सभी के लिये हैं। चाहे कोई हरिजन हो, चाहे गैर-हरिजन हो, सबके साथ एक ही नियम लागू किया जायगा। मुझे आशा है कि हमने जो यह बिल पेश किया है इसको आप स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०*

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दें । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे । मान्यवर, अनेक विधेयक इस सदन के सामने आए और हमने इस प्रकार के संशोधन रखे । हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह कहा और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने सेक्रेटरी से कह दिया कि जितने प्रकार के संशोधन आएं उसमें इस प्रकार का संशोधन रखें और अपना दस्तखत दे दें । अगर हमने इतना भी न रखा होता तो इस सदन को इतना भी अवसर न मिलता कि उस विधेयक पर पूर्ण रूपेण विचार हो । मंत्री महोदय को अवसर न मिलता कि अपने विभाग से संबंधित अधिनियम को पढ़ें कि उसमें क्या खामियां हैं । जब ऐसे विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं तो माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न विचार रखते हैं और उन विचारों में से मंत्री महोदय को चुनने का अवसर मिलता है कि कौन-कौन सी खामियां हैं और उनके लिये क्या करना चाहिये । हम मुख्य मंत्री जी की राय से सहमत नहीं हैं कि संशोधन या विधेयक रख दिया जाय और उसमें कोई समय न लगे और पारित हो जाय । श्रीमन्, कौनसी ऐसी मशीनरी है जिसके जरिए प्रदेश की जनता के भिन्न-भिन्न विचार आपके सन्मुख आ सकें ?

दूसरा तरीका प्रवर समिति का तरीका है । जब उसमें भिन्न-भिन्न क्षेत्र के भिन्न-भिन्न सदस्य मेम्बर होंगे और मूल अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे तो जो खामियां हैं वे आपके सामने आयेंगी । हमारे कांग्रेस के भाई और बी० के० डी० के भी एक सांस में महात्मा गांधी का दम भरने वाले हैं । अधिकांश अंशों में मैं भी उनका दम भरता हूं । लेकिन श्रीमन्, मुझे दुःख है कि वे उनके अनुसार काम नहीं करते । चूंकि आबकारी से संबंधित यह है, इसलिये मैं कह रहा हूं कि गांधी जी चाहते थे कि कम्प्लीट प्रोहीबीशन हो जाय । मान्यवर, प्रोहीबीशन से होने वाली इन्कम वैसे ही है जैसे डकैती से इन्कम लेकर मंदिर बनवाए । यदि एक्साइज से इन्कम लेकर प्रदेश की रचना करना चाहते हैं और इसलिये पूरी तरह प्रोहीबीशन नहीं करते कि हमारी इनकम गिर जायेगी तो बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह उसूल बड़ा गलत है । यह तो ऐसे ही है कि जहां आपको सूट करे वहां गांधीजी का नाम लें और जहां उनके सिद्धान्तों पर चलने का अवसर आए वहां निकल जाएं । तो यह बहुत गलत है ।

आज मैं देखता हूं कि एक्साइज विभाग में यह स्थिति हो गई है कि गांव के कोने-कोने में शराब की दुकानें पहुंच गई हैं और जो आदमी दिन भर में १ या २ रुपये कमाता है वह शाम को ८ आने या १ रुपया इन दुकानों पर खत्म कर देता है । अगर आप आंकड़े उठा कर देखें तो गरीब आदमी ज्यादा पीते हैं । सरकार की ऐसी महती कृपा हुई है कि शराब की दुकान ऐसे इन्टीरिएर में गांव में पहुंच गई है क्योंकि पानी मिला कर पैसा बनाने वालों को गरीब जनता को ठगना है । गरीबों को मस्त कर के उनकी पाकट से पैसा निकालने का लाइसेंस यह सरकार देती है । शराबखोरी करने का जो लाइसेंस दिया जाता है उसकी जिम्मेदार सरकार है । वह कौन-सी ऐसी सरकार आयेगी जो इसको कम्प्लीट प्रोहीबिशन कर के रख दे । आज यही अवसर है कि जब हम आपके सामने कहें कि आप ऐसा कानून बनाइए कि कम्प्लीट प्रोहीबिशन

---

*२६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

हो जाय। प्रवर समिति के सामने लाइए, उसकी परिधि बढ़ाइए और वहां इस पर विचार किया जाय कि यह रखा जाय या नहीं अन्यथा ऐसे कानून बनाए जायं जिससे गरीबों की रक्षा हो सके। आंख के सामने केवल एक चीज है कि हमको पैसा कैसे मिले। मैं पुनः दोहराता हूं कि यह ऐसा ही है जैसे डकैती करके मंदिर बनवाना।

दूसरी बात, इतना भ्रष्टाचार एक्साइज डिपार्टमेंट में है, माफ करेंगे आबकारी मंत्री महोदय, आज एक्साइज इन्स्पेक्टर की पोस्ट बिकती है। १० हजार रुपया दे दो तो कानपुर में एक्साइज इन्स्पेक्टर हो जाओ, ५ हजार दे दो तो इलाहाबाद में हो जाओ, २० हजार दे दो तो बनारस में हो जाओ। वह १० हजार क्यों देता है? इसलिये कि वह २० हजार पैदा करता है लाइसेंस होल्डर से और लाइसेंस होल्डर कहां से पैदा करता है? उस गरीब जनता से जिसमें अधिकांश तांगे वाले, रिक्शा वाले और मजदूर लोग हैं। इस पर आपने कभी भी विचार नहीं किया। प्रवर समिति बैठेगी तो वह एक्साइज ऐक्ट, १९१० का विचार करेगी। महात्मा गांधी ने अपने विचार बहुत बाद में प्रकट किये थे। हमें उसको विचार करने का अवसर आयेगा। इस्टैब्लिशमेंट और कंट्रोल की जो किताब वितरित की गई है वह भी खामियों से भरी हुई है। उस पर भी विचार करने का अवसर मिलेगा।

तीसरी बात, उन्होंने आबकारी की चीजों की परिभाषा दी है। वह भी अपूर्ण है। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। एक्साइज आफिसर्स की पावर्स दी गई है। एक्साइज आफिसर्स अगर चार आदमियों की पाकेट में बोतल लाकर रख दें तो कारगुजारी हो गई कि एक महीने में चार केस पकड़े। लेकिन अगर वह खुद स्मगलिंग करता है तो उसकी रोक नहीं है। उसकी पावर्स पर पुनः विचार करना अत्यन्त आवश्यक है।

चौथी बात, जो लाइसेंस परमिट्स देते हैं उनकी यह हालत है कि एक मर्तबा सरकार ने कुछ एम० एल० एज० को भी उसमें मेम्बर बना दिया। मुझे ठीक याद आता है कि मेरा भी उसमें नाम था लेकिन मुझे वहां जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और मैं कभी नीलाम के वक्त गया नहीं। ऐसा शायद लाइसेंस के लिये इसलिये ही होता है कि जो लाइसेंस मांगने आए तो वह इतने पैसे दे दें और उसे सहायता दे दी जाय, तो यह सिस्टम बहुत ही खराब है। इस तरह से नीलाम नहीं होते और वह दूसरे तरीके से होते हैं तो इस तरह से इन सारे नियमों में परिवर्तन की जरूरत है जिससे यह भ्रष्टाचार, घूसखोरी दूर हो जाय। यह जो बड़ों की मदद देने का एक तरीका हो गया है उस पर भी विचार करें। एक एक्सेप्शन उन्होंने किया है, मुझे याद है उस समय की सरकार ने, माननीय चरणसिंह जी भी उस समय के मंत्रिमण्डल में जरूर रहे होंगे, प्राहिबिशन कुछ जिलों में कर दिया और शराब पीने वालों को छूट दी गई कि वह लाइसेंस लेकर पी सकते हैं, मेडिकल स्टोर वालों को भी कुछ ड्रग्स के लिये छूट दी गई, उसमें भी बड़ा करप्शन है दवाओं के बहाने लोग लाइसेंस लेकर तमाम गड़बड़ करते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि जिला जज, जिलाधीश बड़े अफसर लिखकर सिविल सर्जन से लिखाकर इजाजत ले लेते हैं कि यह तो बिना पीए रह ही नहीं सकते। इनके लिये आवश्यक है और अगर वह नहीं पीवेंगे तो उनको फलां मर्ज में गड़बड़ हो जायेगी। यह कराकर उनको लाइसेंस मिल जाता है। अगर ५ बोतल का लाइसेंस मिलता है तो वह २० बोतल लेते हैं और अनलिमिटेड क्वानटिटी में उनको बोतलें मिलती रहती हैं, जिसको चाहे ऐसे लाइसेंस मिल जाते हैं और प्राहिबिशन भी रहता है। इस तरह की चीजों पर विचार होना चाहिये। इत्तिफाक से मैं तो पीता नहीं वर्ना इस विषय के दूसरे पहलुओं को भी मैं जानता होता लेकिन मैं यह एक निश्चित विश्वास के साथ कहूंगा कि इसमें इतने परिवर्तन की आवश्यकता है कि वे तभी संभव होंगे जब इस पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये एक प्रवर समिति की स्थापना होगी, आप इसकी परिधि भी व्यापक बनाए तभी आप इसमें संशोधन विधेयक लाकर एक पूर्ण अधिनियम बना सकते हैं। लेकिन आप कब जागते हैं, जब सोये हुए कानशेंस को किसी

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

दिन या तो विचार आ जाता है या अन्तःकरण जग जाता है या फिर कभी हाई कोर्ट ने जगा दिया तब आप नींद से जागते हैं ।

आप जरा विचार करें कि आज समाज की स्थिति क्या है, क्या दोष हमारी इस प्रणाली में है, कैसे हम बैठकर उनको ठीक कर सकते हैं और एक व्यापक विधेयक ला सकते हैं । आप विचार करें इस पूरे प्रश्न पर लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आपका सारा प्रयत्न यह रहता है कि कैसे हमारी रेवेन्यू बढ़े । इन्हीं तमाम विचारों और तर्कों के आधार पर मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को इसकी परिधि बढ़ाकर संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां हम इसके सारे विषयों पर विचार करके एक सुन्दर विधेयक सदन में रख सकें । समय चाहें आप इसके लिये थोड़ा ही रखें परन्तु हमारा तो आग्रह है कि पूरा प्राहिबिशन होना चाहिये, गलत काम के लिये पैसा कमाने की प्रवृत्ति स्टेट की नहीं होनी चाहिये, उसको रोकना चाहिये । लेकिन अगर थोड़ी देर के लिये आप चाहते हैं तो जो बातें मैंने उपस्थित की हैं उन पर विचार करने के लिये आप इसे प्रवर समिति में भेज दें, थोड़ा पैसा लग जाय और एक विधेयक विधि विभाग और हमारी जांच-पड़ताल और विचार करने के बाद आए, फिर से सदन के सामने बिल आए । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि इस विषय पर काफी दिनों से, स्वतंत्रता के पहले से ही यह मांग चली आ रही थी और जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वे सभी कहते थे कि जब हमारा देश आजाद होगा और हम स्वतंत्र होंगे तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि देश से शराब को समाप्त करेंगे । इस विषय को लेकर बराबर आन्दोलन भी होते रहे और अब भी समय-समय पर आन्दोलन होते रहते हैं । इस बात से कोई भी इन्कार नहीं करता चाहे वे सरकारी पक्ष के लोग हों या विपक्ष के या किसी भी दल के हों, हर दल का व्यक्ति इस बात को जरूर कहता है कि शराब बन्द होनी चाहिये लेकिन सवाल यह है कि उसका क्या कारण है कि वह बन्द नहीं हो पाती । इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खुले आम सार्वजनिक सभाओं में, और विधान सभाओं में हम इस बात को मानकर चलते हैं कि इसको समाप्त होना चाहिए पर हर सरकार के सामने एक ही कठिनाई आती है कि हमारी आमदनी कम हो जायेगी । इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य में इससे बहुत बड़ी आमदनी होती है और वह समाप्त हो जायेगी लेकिन उससे हमारा देश और राष्ट्र कमजोर हो, यह भी हमारे लिये उपयुक्त नहीं है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बहुत सी बातें जिनको हम सार्वजनिक स्थानों पर कहते हैं और फिर बाद में किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम पीछे हट जाते हैं तो उनकी गहराइयों पर विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें । उस समिति में हर दल के माननीय सदस्य हों, पुराने और नये दोनों हों, ताकि उस पर अपने विचार रख सकें और तब यह सदन में आए । अतः मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा करने से यह उत्तर प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ा काम होगा । हमारी प्रवर समिति इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके सदन में भेजे और फिर इस पर कोई कदम उठाया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिपाठी जी द्वारा जो सुझाव दिया गया है, कि इस विधेयक को विचार के लिये प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट गंभीरतापूर्वक विचार करके, सदन को दे और उसका मार्गदर्शन करें ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह विधेयक आया है इसके बारे में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोश खरोश के साथ घोषणा की थी कि आगे के साठों में

हम शराब की दुकानों के खुलवाने की इजाजत नहीं देंगे। हम बहुत ही प्रभावित हुए थे। इससे यह भी आशा बंधी थी कि इस गांधी शताब्दी वर्ष में यह नई सरकार शराब बन्दी लागू करेगी लेकिन जब यह विधेयक हमारे सामने आया और उसमें इस बात के लिये जोर दिया गया कि उच्च न्यायालयों में कुछ मुकदमों में फैसला लेने में यह निर्णय किया गया कि चूंकि जो शराब और अन्य नशीली वस्तुयें हैं उनके दाम निश्चित नहीं किए गये हैं, इसलिये वे मुकदमें अल्ट्रा-वायरस घोषित कर दिये गये हैं। इसी कारण से यह विधेयक सामने लाया गया है लेकिन इस गांधी शताब्दी के वर्ष में इस विधेयक को लाकर अच्छा काम नहीं किया है। यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० की धारा २८ तथा ४६ में राज्य सरकार को आबकारी वस्तुओं पर ऐसी दर से आबकारी शुल्क लगाने का अधिकार है। राज्य सरकार को पूरी छूट थी कि वह उसे बढ़ा सकती थी लेकिन विधान सभा की जब तक सेंक्शन न मिल जाय तब तक कोई इस तरह से नहीं बढ़ा सकते हैं और इसलिए विधान सभा में उनके मूल्यों की निर्धारित अधिकतम सीमा कर दी जाय। लेकिन सचमुच वह बढ़ाने के लायक है या नहीं उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अन्त में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार उक्त अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए शुल्क निर्धारित करते समय संविधान के अनुच्छेद ४७ के निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी। जो संविधान है उसके चौथे चेप्टर के ४७वें अनुच्छेद में बहुत ही स्पष्ट दिखायी देगा कि सरकार को ऐसी चीज पर रोक लगानी चाहिए जिनसे पब्लिक की हैल्थ और कैरेक्टर पर असर पड़े। इसमें लिखा हुआ है कि :

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

अब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा विधेयक लाना उचित नहीं है।

जहां तक मूल्यों के बारे में जो कुछ कहा गया है मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन स्प्रिट के बारे में जरूर आपत्ति है। स्प्रिट एक ऐसी चीज है जो साधारणतया लोग पीने के काम में नहीं लाते हैं। उसका उपयोग दवाओं के काम में आता है, चोट आदि लगने पर उसका उपयोग होता है। तो जो आर्टिकिल मैंने अभी पढ़ कर सुनाया उसके मातहत अगर स्प्रिट के दाम अधिक कर दिये जायंगे तो वह इस आर्टिकिल की भावना के विरुद्ध होगा। इसके अतिरिक्त जिन उद्देश्यों को सामने रख कर यह विधेयक लाया गया है वह भी पूरे नहीं होंगे। अगर सरकार ज्यादा पैसा कमाना चाहती है तो आय के और बहुत से जरिये हो सकते हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज गांधी शताब्दी का जो हम बार बार नाम लेते हैं, इस बात पर दम भरते हैं कि गांधी शताब्दी में नशाबन्दी हो, तो ऐसे समय में पैसे की बढ़ोत्तरी के लिये इस प्रकार का विधेयक लाना आज के दिनों में उपयुक्त नहीं है। ऐसे समय में यह जो बिल लाया गया है वह अनुचित है। इन शब्दों के साथ, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज दोनों ही पक्ष के लोग इससे सहमत हैं कि प्रदेश में शराब बन्दी हो। अगर यह हो जाय तो यह प्रदेश के हित में ही होगा। मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को न लाया जाता तो अच्छा ही होता।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने उत्तर प्रदेश इक्साइज ऐक्ट १९१० के संशोधन पर अपनी ओर से संशोधन पेश कर प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सिलसिले में मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आन्दोलन के समय जब हम सब लोग गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह करते थे तो हम सभी की ओर से बड़े जोर शोर से यह नारा लगाया जाता था कि

[श्री डूंगरसिंह बिष्ट]

शराब बन्दी हो। सौभाग्य से मैं भी उन आजादी के आन्दोलन वाले लोगों में से रहा हूं जो शराबबन्दी के पक्ष में थे। उस समय हम सब लोग यही कहा करते थे कि आजादी मिलने के बाद पहला काम शराब बन्दी का ही होगा। परन्तु आज कई सालों से हम लगातार यह देखते आ रहे हैं कि सरकार की ओर से यह प्रयास किया जाता है कि किस तरह से शराब से अधिक से अधिक आमदनी हो। आज हम गांधी शताब्दी समारोह बड़े जोर शोर से मना रहे हैं और उनके आदर्शों के अनुरूप चलने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं...

मगर जो उनके अनरूप कार्य हैं, उनको कार्य रूप में परिणित करने के लिये नहीं सोच रहे हैं। मैं समझता हूं यह गांधी जी के नाम पर केवल दिखावा मात्र है। सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री चौधरी साहब को, जो देश के कांग्रेस के भी नेता रहे हैं इस ओर ध्यान देना चाहिये। अभी पिछली ४–५ मार्च को उन्होंने कहा है कि भविष्य में शराब की दूकानें नहीं खोली जायेंगी। यह कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वह हिम्मत करके और पूरी तरह से नशा बन्दी को लागू करें। जैसा कि यह अपने को गांधीवादी कहते हैं। विधान सभा में पिछले दिनों एक प्रश्न उनसे पूछा गया था कि आप गांधीवादी, समाजवादी या सर्वोदयवादी में से क्या हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं गांधीवादी हूं। तो इस नाते उन्हें तुरन्त पूर्ण शराब बन्दी की घोषणा करनी चाहिये थी।

सन् ६७ में जब चौधरी साहब की संविद सरकार बनी थी उन्हीं के समय हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में कई गुना ज्यादा दुकानें खुली। मैं माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे गांधी वादी होने की दुहाई देने के बजाय गांधी जी के आदेशानुसार तुरन्त पूर्ण शराब बन्दी लागू करें। गुप्त सरकार ने सीमावर्ती तीन जिलों के लिए तो पिछले साल ही पूर्ण शराबबन्दी कर दी थी। मुझे ख्याल है गुप्ता जी ने एक पालिसी बना ली थी कि शनैः-शनैः अन्य जिलों में भी शराबबन्दी की जाएगी। क्योंकि गोवा कांग्रेस की जो इच्छा थी ७ साल में पूरी शराबबन्दी करने की, उसकी ओर उन्होंने पूरा ध्यान दिया था। चौधरी साहब की संविद सरकार के जमाने में तो जब उनसे पर्वतीय क्षेत्रों के विशेष विकास के लिये कहा गया और वहां पर पूरी तरह से शराबबन्दी के लिए भी कहा गया तो उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया कि वहां पर धनी व सम्पन्न हैं और शराब पीने वाले लोग ज्यादा हैं। यह आंकड़े संविद सरकार के जमाने में छपी एक पुस्तक में चौधरी साहब ने निकाले थे जो गलत थे। हम लोगों के प्रति उनकी बरी भावना वाले थे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपकी सरकार द्वारा जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी जायंगी तो इसका परिणाम बहुत बुरे के अलावा क्या होगा? मैं निवेदन करूंगा चौधरी साहब से कि वे साहस करके घोषणा कर दें तो इससे प्रदेश के सारे लोगों का भला होगा और गांधी जी की इच्छा के अनुरूप यह काम होगा और इससे सारे प्रदेश को एक दिशा मिल जायगी। आज देखा यह जाता है कि छोटे-छोटे नाबालिग बच्चे दूकानों पर शराब लेने जाते हैं जब कि ऐक्ट में उनको शराब बेचना मना है। मैंने स्वयं इस तरह की घटना को अपने यहां नैनीताल में कुछ साथियों सहित देखा और अधिकारियों को भी सारा ध्यान दिलाया, किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, मैंने अखबारों में पढ़ा और जनता के मुंह से भी सुना है कि शराब की बोतलों के ढक्कन इस प्रकार के बने और लगे होते हैं कि उन्हें सरलता से निकाल कर शराब में मिलावट की जा सकती है और फिर उसी तरह ढक्कन बंद किया जा सकता है। कुछ साल पूर्व जो दूकान ३ हजार रुपये में जाया करती थी वह अब नीलाम द्वारा डेढ़ लाख रुपये में जाती है, तो इसका नतीजा क्या होता है? सिवाय यह कि दूकानदार स्प्रिट टिंचर और अल्कोहल तथा दूसरे जहरीले पदार्थ की मिलावट करके अपना घाटा पूरा करके खूब लाभ उठाया करते हैं। साथ ही यह भी विचारणीय है कि देशी शराब की दूकानों का नीलाम होता है

विलायती शराब की दूकानों का नहीं होता है। चौधरी साहब यह घोषणा करें, जहां उन्होंने यह घोषणा की है कि भविष्य में कोई शराब की दूकान नहीं खुलेगी, कि शराब बन्दी भविष्य में पूरे तरीके से होगी। उनका गांधीवादी होना तभी माना जा सकेगा।

मान्यवर, जहां तक शराब से सरकार आमदनी का श्रोत समझती है वहां एक्साइज से जो आमदनी होती है उसके पूरा करने के लिए हम किसी रूप में टैक्स देने को तैयार होंगे, यह आदरणीय सदन के सभी सदस्य भी स्वीकार करेंगे। त्रिपाठी जी ने एक बात और भी कही थी। मैं भी बता दूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जिन अधिकारियों के हाथ में नीलाम करने का अधिकार होता है ये अधिकारी ठेकेदारों से मिल कर लाखों रुपये बनाते हैं। शायद ही कोई इंस्पेक्टर कभी किसी दूकान में जाता हो और जांच करता हो। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम पर्वतीय प्रदेश में जो तीन जिले शराबबन्दी में हैं और तीन चार जिले अल्मोड़ा, गढ़वाल टेहरी व नैनीताल जो बिलकुल आरपार मिले हुए हैं अगर उनमें हम शराबबन्दी नहीं करेंगे तो उन तीन जिलों में शराबबन्दी बिल्कुल बेकार है। चौखुटिया जो १५ मील रानीखेत से दूर है, वहां पर शराब की दूकान है। कोटद्वार की दुकान बन्द हुई लेकिन उसके निकट चौखुटिया पर दुकान है। तो हजारों की संख्या में गढ़वाल के कोटद्वार इलाके में शराब प्राप्त करने के लिये लोग वहां चले जाते हैं। इसलिए अगर शराबबन्दी हो तो पूर्ण तरीके से हो। जैसे लखनऊ में शराबबन्दी थी, कानपुर में नहीं थी तो लखनऊ से लोग रोजाना जाकर शराब ले आया करते थे।

कानून के अनुसार मंगलवार को शराब बेचना मना है। लेकिन मैंने नेनीताल में मंगल को शराब बेंचते हुए देखा है। मैं चार पांच आदमियों के साथ देखने को गया था। नैनीताल में पिछले साल जब राष्ट्रपति आये थे तो नैनीताल क्लब में उनकी दावत होने जा रही थी, तो हमने तो विरोध किया था क्योंकि यह क्लब शराबी अधिकारियों व समाज के गलत व्यक्तियों का भी अड्डा है। अभी १३ तारीख को हल्द्वानी में शराबबन्दी का आन्दोलन होने जा रहा है क्योंकि वहां पर शराब की दूकानों का नीलाम हो रहा है। हजारों आदमी वहां सत्याग्रह करने जा रहे हैं। ऐसा नोटिस शायद माननीय मंत्री के पास पहुंच गया होगा मेरा बस चले तो मैं भी हल्द्वानी में सत्याग्रहियों के साथ जाने को तैयार हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि १३ मार्च को शराब की दूकानों का हल्द्वानी में नीलाम न करायें कम से कम पर्वतीय प्रदेश को बचाने के लिए उन चार जिले में भी पूर्ण शराबबन्दी करने की कृपा करें। धन्यवाद !

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह विधेयक जो यहां पर पेश किया गया है किसी भी प्रजातांत्रिक मुल्क के लिए खास कर अपने सूबे के लिए जहां पर ८५ से ९० फीसदी गरीब आदमी रहते हैं, बहुत ही गन्दा विधेयक और जनता के गले में फांसी लगाने वाला विधेयक है। अब वह वक्त आ गया था जब इस प्रदेश में फैले हुए भ्रष्टाचार और कुरीतियों को मिटाने के लिए कोई विधेयक पेश किया जाता। हमारा पड़ोसी देश चीन है जो मुद्दतों से अफीमची मुल्क बना चला आ रहा था। उन्होंने अपने मुल्क से अफीम का नामोनिशान मिटा दिया। आज यह महात्मा गांधी का देश है जिसमें महात्मा गांधी की इस शताब्दी वर्ष में हमें दुःख है कि इस सरकार की तरफ से ऐसा विधेयक पेश किया जा रहा है जिसमें शराबबंदी को जारी रखने की बात की जाती है।

कौन नहीं जानता कि शराब से हमारे गांवों का गरीब आदमी बिलकुल आदमी से जानवर बनता चला जाता है। इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि यह जो हमारी चरण सिंह सरकार है यह गरीब इन्सान को उसकी गरीबी भुलाने के लिये शराब की बोतल में फंसाना चाहती है, जिससे वह गरीब आदमी यह न समझ सके कि हमारी गरीबी का क्या कारण है। यही वजह है कि आज गरीब इन्सान रिक्शा चलाकर ३ रुपया रोज कमाता है और वह उसमें से दो रुपया शराब की बोतल में खर्च कर देता है। फिर वह सड़क पर आने के बाद अपनी वास्तविक समस्या को जान नहीं पाता है कि क्या है और कैसे उससे वह निकल

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

सकता है । यह सरकार गरीब आदमी को शराब पिला कर शासन करना चाहती है। आज की यह सरकार जिस आदमी के हाथ में है उसकी तरफ से इस प्रकार का बिल पेश किया जाना एक बहुत ही लज्जा की बात है । मैं तो यह कहूंगा कि इस सरकार की ओर से तीन जिलों के अन्दर शराब पीने की मनाही है लेकिन बाकी ५१ जिलों को शराब पीने की छूट दे दी है कि वह खूब पियें। मंगलवार को शराब की दुकान सरकार बन्द रखती है लेकिन बुधवार को शराब की दुकान खोलने का कौन-सा सिद्धान्त है ?

मैं समझता हूं कि शराबखोरी को सब लोग बुरा मानते हैं लेकिन यह सरकार ठेके देकर पैसे की आमदनी बढ़ाने के लिये गरीब आदमियों की गरदन पर ऐसा सिकन्जा लगाये हुये हैं कि जिससे वह उस शिकन्जे से निकल नहीं सकता है । वह इस कुरीति से निकल नहीं सकता है । शराब इन्सान को जानवर बनाने की चीज है । जिसे यह सरकार पिलाती है तो किस प्रकार से जनता का भला करेगी और किस प्रकार से स्वच्छ प्रशासन जनता को देगी और किस तरह से समाज का सुधार करेगी ? मैं इस लिये यह निवेदन करता हूं कि यह शराबबन्दी महात्मा गांधी के आन्दोलन से जुड़ी हुई है और हमारे करोड़ों आदमियों की जिन्दगी से जुड़ी हुई है। आज बदकिस्मती से एक ऐसी सरकार के हाथ में यह शराबबन्दी की बात आई है जो शराबखोरी का कानून चलाना चाहती है, यह बड़े शर्म की बात है । मैं यह कहता हूं कि आज यहां पर इस तरह के विधेयक को पेश नहीं होना चाहिये था । इस विधेयक के मामले में आप देखें कि इसका क्या असर होगा। मैं तो रोज देखता हूं कि गांव में शराब की दुकान के पास रोज बेहद गुंडागिरी बढ़ रही है । शराब पीने के बाद आदमी अपने को आदमी नहीं समझता है। आज गांव के अन्दर अराजकता का वातावरण पैदा हो गया है । उसका कारण यही शराबखोरी है। इसलिये इस शराबखोरी को रोकने का प्रयत्न किया जाय।

इस शराबखोरी का कारण है शराब की दुकानें। अगर शराब की दुकानें बन्द हो जायं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में गुंडागिरी अपने आप ही कम हो जायगी और हमारे गांवों का वातावरण अपने आप ही संभलेगा। इस शासन को भी, जो जनता को स्वच्छ प्रशासन देना चाहती है, राहत मिल जायगी और समाज को उन्नति के रास्ते पर लाने के लिये सहूलियत पैदा हो जायगी। अगर हुल्लड़बाजी को इस प्रदेश से कम करना यह सरकार चाहती है तो शराबखोरी को एकदम बन्द कर दिया जाय। यह प्रदेश के लिये बहुत ही अच्छी बात होगी। यह एक आदेश के जरिये से किया जा सकता है कि "शराब की दुकानों को बन्द कर दिया गया"। यह इस सरकार को करना चाहिये था लेकिन ऐसा न करके यह सरकार महत्मा गांधी की आत्मा को दुख दे रही है। इस प्रान्त में लगभग ९ करोड़ जनता की गरदन में शराब का फंदा यह सरकार लगाये हुये है जिससे वह इस कुरीति से ऊपर नहीं उठ सकती है। यह चरण सिंह सरकार आमदनी के लालच से, अपना राजस्व बढ़ाने के लालच से ऐसा कर रही है जैसे डकैती की रकम से कोई मन्दिर बनवाये। जब यह सरकार एक साल के अन्दर ६०० करोड़ रुपया खर्च करती है तो उसमें से १५, २० करोड़ रुपया इस कुरीति को मिटाने के लिये यह सरकार छोड़ नहीं सकती है जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिले।

इसी के साथ साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार इससे अपनी आमदनी करना चाहती है तो शराब की एक बोतल का दाम सरकार को १०० रुपया कर देना चाहिये। अगर ऐसा ही यह सरकार कर दे तो गरीब आदमी इस कुरीति से बच जायगा। फिर वह उसको खरीद कर पी नहीं सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अधिनियम का विरोध करता हूं और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के संशोधन का जोरदार समर्थन करता हूं, और इस चरण सिंह सरकार से मांग करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले और इसे प्रवर समिति के सिपुर्द करे जिससे इस पर विस्तार से विचार हो सके और प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबन्दी का अधिनियम बना कर शीघ्र लागू किया जाये। मंत्री जी से मैं नहीं कहता लेकिन जैसा त्रिपाठी जी ने कहा है यह जो विधेयक यहां आया है इसको वापस लिया जाय और इसको

प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। वहां पर सारी समस्याओं और पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त एक ऐसा दूसरा विधेयक लाया जाय जिससे शराबखोरी बन्द हो ताकि गांधी शताब्दी के इस वर्ष में महात्मा गांधी की आत्मा को शान्ति मिले। शराब की दूकानों को बिल्कुल तोड़ दिया जाय और इसके लिये इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब कि पूरी दुनिया में गांधी शताब्दि मनाई गयी, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी साल भर की रीति और नीतियों का जो विवरण दिया उसमें भी उसी चीज का सहारा पकड़ा गया कि यह गांधी जी की जन्म शताब्दि का साल है और गुरु नानक का ५००वां साल मनाया जा रहा है लेकिन खेद की बात है कि शराब के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की। मैं त्रिपाठी जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस कारण कि शराब का मसला इतना बड़ा है कि बुनियादी तौर से हम यह मान कर चलते हैं कि शराब का पीना गुनाह है, जुर्म है।

दूसरी तरफ इसमें भी दो राय नहीं है कि शराब के जरिये से प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी आमदनी का सरकारी खजाने में आता है। इसलिये हमको बुनियादी तौर से यह सोचना पड़ेगा कि हम को शराबबन्दी करना चाहिये अथवा नहीं। इस चीज को छोड़िये कि यह तीन जिलों के अन्दर बन्द है अथवा हफ्ते में कौन सा दिन ड्राई है? हमको तो यह सोचना पड़ता है कि गरीब मजदूर इसको पीता है और पी हुई हालत में किसी पुलिस अधिकारी के सामने आ जाय तो मुजरिम हो जाता है। उसी शराब को जब एक औसत दर्जे का आदमी पीता है तो यह कहा जाता है कि इसका शौक अच्छा नहीं है, शराबी है। लेकिन जब उसी शराब को बड़े बड़े होटलों में, क्लबों में चाहे वह नैनीताल के बोट हाउस क्लब हों अथवा जिलों में कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद अथवा रामपुर क्लब हो उनमें जिले के बड़े-बड़े अधिकारी बैठ कर ताश खेलने के बहाने जुआ खेलें अथवा शराब पीयें और दुनिया भर की ऐय्याशियां करें तो उन पर कोई जुर्म आयद नहीं होता, यह उनका शौक कहलाता है। एक ओर तो छोटा आदमी शराब पीकर मुजरिम कहलाता है, दूसरी ओर एक्साइज की बदौलत खजाने में एक बहुत बड़ी रकम आती है, तो हमको इसके दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा।

जब अंग्रेजों को इस देश से निकाला गया तो उस लड़ाई में बापू का सिखाया हुआ यह सबक था कि शराब की दूकानों पर सत्याग्रह करो कि शराब की दुकानें बन्द करायें, सत्याग्रह करें। अगर आप इतिहास देखें तो आपको मिसाल मिलेंगी कि शराब की दुकानों पर सत्याग्रह करने पर बड़े-बड़े नेताओं को जेलखाने जाना पड़ा और लाठियां तथा डंडों की चोटें सहनी पड़ीं हैं। यह सच है कि शराब पीना बन्द हो इसके लिये अंग्रजों से लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आज जब ताकत हमारे हाथ में है, जब हमने प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई है तो सोचना पड़ता है कि इस आजादी के बाद हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसलिये मेरा कहना यह है कि इसके बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये, विचार करना चाहिये कि वह कौन-सा तरीका है जिससे शराब की लत, शराब की बीमारी, जो इस देश में तथा प्रदेश में, जैसा कि मैंने कहा कि रिक्शा चलाने वाले से लेकर बड़े-बड़े आदमियों में घुसी हुई है और हम बुरा भी मानते हैं कि कैसे इसका दूर किया जाय। लेकिन इसके साथ ही साथ जो रुपया इससे खजाने में आता है उस कमी को कैसे पूरा किया जाय इसके लिये कोई कमीशन बनाइये, कोई कमेटी बनाइये और प्रवर समिति को इसको सुपुर्द कीजिये ताकि वहां पर शान्तिपूर्वक इसके ऊपर विचार हो सके। इसको जल्दी पास करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

मैं समझता हूं और यह मेरा सुझाव है कि शायद माननीय सदस्यों को बुरा मालूम हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपके समाज में शराब, अफीम तथा गांजे आदि की कमी हो तथा ये चीजें बिल्कुल बन्द हो जायं तो मैं मुनासिब समझता हूं कि क्यों नहीं हर शहर में एक बिल्कुल ऐसी जगह बना दी जाय, शहर से बाहर और उसको शराब पीने वालों तथा ऐसे नशा करने वालों के लिये मखसूस कर दिया जाय। उसका नाम रिक्रियेशन सेंटर रख दिया जाय। जो पीने वाले हैं वह वहां जांय और अगर वे लड़ते हैं तो उनको लड़ने दिया जाय। २, ४ लोग मर जायं तो उनको मर जाने दीजिये। ऐसे लोगों के लिये अलग से मधुशाला बना दी जाय बजाय इसके कि लोग होटलों और क्लबों में पियें। रिक्शा चलाने वाला हो या कलक्टर हो जिसको इसका शौक हो वह वहां जाये। अगर कोई मिनिस्टर है तो वह भी वहां जाये और वह वहां जाकर जो दादागीरी करते हैं उनसे जाकर लड़े। कोई मुकदमा कायम नहीं होना चाहिये। मैं जानता हूं और समझता हूं कि यदि कोई भूला भटका पी ले तो वह वहां जाने से गुरेज करेगा क्योंकि उसे डर होगा कि हमें कोई देख न ले कि हम कहां जा रहे हैं। । जो आदमी असामाजिक है, जो समाज के ऊपर बोझ हैं अगर वह मर भी जाता है तो कौन-सी आबादी में कमी आ जायेगी। वह असामाजिक वर्ग होगा जो वहां जाकर खत्म हो जायेगा।

अगर आप इसका सर्वे करें तो आप पायेंगे कि शराब पीने वालों की तादाद घटी नहीं है बल्कि दिनों दिन बढ़ती चली जा रहीं है। जो आपका महकमा है उसका क्या ढंग है? एक्साइज कमिश्नर से लेकर पुलिस के सिपाहियों का बंधा हुआ है। हर भट्टी से और होटलों से उनकी रकम बंधी हुई है जो हर महीने उनको मिलती रहती है। जिस महीने उनको वह रकम नहीं मिलेगी तो रेड हो जायगा। और फिर उस २०० रुपये के बजाय ४-५ सौ रुपये पर सौदा तय होता है। तो आज उसके नीचे ऊपर एक्साइज विभाग है। अगर कोई शराब के कानून को तोड़ने वाला है, गांजा अफीम बेचने वाला है, उसके मार्ग में अगर आप रुकावट पैदा करना चाहें तो कर नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री जी से बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जितने स्मगलर लोग हैं, जो इन चीजों का नाजायज पेशा करते हैं, जो इस पेशे को अच्छा पेशा समझते हैं, चाहे वे नेपाल से स्मगलिंग करते हैं अथवा चीन को कोई सामान भेजते हों, वे अपने आपको सोसाइटी का बहुत बड़ा अंग बनाय हुये हैं। जब वे लोग आपके पास मिलने के लिये आते हैं तो आप उनसे मिलने के लिये कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। वे लोग हवाई जहाज का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, रेल का फर्स्ट क्लास का खर्चा बरदाश्त करते हैं, खूबसूरत लड़कियों का खर्चा बरदाश्त करते हैं और इस प्रकार से यह इन्टरनेशनल गैंग कार्य करता है।

आपने पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से अभी हाल ही में एक मेजर जनरल का लड़का इसमें पकड़ा गया है। इस प्रकार के गैंगों की शाखायें हर जिले और हर शहर में हैं। पूरे प्रदेश में उनका जाल फैला हुआ है। क्या उनको समूल नष्ट करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो लोग इसको एक अच्छा पेशा समझते हैं, वह सोसाइटी में अपना एक ऊंचा स्थान बनाये रखते हैं। चाहे आपको इलेक्शन फंड में देते हों अथवा हमें देते हों, लेकिन अगर आप उन पर काबू नहीं पा सकते तो कानून का अमल दरामद भला किस प्रकार से हो सकेगा। क्या आपकी यही जिम्मेदारी है कि किसी ने सड़क पर बैठकर शराब पी ली और उसमें १०–२० आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उसका भाई या बीबी पहुंची तो दरोगा जी ने ४०--५० रुपया लेकर उसको छोड़ दिया। इस सबसे काम चलने वाला नहीं है। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शराब बन्दी के कानून बहुत ही ज्यादा लचर और इलास्टिक हैं। यह क्या हुआ कि हफ्ते में एक दिन को शराबन्द हो गयी, तीन जिलों में बन्द कर दी गयी, १० साल तक के लड़के सिगरेट नहीं पीयेंगे। इन सारी बातों से कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। इस हाउस में भी इस पर दो घन्टे के लिये बहस हो जाने से कुछ हाथ न लगेगा। इसमें करोड़ों रुपये की इनकम का सवाल निहित है, उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य और करेक्टर का सवाल निहित है। लिहाजा इसको आप प्रवर समिति में भेज दें। इसके साथ ही साथ आप उसके अधिकारों को बढ़ायें ताकि प्रवर समिति उस पर सब पहलुओं से विचार कर सके और जब उसके सुझाव

आ जायं तो उनको सरकार मान कर चले । मुरादाबाद में एक दूकान मंडी चौक में है । वहां रोज झगड़ा होता है और वह इस बात पर होता है कि शराब में पानी मिला कर बेचा जाता है । हर शहर की आप सर्वे करा लें, दूकान जितनी ही सेन्ट्रल प्लेस पर होगी, उतना ही उसका पैसा बढ़ कर आयेगा, उतनी ही अधिक उससे लोगों को रिश्वत मिलेगी ।

श्री चेतराम गंगवार---

वह कौन से सरदार जी की दूकान है ?

श्री रियासत हुसैन---

नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन सरदार जी की है, जो इस सदन में नहीं है । बहरहाल किसी की हो, मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यह शराब का बिजनेस किसी धर्म, किसी मजहब और किसी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता । न तो राजनैतिक नेता ने जिसका हम मार्ग-दर्शन लेते हैं और जिसकी तस्वीर हमारे सामने है, उसने हमको अच्छा बतलाया है, न किसी धर्म में इसको अच्छा बतलाया गया है । तो जब हम इस बात को सामने रखते हैं कि शराब का हमारे ऊपर खराब असर पड़ता है तो इसको बन्द होना चाहिये । दूसरी तरफ जो इससे हमको आमदनी होती है वह भी मामूली नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शराब खाने और जुआंघर खुलते जायं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से पैदा किये हुये रुपये में बरकत नहीं होती है । अगर ऐसा होता तो डकैत और पुलिसवालों से अधिक किसी के पास रुपया न होता । नेकनियती में बरकत है । उसका इस्तेमाल भी सही होगा । आज जब इस तरह का रुपया पुल में लगता है तो ठेकेदार या इंजीनियर की जेब में आधे से अधिक रुपया चला जाता है । यदि ईमानदारी का रुपया होगा तो उसकी छीज नहीं होगी । इसलिये हमको इस तरह के रुपये को लानत करना चाहिये । इसी के साथ मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें ताकि तसल्ली से इस पर विचार किया जा सके ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

मैं उधर से रक्खी हुई बातों का विरोध करते हुये दो सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, जिले में जिला मद्य निषेध आर्गनाइजर रखे गये हैं, सोशल वर्कर्स रखे गये हैं और जिला मद्य निषेध अधिकारी रक्खे गये हैं । साथ ही सभी जगह नशे की दुकानें खुली हुई हैं और यह अधिकारी जो हैं अपने काम में बिल्कुल ही असफल रहे हैं । इन पर सरकार का रुपया व्यय हो रहा है, सरकार इस बात पर विचार करे कि इनसे कोई और कार्य लिया जाय ।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जहां भी गांजा, भांग या शराब की दुकान खुली है सभी जगह "सरकारी शराब की दुकान" या "सरकारी गांजा, भंग की दुकान" लिखा हुआ है । मैं चाहता हूं कि सरकारी दुकान शब्द न लिखा जाया करे । यह सरकार द्वारा प्राप्त लायसेंस होना चाहिये । मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि वहां दकानों पर लिखा था "सरकार द्वारा लायसेंस प्राप्त" । इसी तरह से हमारे प्रदेश में भी होना चाहिये । यह सरकारी शराब की दुकान शब्द न लिखा जाय इस प्रकार के आदेश सरकार दे दे । इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है । मैं आशा रखता था कि यह सरकार जो कि गांधीवाद की दुहाई देती है वह कम से कम इस प्रकार का बिल नहीं लायेगी । मैं ऐसे बिल का जिसमें सारे प्रदेश में, जितनी भी भट्टियां हैं, शराब की दुकानें हैं वह समाप्त कर दी जातीं तो मैं इसका स्वागत करता । मुझको निराशा है कि गवर्नर साहब के धन्यवाद के प्रस्ताव पर उत्तर देते समय यह कहा गया था कि यह सरकार शराब की दुकानों को नहीं खोलेगी । मैं तो कहूंगा कि मान्यवर मुख्य मन्त्री जी जल्दी जल्दी बदलते जाते हैं । उन्होंने कहा...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुख्य मंत्री न कह कर सरकार कहें जो संसदीय है।

श्री राम प्यारे—

सरकार की नीतियां कोई निश्चित नीतियां नहीं हैं। आज यह कहते हैं कि सीलिंग लायेंगे और कल कहते हैं कि नहीं लायेंगे। आज कहते हैं कि लगान माफ करेंगे और कल कहते हैं कि नहीं करेंगे। इस सरकार की कोई पालिसी नहीं है। आज श्रीमन्, आप देखें कि शराब की भट्टियां और दुकानें प्रदेश के उन्हीं पिछड़े हुये हिस्सों में अधिक हैं। हमारा प्रदेश भारतवर्ष के सबसे पिछड़े प्रान्तों में से है बिहार को छोड़ कर। ऐसी स्थिति में जब कि पूरे हिन्दुस्तान के सबसे पिछड़े ५८ जिलों में हमारे यहां २२ जिले हैं, प्रदेश का नक्शा क्या है, इसको देखें। हमारे प्रदेश में बुन्देलखंड पूर्वी जिले तथा पहाड़ी जिले प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले हैं। इस प्रदेश के पिछड़े हुये भाग में इतनी अधिक शराब की भट्टियां हैं जो वहां की जनता को और नीचे ढकेलती चली जा रही है। अन्य प्रदेशों में जो आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े भाग हैं वहां पर शराब की इतनी दुकानें नहीं हैं जितनी कि हमारे प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हैं। मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं। इन पिछड़े हुये भागों की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के बजाय और अधिक इस शराब के कारण बढ़ाया जा रहा है।

मान्यवर, आज बड़ी कठिन समस्या है बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों की है। फिर भी आये दिन, हर वर्ष इन स्थानों पर शराब की दुकानें, भट्टियां खोलने की इजाजत सरकार देती चली जा रही है। आप वेलफेयर स्टेट की बात कहा करते हैं। क्या वेलफेयर स्टेट इस प्रकार से गरीब लोगों को और गरीब बनाकर तथा उनका पैसा चूसकर प्राप्त करने से हो सकेगा। आप उनकी कमर को तोड़ रहे हैं। मैं आपको अपने जिले मिर्जापुर का उदाहरण देता हूं। हमारे यहां बुढ़ी तहसील में शराब की दुकानों तथा भट्टियों से तीन लाख रुपये सरकार के खजाने में जाते हैं जब कि वहां पर इसकी बिक्री करीब २० लाख रुपयों की है। वह इतना गरीब इलाका, जहां पर आदिवासी की बस्ती है, जो मजदूरी करके अपनी रोजी कमाते हैं और फिर भी उनका उससे बसर नहीं होता, फिर उनकी यह कमाई पीने में चली जाय तो इस प्रकार से उनके जीवन में क्या सुधार आ सकता है। हमारे इक्साइज वाले भाई यह कहते हैं कि शराब की दुकानें और भट्टियां सात दिन में एक दिन बन्द रहती है, मंगलवार के दिन। कोई भी भट्टी मंगलवार को बन्द नहीं रहती। यह भी नियम है कि सूर्योदय के पूर्व और सूर्योस्त के बाद कोई भी शराब की दुकान नहीं खुली रहेगी। पर आप देखें कि क्या इस नियम का पालन हुआ है। कितने लोगों का चालान इसमें किया गया है। जब कि सभी दुकानें खुलेआम इस नियम का उल्लंघन करती हैं। मैं तो यह कहता हूं कि हमारे प्रदेश में ९० प्रतिशत शराब की दुकानें और भट्टियां ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर शिक्षा संस्थायें हैं, सार्वजनिक स्थान है। यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय पर्वों पर शराब की दुकानें बन्द रहेंगीं परन्तु १५ अगस्त हो या २६ जनवरी या होली हो, जब कि सरकारी आदेश हैं कि इस दिन शराब न बेची जाय परन्तु इनका पालन किसी भी स्थान पर नहीं किया जाता है।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शराब का प्रयोग कई गुना हो गया है। मैं आपके माध्यम से एक्साइज विभाग की भी आलोचना करना चाहता हूं। कोई भी एक्साइज इंस्पेक्टर या एक्साइज अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वे लोग एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं। एक्साइज विभाग वाले कहते हैं कि यह पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है और पुलिस वाले एक्साइज विभाग वालों को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोनों विभागों की लड़ाई में, श्रीमन्, जनता परेशान हो रही है। इस लड़ाई का एक कारण यह भी है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इससे हमारे प्रदेश की जनता कराह रही है। यदि मैं इसे काले कानून की संज्ञा दूं, तो अनुचित न होगी।

श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां समाजवाद का नारा लगाया जा रहा है, मगर हो क्या रहा है ? कम से कम महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष में तो इस तरह का कोई विधेयक नहीं आना चाहिये था। इस वर्ष हम महात्मा गांधी की शताब्दी मना रहे हैं। आज विकास की बात कही जाती है। पर्वतीय बोर्ड बना है और बुन्देलखंड के लिये एक विकास बोर्ड की मांग की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये भी विकास परिषद् की बात है। मैं चाहता था कि सरकार यह घोषणा करती कि अगले वर्ष से इस प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की है कि आगे के लिये किसी को नयी शराब की दुकान खोलने के लिये लाइसेन्स नहीं मिलेगा। बजाये इस घोषणा करने के अगर वे यह घोषणा करते कि अगले वर्ष से इस प्रदेश में कोई शराब की दुकान नहीं रहेगी, तो जनता को कितना हर्ष होता। हम जानते हैं कि सरकार को अपनी प्लान के लिये धन-साधन जुटाने हैं। क्या शराब की दुकानों से की हुयी आमदनी से प्लान चलायी जायेंगीं। हमारी इच्छा तो यह है कि आप उन दुकानों को बन्द कर दें। संशोधनों के नाम पर पिछले २०-२२ वर्षों से सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। गांधी जी ने कहा था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो शराब की भट्ठियां बन्द कर दी जायेंगी। क्या विडम्बना है कि २२ सालों से भट्टियां बराबर चल रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री राम प्यारे—

जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो विचार इसको प्रवर समिति में भेजने का रखा है, उसका में समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करेगी। वह प्रवर समिति एक कमीशन के रूप में होगी जो शराब के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। वह शराब की हानियों तथा लाभ के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेगी और तत्पश्चात् सदन को सूचित करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी।

कुछ सदस्य—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मौजूद नहीं हैं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मुझे बोलने का अवसर दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा लगता है कि आप लोगों की और बोलने की इच्छा है।

श्री मिहीलाल (जिला मुरादाबाद)—

बिना शराब की मौजूदगी के असर दिखाई दे रहा है।

एक सदस्य—

आपने श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को बोलने के लिये कहा। वे मौजूद नहीं थे। आपको किसी दूसरे को बोलने के लिए आदेश देना चाहिए, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शांत रहें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं उधर खड़ा था। आपका आदेश सुन नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहता था कि इस विषय पर आप कुछ कहें। ऐसा लगता है कि सब लोगों को इस पर बोलने की इच्छा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यहां पर केवल चर्चा होने से ही इतना जोश पैदा हो गया है। तो श्रीमन्, कितनी आवश्यकता है इस विषय पर और बोलने की। बिना शराब सामने आये ही इतना जोश पैदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस पर और चर्चा हो, ताकि लोग दिल खोलकर कहें।

श्री जगदीश गांधी—

मुझे दो मिनट दीजिए। मान्यवर, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तक मैं समझता था कि सम्पूर्ण समय विरोधी पक्ष को दे दिया जाय इसलिये मैंने सरकारी पक्ष से किसी को नहीं पुकारा। क्योंकि और लोग भी इस पर बोलना चाहते हैं और उनको ज्यादा समय मिल जाय, इसलिये आप (श्री सोनकर) अपना विचार व्यक्त करें।

श्री जगदीश गांधी—

श्री सोनकर के बाद मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस एक्साइज विधेयक पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, इस देश को स्वतंत्र हुए कई वर्ष हो गये। जो भी सरकार यहां आयी वह गांधी जी के नाम की दुहाई देती थी कि हम मद्य-निषेध करेंगे लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आज तक किसी भी सरकार ने गांधीजी की उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हर सरकार हर बजट के मौके पर, हर राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर यही आश्वासन देती रही है कि अब मद्य निषेध किया जायेगा, अब और शराब की दूकानें नहीं खोली जायेंगी। लेकिन होता क्या है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तरफ माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि प्रदेश की जनता को कि अब शराब की कोई नयी दूकान नहीं खोली जायेगी और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। भूतपूर्व गुप्ता सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया था कि शराब की दूकानों पर कोटा निर्धारित किया था कि इतनी शराब बेचना अनिवार्य है चाहे कोई शराब पीने आवे या न आवे लेकिन शराब का देना जरूरी है। अगर इन दूकानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी तो शराब के दूकानदार उस शराब को लेकर गली-गली में और सड़कों पर जहां कि शरीफ लोग रहते हैं, शरीफ बसते हैं, और उनकी बहू बेटियां निकलती हैं, चोरी से बेचेंगे।

इसलिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे कृपा करके गम्भीरता के साथ अपनी फाइल में इस को नोट करें कि वह गलत जो आदेश गुप्ता सरकार का जारी है उसको वे एकदम से तत्काल खतम कर दें। एक आदेश और भी जारी हुआ था ड्यूटी के सम्बन्ध में कि शराब कोई ले या न ले लेकिन एक्साइज विभाग को उसे ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। अब यह जरा सोचने की बात है कि जो लोग शराब लें या न लें, उन को शराब मिले या न मिले,

फिर वे टैक्स किस चीज के लिये दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती और न इस प्रदेश की जनता की समझ में ही आती है। शराब के दूकानदार शराब का कोटा खतम करने के लिये जगह-जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आज हालत यह है कि प्रत्येक गली में चोरी से शराब बनायी व बेची जाती है। इस कार्य में एक्साइज विभाग के लोग भी मिले रहते हैं। गुप्ता सरकार को गलत कामों से उत्साहित होकर वे लोग गली-गली में चोरी से शराब बेच रहे हैं और जगह-जगह शराब की भट्टियां चालू हैं और सब कुछ एक्साइज विभाग वालों की जानकारी में है। वह शराब बनायी जाती है किस चीज से ? स्पिरिट से जोकि एक विकृत चीज है जिसके पीने से इंसान मर जाता है, इंसान को टी० बी० हो जाती है और वह भट्ठी १० वर्ष से चल रही थी जिसको पकड़ने का श्रेय माननीय मुख्य मन्त्री चरण सिंह को है जिन को उधर वाले चेयरसिंह कहते हैं जब कि वास्तव में उन को शेर सिंह कहना चाहिये जिसने शेर की तरह से काम करके दिखला दिया है। स्पिरिट को रिफाइन करके शराब के रूप में उसे बेचा जाता है और उसे ही बनारस की जनता को पिलाया जाता है। उस शराब की भट्ठी को हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी चौधरी चरण सिंह, शेरसिंह जी ने पकड़वाया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्रीमन्, मेरे दो सुझाव हैं। एक तो यह कि एक्साइज का जो बकाया है ड्यूटी के तौर पर तो जिन्होंने शराब उठाई नहीं तो उनसे वसूल न किया जाय और उसे खत्म किया जाय। हरयाना और उत्तर प्रदेश के शराब के दुकानदारों ने हाई कोर्ट में रिट की कि जब हमने शराब उठायी नहीं तो फिर हमसे ड्यूटी क्यों वसूल की जा रही है और उस को हाई कोर्ट के जजों ने गलत साबित कर दिया तो गुप्ता सरकार ने क्यों नहीं उसको गलत साबित किया और क्यों नहीं खत्म किया। इसलिये मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कि फाइल में व्यस्त हैं ध्यान से सुन लें कि जब हाई कोर्ट रूलिंग देती है कि इस तरह की बकाया एक्साइज ड्यूटी रद्द की जाय तो आप भी उसे रद्द करें। इसी के साथ कोटा भी खत्म करें। इसी के साथ एक सुझाव यह है कि दुकान खुलने और बन्द होने का जो निर्धारित समय है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उस दुकान को बन्द कर देना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक जिले में जितने भी विधायक हैं जो गांधी जी की दुहाई देते हैं उनकी एक कमेटी बना दें जो कि जांच करती रहे कि उनके क्षेत्र में कहां कहां अवैध रूप से शराब बिकती है या बनती है और अगर वे अधिकारी से रिपोर्ट करते हैं तो तत्काल वहां छापा मारना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे कोई असहमत न होगा चाहे वह शराब बनाने वाला हो या बेचने वाला हो कि जो अवैध रूप से शराब बनती है या गलत ढंग से दुकानें खुलती हैं उन्हें बन्द कराने में सहयोग न दें।

(व्यवधान)

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

हमारे नेता माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सोनकर जी ने बनारस का हवाला दिया। मैं भी वही बतलाना चाहता हूं कि कोतवाली के पास और कोतवाली की छत्रछाया में एक शराब की भट्टी तब पकड़ी गयी जब कि ३७ आदमी जहर की शराब पीकर मर गये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या वह चरणसिंह जी ने पकड़ी थी ?

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

उन्होंने नहीं पकड़ी। उसे मैं बतलाउंगा। जब सिविल अस्पताल में नौजवान शराब के नशे में बेहोश आने लगे, कुछ रास्ते में लाते लाते मर गये और कुछ मरने की हालत

[श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी]—

में आये और इस तरह दो तीन दिन में ३७ आदमी मर गये। तब तो सिविल अस्पताल में उनके पोस्ट मार्टम से मालूम हुआ कि ये जहरीली शराब पीने से मरे हैं। तब एक्साइज इंस्पेक्टरों ने खुद बताया कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता, कोतवाल की छत्रछाया में यह भट्ठी चल रही है। वह एक्साइज आफिसर्स की इन्फार्मेशन पर पकड़ी गयी और कोतवाल मुअत्तल हुआ। उसके बाद वह कोतवाल गाली देता रहा उप मुख्य मन्त्री कमलापति जी को कि मैं उनका कितना काम करता हूं, उन्होंने पकड़वा दिया। उन्होंने नहीं पकड़वाया था, पकड़वाया तो दूसरे ने था लेकिन वह गाली उनको देता रहा।

आप सभी ने इस सदन में जाहिर किया कि शराबबन्दी होनी चाहिये। इसमें दो मत नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि शराबबन्दी हो। फिर आखिर क्यों नहीं हो रही है? उसके कुछ कारण हैं। हमारी आजादी के बाद जब अंग्रेज चले गये तो हमारे देश का शासन सही में न कांग्रेस के हाथ में आया न किसी राजनीतिक के हाथ में। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने हुये थे लेकिन सही में देश का शासन उनके हाथ में नहीं था। सही में शासन उस कांग्रेस के पुराने गुट आई० सी० एस० के हाथ में रहा जो शराबबन्दी नहीं चाहता। मैं १९४७ में मुख्य मन्त्री चरण सिंह के जिले मेरठ में गया था, शाम को ६–७ बजे पहुंचा। जिस होटल में जाता हूं तमाम कारों की भरमार है, एक भी होटल खाली नहीं है। मैंने एक होटल के नौकर से पूछा कि बात क्या है। उसने कहा कि कारें देखिये, कौन सी कारें आ रही हैं। सभी पर दिल्ली के नम्बर थे और शनिश्चर का दिन था। तो मुझे गली कूचे में कहीं छोटे होटल में जगह मिली। वहां मेरठ में वीमन और वाइन के लिये दिल्ली के आई० सी० एस० आफिसर्स आ कर शनिश्चर और इतवार की तफरीह मना रहे थे। मैंने पूछा, यह क्यों? तो बताया गया कि पंडित नेहरू से आई० सी० एस० वाले घबरा रहे हैं, क्योंकि वह कह चुके थे कि भ्रष्टाचारी अफसर को लैम्प पोस्ट पर टंगवा दूंगा।

उसके बाद जब सन् १९५० में मैं फिर मेरठ गया तो वहां के सारे होटल सुनसान पड़े हुये थे। पूछने पर बताया गया कि उन्होंने देख लिया कि जवाहरलाल नेहरू "पेपर टाइगर" है, वह आई० सी० एस० आफिसर्स से कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रखते हैं। मैं एक और किस्सा सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे साले साहब सेन्ट्रल पी० डब्ल्० डी० में कंट्रेक्टर हैं। उन दिनों एम० ई० एस० के कंट्रेक्टर थे। आल इंडिया कंट्रेक्टर्स असोसियेशन बनाना था। उन्होंने कलकत्ते से तार किया। मैं दिल्ली गया। असोसियेशन बना कर मिनिस्टरों के पास डेपुटेशन ले गये और जब मिलने गये तो तब के चीफ इंजीनियर सर खोसला मिले जो बाद में उड़ीसा के गवर्नर हो गये थे वह हमारे साले साहब के कोलीग थे। उन्होंने रात को डिनर में बुलाया कि आज डिनर खाने आ जाना, ३–४ आदमी रहेंगे। तो मैंने अपने ब्रदर-इन-ला से कहा कि मेरा नाम मत बताना सिर्फ इतना कहना कि मैं तुम्हारा बहनोई हूं। इतना ही बताना, बख्शी नाम न लेना। फिर शाम को मैं साले साहब का डिनर सूट पहन कर खोसला साहब के घर गया। वहां तीन चार आई० सी० एस० बड़े अफसर थे, वह क्या कहने लगे? चीफ इंजीनियर खोसला के घर की बात है (दो तीन पेग चलने के बाद वे कहते हैं कि रूल तो हम करते हैं नेहरू नहीं करता, वह तो शिखंडी है, वह तो हमारा पब्लिसिटी एजेंट है। ऐसा आई० सी० एस० आफिसरों ने वहां सन् १९४२ में कहा। यही वह आई० सी० एस० गुट है कि जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं होने देता और अंग्रेजी को चलाये हुये है, वही एक एन्टीनेशनल एलीमेंट है, वह देश का दुश्मन और देशद्रोही गुट है जो यू० पी०, बिहार या भारत सरकार सब जगह छाया है और रूल कर रहा है और इन नेताओं को नचाता है जिस को यह नेता कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं। जब तक यह रहेंगे तब तक न शराबखोरी बन्द होगी और न देश का भला होगा।

हमारा देश रिवोलूशन से आजाद नहीं हुआ। अगर रिवोलूशन से आजाद होता तो आज यह दशा न होती। चीन की मिसाल सामने है, वहां के रिवोलूशन हुआ। सारी जनता

वहां उठी, वहां सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। वहां के लोग अफीम खाते थे और तमाम स्मगलिंग होता था लेकिन जब चीन देशभक्तों के हाथ में आया और हम से एक साल बाद जब वहां सन १९४८ में रिपब्लिक बनी तो उन्होंने फौरन जनता का अफीम खाना बन्द कर दिया और वहां पर जो स्मगलिंग अंग्रेजों और पोर्चगीज द्वारा होता था उस को रोकने के लिये उन्होंने दस बारह अंग्रेज और दस बारह पोर्चगीज को गोली से मरवा दिया और उनकी लाशों को चौराहों पर टंगवा दिया जहां से वह सड़ सड़ कर गिरीं। इस तरह से स्मगलर्स को टेररा़इज किया और अफीम की तस्करी को उन्होंने रोका। लेकिन हमारे यहां यह कैसे हो? चाहे यहां चौधरी साहब हों या दिल्ली में बैठी बेटी इन्दिरा हों सारा शासन आई० सी० एस० अफसरों के हाथ में है और यह सब उनके हाथ की कठपुतली बने हैं और उन के स्ट्रान्गहोल्ड के बाहर यह जा नहीं सकते। चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के चीफ मेडिकल आफिसर हों सब आई० सी० एस० सेक्रेटरी के मातहत हैं, सब जगह वही आई० सी० एस० बैठे हैं। सारा यू० पी० बिहार और भारत सरकार का कंट्रोल इन्हीं आई० सी० एस०, देशद्रोही एन्टीनेशनल लोगों के हाथ में है और आप शराब का कंट्रोल तब तक नहीं कर सकते और न देश का कोई भला ही कर सकते हैं जब तक यह अपने बच्चों को कानवेन्टस में पढ़ाने वाले अंग्रेजी के पोषक वहां बैठे हैं। जब आप उन को निकाल देंगे तभी शराब बन्दी हो सकती है और देश का भला हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

एक सदस्य—

श्रीमन्, क्या सदन में छड़ी लाई जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष—

छड़ी कौन लाता है यह इस पर मुनस्सर है। वह (श्री शचीन्द्रनाथ बक्शी) बीमार हैं इसलिये सहारे क लिये लाये हैं। लेकिन यह जरूर है कि अगर छड़ी के बजाय वह अपने किसी साथी की सहायता ले कर आयें तो अच्छा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, लाठी में गुन तो है।

एक सदस्य—

अंग्रेजों के जमाने में वह गोली से काम लेते थे अब लाठी ही काफी है।

(श्री पन्ना लाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, नियम ५१ के २ प्रश्न हैं उन को अब ले लें ४ बज चुका है। उन को...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष आ रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो स्वीकार किये गये हैं उनके लिये आधा घंटा आवश्यक है उन को ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो सदन की इच्छा जानकर मैंने श्री पन्ना लाल को बुलाया है वह। बोल रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कल दिन भर यही चले, शराब चले, शराबबन्दी चले।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी थोड़े समय के लिये चल रहा है और अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री कन्हैयालाल सोनकर---

श्रीमन, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी हमारे भाई माननीय बख्शी जी ने कहा है कि बनारस के अधिकारी पं० कमलापति त्रिपाठी को मां बहिन की गाली देते हैं। मेरी प्रार्थना है और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आप उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाने के लिए आदेश दे दें?

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं। आप, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह समझें।

श्री पन्ना लाल---

श्रीमन्, त्रिपाठी जी ने जो यहां पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उनका जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है अगर उस को ध्यान से देखा जाय और उस पर ध्यान दिया जाय तो आप देखेंगे कि उसमें समय ही बर्बाद होगा। आज हमारे इस सदन में इस पर विचार हो रहा है और बहस में सभी दलों के माननीय सदस्य भाग ले रहे हैं। प्रवर समिति में तो केवल कुछ महानुभाव ही बैठ कर सोच विचार करेंगे परन्तु यहां पर तो इस पर पूरा सदन ही सोच विचार कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि आज हमारे भाई त्रिपाठी जी ने रिक्शावालों की, तांगे वालों की और मजदूरों की बड़ी बुहाई दी है कि वे शराब पीते हैं। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि वे तो कम पीते हैं और अगर पीते भी हैं तो स्पिरिट में पानी मिला कर पीते हैं लेकिन शराब तो हमारे भाई और माननीय त्रिपाठी जी के भाई पीते हैं जिनकी जेब में पैसा है। वे पीते हैं जो समाजवादी हैं। (विपक्ष की ओर से हंसी।)

शराब पीने के अवगुण के बारे में मैं आप का ध्यान देहात की मिसाल की ओर ले जाता हूं जिससे हमारे भाइयों की शंका का समाधान हो जायगा। हमारे देहात में अगर कोई आदमी अपने दुश्मनों से नहीं जीत पाता है, उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वह उसका मुकाबला कर सके तो उसके लड़कों को शराब पीना, रंडीबाजी करना और जुआ खेलना सिखा दें तो उसके खानदान के खानदान का नाश हो जायगा। (विपक्ष की ओर से---यही तो हमने किया है) आचार्य जी को भी मथुरा के पेड़े छोड़ कर लखनऊ की खुटिया के खाने में मजा आया और वे यहां पर चले आये। आज अगर छोटा आदमी शराब पीना छोड़ दे और बड़ा आदमी पीने लगे तो अच्छा है। गरीबों का पैसा बचे और बड़े आदमियों की जेब से पैसा निकले तो यों ही समाजवाद आ जायगा।

आज हमारे भाई रियासत साहब ने फरमाया कि एक शराब की बोतल लेकर अगर कोई गरीब आदमी पीता है तो उसका चालान हो जाता है लेकिन अगर कोई अफसर या बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी उसी जुर्म को कलब में करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक गरीब आदमी चना खा रहा था तो उसे बड़े आदमी ने देख कर कहा कि सरभुक्का है। लेकिन जब एक बड़ा आदमी, माननीय लक्ष्मी रमण जी जैसा, चने में घी और नमक लगा कर खाता है तो वह कहता है कि वह स्वाद बदल रहा है। गरीब आदमी शराब पीये तो वह बेइमान है, समाज विरोधी है लेकिन आज हमारे दोस्त, अकसर और बड़े लोग जो पीते हैं तो वे जायका बदलते हैं, स्वाद बदलते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके लिये कोई बात नहीं है। आप जरा ठण्डे दिल से सोचें कि क्या चमार, पासी, खटिक या जो हरिजन हैं, गोश्त खाते हैं और शराब पीते हैं? मैं कहता हूं कि उन्होंने इसको छोड़ दिया है, मगर आज हजरतगंज में बड़े-बड़े होटलों में जो लोग गोश्त खाते हैं और शराब पीते हैं, वे बड़े-बड़े लोग ही हैं। कोई गरीब आदमी, कोई रिक्शेवाला उन होटलों में नहीं जाता है।

दूसरी बात मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार देशी शराब की दुकानों की तो नीलामी करती है। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता है उसको ही शराब का ठेका दिया जाता है, मगर अंग्रेजी शराब वालों की दुकानों को नीलाम नहीं दिया जाता। अंग्रेजी शराब की दुकानों को यों ही अपने भाई भतीजे, चचा या नाती को दे दिया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर उन दूकानों को भी देशी शराब की तरह नीलामी द्वारा दिया जाय तो आपकी आमदनी १०० गुनी बढ़ सकती है। आप इन दुकानों की नीलामी इसलिये नहीं करते कि उसका बोझ बड़े लोगों के कन्धों पर पड़ेगा। आज उस गरीब की चिन्ता किसको है। आई० सी० एस० आज जो चाहता है वह होता है, हमारे शचीन्द्र दादा ने जो कहा, वह ठीक है। चाहे गुप्ता जी की सरकार रही हो, चाहे संविद की सरकार रही हो, चाहे चरण सिंह जी की सरकार हो, ये लोग उनको मजबूर कर देते हैं और अंग्रेजी शराब की दूकानें नीलाम नही होने देते। वे लोग अपने ही फन्दों में सरकार को जकड़े रहते हैं। बाम्बे की सरकार ने शराब बन्दी की। आपके यहां यू० पी० की सरकार ने भी ८ जिलों में शराब को बन्द किया। मगर क्या हुआ? चोरी से घर घर में जाकर शराब बिकने लगी। थानेदार और इक्साइज वाले पैसा कमाते रहे और पहले से अधिक शराब की भट्ठियां खुल गयीं। कानपुर में शराब बन्दी थी। लोग कारों में लखनऊ आकर शराब पीते रहे। मल्लाह लोग नावों में शराब ले जाने लगे और बीच धारा में जाकर लोग उसको पीते रहे। (व्यवधान)

एक सदस्य—

हमको दो मिनट का समय दीजिए।

(कई सदस्य समय मांगने लगे।)

श्री पन्नालाल—

अभी मैंने खत्म नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा था कि साढ़े ४ बजे माननीय विकल का प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नियम ५१ के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं कृपया उनको ले लें। उसमें भी काफी समय लगेगा। इस डिबेट को आप कल फिर चलने दें और आज जो दूसरे आवश्यक सवाल हैं उन्हें ले लें। इसमें हर्ज क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपके कथन से सहमत हूं। लेकिन इस पर संशोधन और बहस कर ली है, इसलिये अभी हमें लेना है। अभी आप कह रहे हैं कि इस माननीय सदस्य को दो मिनट का वक्त और बोलने के लिये दे दें तो दो मिनट के बाद उसे लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अभी वही नहीं और अन्य कई लोग बोलने वाले हैं, इसलिए इसे आप स्थगित कर दें और आज अब इस दूसरे काम को लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विकल जी के प्रस्ताव के ऊपर तो करना पड़ेगा उनका प्रस्ताव यहां पर है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं केवल दो मिनट का समय चाहता हूं ।

श्री पन्नालाल—

आप बता दें मेरा समय है या समाप्त हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब अगले दिन मिलगा ।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, क्या मुझे समय मिलेगा इस पर ?

श्री उपाध्यक्ष—

कल ही मिल सकेगा ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मेरे ऊपर भी आप गौर किया कीजिए । मैं १० बार आज खड़ा हुआ हूं, लेकिन आपकी निगाह जाने कैसी है जो मेरे ऊपर नहीं पड़ती । पता नहीं आप होश में रहते हैं या नहीं । आपने मेरे ऊपर कभी दया नहीं की कि मैं भी एक सदस्य हूं और मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं भी एक मात्र उपाध्यक्ष बैठता हूं । तो मैं सबको एक साथ समय नहीं दे सकता, यह आप समझ लीजिए ।

श्री बांकेलाल—

मेरा आपके ऊपर यह चार्ज है कि आपकी दृष्टि इंसाफ की तरफ नहीं जाती है । मैं सैंकड़ों बार खड़ा हुआ, जब से सदन चला, लेकिन आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया ।

खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आप आसन ग्रहण कीजिए । अब मेरे पास ये सूचनाएं हैं । कल दिनांक ९ मार्च, १९७० को कार्य स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की खाद्यान्न तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अकस्मात वृद्धि के संबंध में प्राप्त हुई थी, इसी संबंध में माननीय खाद्य मंत्री का नियम ५१ के अन्तर्गत दिनांक ११ मार्च, १९७० को वक्तव्य होने वाला है । इस सूचना को भी उसी में सम्मिलित कर लिया जाय ।

लखनऊ गांधी स्मारक अस्पताल तथा सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के डाक्टरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ की कुल ९ सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । माननीय नित्यानन्द स्वामी, हिम्मत सिंह और राम चरण त्रिपाठी का लखनऊ गांधी स्मारक अस्पताल के तथा संबंधित मेडिकल कालेजों के सैंकड़ों डाक्टरों एवं लगभग १,००० विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल । इसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है और माननीय चिकित्सा मंत्री १२ मार्च, १९७० को इस पर अपना वक्तव्य देंगे ।

देवरिया जिले के ग्राम परसहवा में सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सर्वश्री श्री बांकेलाल, हरिवंश सहाय और दीपनारायण मणि का देवरिया जिले के थाना कसया के ग्राम परसहवा में सशस्त्र डकैती में दो व्यक्तियों की घटना स्थल पर हत्या के बारे में प्राप्त हुआ है। यह भी स्वीकार हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री १३ मार्च, १९७० को वक्तव्य देंगे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

शेष सूचनाएं जो राम किशोर शुक्ल, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा इन्द्रमणि के द्वारा क्रमशः हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के एक कर्मचारी की हत्या, एडवोकेटों पर ५०० रुपये की स्टैम्प ड्यूटी की समाप्ति, चलती हुई ट्रेनों में डकैतियां, यानी श्री रामकिशोर शुक्ल ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के एक कर्मचारी की हत्या के बारे में, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य ने एडवोकेटों पर ५०० रु० की स्टैम्प ड्यूटी की समाप्ति के बारे में और श्री इन्द्रमणि ने चलती ट्रेनों में डकैतियों के बारे में सूचना दी । माननीय अध्यक्ष ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है ।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देरहादून)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लेना चाहूंगा । नियम ५१ का प्रश्न है । सीरिया में एक पुस्तक छपी है आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये । उसमें उत्तर प्रदेश को मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा दिखाया गया है और कहा गया है कि इसको गैर मुस्लिमों के शिकंजे से छुड़ाया जाय । वह पुस्तकें उत्तर प्रदेश में बेची जा रही है । इस प्रदेश के अन्दर जो शान्त वातावरण है सब सम्प्रदाय बड़ी शान्ति के साथ रह रहे हैं, उनके बीच भेदभावों को पैदा करने वाली पुस्तक वितरित की जा रही है और उत्तर प्रदेश को मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा मान कर इसे गैर मुस्लिमों से मुक्ति दिलाने के लिये आन्दोलन की पेशकश की गई है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप आसन ग्रहण करें । जो कल भेजे गये थे उनका आज निर्णय हुआ है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं यह कह रहा था जो मैंने नियम ५१ का प्रश्न दिया है ।

मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं ।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा मिली हुई है उपाध्यक्ष महोदय से ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

श्री अध्यक्ष जी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । आपकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष महोदय ने एक सूचना दी थी, साथ ही साथ श्रीमन् का आगमन सदन में हो गया । तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका हुआ कि आपसे निवेदन कर दूं । वह यह है कि जो डाक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं और सैंकड़ों संख्या में हैं, आपने निश्चय किया है कि १२ तारीख को संबंधित मंत्री महोदय उस पर कुछ बयान देकर बतायेंगे कि क्या वास्तविक स्थिति है । मैं निवेदन करता हूं कि सैंकड़ों

[श्री रामकुमार शास्त्री]---
डाक्टर और विद्यार्थी जो सहायक होते हैं मरीजों के व हड़ताल कर रहे हैं, मरीजों का जीवन क्षणभर में इधर से उधर हो सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपने १२ तारीख को लगा दिया उस पर पुनर्विचार किया जाय और माननीय मंत्री से कहा जाय, उनसे बातचीत भी हो चुकी है, इसमें अति विलम्ब नहीं होनी चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अपने प्रदेश में सब सम्प्रदायों में बड़ी शान्ति है । अपने प्रदेश में हम भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं । हिन्दू मंदिरों में, मुसलमान मसजिदों में और सिक्ख गरुद्वारों में जा कर सब अपने-अपने धर्मों का पालन करते हैं । परन्तु भारत के प्रति सब की एक-सी निष्ठा है, ऐसा मानते हैं । परन्तु बीच में एक बात आ गई और वह यह है, एक नियम ५१ में प्रश्न है, सीरिया में एक पुस्तक छपी है आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये । उसके अन्दर एक नक्शा छपा है । उसमें उत्तर प्रदेश और दो तीन प्रान्तों को इस देश के एक मुस्लिम वर्ल्ड का एक हिस्सा दिखाया है और प्रदर्शित करने की कोशिश की कि यहां पर मुसलिम सम्प्रदाय का बहुमत है । वह गर मुसलिम के शिकन्जे में फंसे हुए हैं तो उनको उनसे मुक्ति दिलाने की कोशिश की जाय । इस प्रकार से उस पुस्तिका में लिखा गया है और वह पुस्तक यहां पर हजारों की संख्या में बंट रही है ।

श्री अध्यक्ष---

यह चीज आपने अभी भेजी है । मैंने आपके और कई उठाए प्रश्न मंजूर किये हैं । वह चीज मैं आज देख नहीं सका हूं । कल वाले आज लिये थे । कल मैं उसको देखूंगा और आवश्यक होगा तो मैं मंजूर कर लूंगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, कानपुर में लक्ष्मी रतन काटन मिल एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता की है । मैंने उनके संबंध में नियम ५२ के अन्दर सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ तो ५ बजे के बाद आता है । उसके लिये आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें । मुझे समझा दें क्योंकि उसमें मंत्री जी की भी राय लेनी होती है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में तीन अधिवेशन करने के संबंध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

मैं आपके सामने ऐसी चीज रख रहा हूं जिसको सारा सदन पसन्द करेगा । इस संबंध में विरोधी दल से भी और गवर्नमेंट से भी राय हो गई है और विकल जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं । इसलिए मैं उसको आपके सामने रखता हूं :---

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में अनिवार्यतः कम से कम तीन अधिवेशन साधारणतया तथा निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हों, परन्तु किसी भी स्थिति में ९० दिन से कम बैठक नहीं होगी ।

सारिणी :---

आय व्ययक अधिवेशन १ फरवरी से ७ मई तक,
वर्षाकालीन अधिवेशन १५ जुलाई से १५ सितम्बर तक,
शीतकालीन अधिवेशन ५ नवम्बर या दीपावली के चौथे दिन, जो भी बाद में हो, से २२ दिसम्बर तक और नियमों में एतदर्थ आवश्यक संशोधन कर दिया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के बारे में जानकारी

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैंने आज नियम ५१ के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्रों में मारपीट हुई थी उसके बारे में सवाल दिया था ...

श्री अध्यक्ष—

कल के प्रश्न आज निपटाए जा सके हैं। आज के मुताल्लिक कल निपटाए जा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ५ मार्च, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद से, बिना किसी सिफारिश के १० मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के बारे में जानकारी

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मैंने एक प्रश्न साहित्य सम्मेलन के कर्मचारी के बारे में दिया था। उसकी जांच कराने के बारे में सूचना दी थी, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे जो सवाल नहीं आए हैं उन पर वक्तव्य दिलवा दिया जायगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मेरे प्रश्न के लिये भी कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आपका कल देख लूंगा।

देवरिया जिले के ग्राम सोहंग की हवालात में श्रीमती सितबिया की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्रीमती सितबिया पत्नी श्री सुभान, ग्राम सोहंग, थाना तुर्कपट्टी, जिला देवरिया की मृत्यु थाना पटहेरवा, जिला देवरिया की हवालात में दिनांक १९ अक्तूबर, १९६९ को हुई थी। यह कहना सही नहीं है कि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले को जांच अपराध अनुसंधान विभाग को २४ अक्तूबर, १९६९ को सौंपी गई थी। अपराध अनुसंधान विभाग ने इस मामले में छानबीन की है। अब तक की गई जांच से यह मालूम पड़ा है कि श्रीमती सितबिया के पति सुभान धारा ४५७ भा० द० वि० के एक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद किये गये थे। इस बिना पर पटहेरवा थाने की पुलिस ने १८ अक्तूबर, १९६९ को उनके घर पर दबिश दी थी। श्री सुभान घर पर मौजूद नहीं पाए गये। उनके घर की तलाशी से कुछ माल ऐसा मिला जो कि उपरोक्त चोरी से संबंधित प्रतीत हुआ। इसको पुलिस ने कब्जे में लिया और श्रीमती सितबिया को धारा ४११ भा० द० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। ऐसा नहीं है कि श्रीमती सितबिया को उसके पति के बदले में गिरफ्तार किया गया।

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

मृत्यु से पहले १९ अक्तूबर, १९६९ को श्रीमती सितबिया के पेट में दर्द हुआ था। फाजिलनगर डिसपेंन्सरी के मेडिकल आफिसर से उनका इलाज कराया गया किन्तु कोई लाभ न हुआ और श्रीमती सितबिया को ११.४५ बजे प्रातः मृत्यु हो गई।

श्रीमती सितबिया की लाश का परगनाधीश हाटा जनपद देवरिया द्वारा पंचायतनामा भरा गया। पंचायतनामे के समय श्रीमती सितविया के शरीर पर किसी भी चोट का होना नहीं पाया गया। पंचायतनामे के बाद शव पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर मृत्यु का कोई कारण नहीं बता सके। पोस्टमार्टम में श्रीमती सितबिया के शरीर पर दो चोटें पाई गयीं थीं किन्तु डाक्टर के मतानुसार चोटें बहुत ही साधारण थीं और उनसे मृत्यु नहीं हो सकती थी। अब तक यह नहीं मालुम हो सका है कि श्रीमती सितबिया की मृत्यु किन कारणों से हुई। विसरा केमिकल एक्जामिनर को जांच के लिये भेजा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अब तक जांच से कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल सका है जिससे यह प्रमाणित हो कि पुलिस कर्मचारियों ने श्रीमती सितबिया को मारा पीटा। श्रीमती सितबिया का पुत्र अपनी मां से मिलने थाने पर १९ तारीख को सुबह आया था। उससे भी श्रीमती सितबिया ने कोई शिकायत मारपीट के विषय में नहीं की थी।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच जारी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन, मंत्री जी ने अपने कथन में यह कहा है कि पोस्ट मार्टम में दो चोटें पाई गईं तो क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि पुलिस ने हिरासत में मुसम्मात को मारा पीटा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से यह सिद्ध नहीं होता है कि हवालात में मार पीट की गई है। हो सकता है कि पहले की चोटें हों।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह महिला बीमार पाई गई और फाजिलनगर के मेडिकल आफिसर से इलाज कराया गया तो उसको उस समय अस्पताल में क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जब डाक्टर वहां आ सकता था तो उसको बुला लिया गया।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सितबिया का पति सुभान जब नहीं मिला तो उसको यह कह कर पकड़ा गया कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि वह कहां है और उसको थाने में बिठाया गया तो इसी के डर से उसकी मृत्यु हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसको बुलाया गया था।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मंत्री जी ने बयान दिया है उसमें बताया है कि माल मशरूका मुसम्मात के घर से मिला तो क्या मंत्री जी एफ० आई० आर० को देखकर निश्चित रूप से यह बतलायेंगे कि जो माल उसके घर से बरामद हुआ है वह एफ० आई० आर० में दर्ज है या नहीं, जिस पर से ४११ में मुकदमा कायम हुआ ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

एफ० आई० आर० में तो बहुत सा सामान लिखा था उसमें से कुछ सामान बरामद हुआ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा कहना यह है कि हमारा मतलब उस चीज से है जो मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि कुछ चीजें बरामद हुईं जिससे प्रतीत होता है कि यह माल चोरी का है। वह कौन सा माल था जिसके बरामद होने परआपने शक जाहिर किया और क्या वह माल एफ० आई० आर० में दर्ज है या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी अर्ज किया था कि इतनी तैयारी करके कैसे जवाब दिया जा सकता है। यह तो वही जिरह है जो अदालत में किसी गवाह से होती है। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उसका शक उसके हसबैन्ड पर था। अब उसकी घर वाली को गिरफ्तार कर लिया गया। जो रिपोर्ट हमें दी गई है उससे मैं यह समझा कि यह कैसे हो गया कि हसबैंड की चोरी की रिसीवर होने की वजह से घरवाली को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हसबैंड ने उस माल को जाकर रखा और दूसरे को उसका मुजरिम मान लिया गया। यह तो दूसरी बात है लेकिन क्या माल पाया गया और क्या नहीं पाया गया उसके बारे में इस तरह से पूछना जिस प्रकार से कोई क्रिमिनल लाइयर किसी गवाह से पूछता है, उसका उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आपने बताया कि चोटें पायी गयीं। उससे यह एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि चोटें कैसी पायी गयीं। फिर यह किस आधार पर उत्तर दिया जा रहा है कि उसको मारा पीटा नहीं गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह मालूम हो कि पुलिस ने उसको मारा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन, एक बार यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। यहां जिरह का सवाल नहीं है लेकिन जो सवाल यहां पूछा जाय उसका यहां मुकम्मिल उत्तर दिया जाना चाहिये। सरकार को इतनी तैयारी से यहां आना चाहिये कि वह प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसमें जिरह का सवाल नहीं है। श्रीमन, मैं आपका ध्यान वक्तव्य के पैरा ३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसमें कहा गया है कि "श्रीमती सितबिया की लाश का परगनाधीश हाटा जनपद देवरिया द्वारा पंचायत नामा भरा गया। पंचायतनामा के समय श्रीमती सितबिया के शरीर पर किसी भी तरह की चोट का होना नहीं पाया गया।" लेकिन पोस्टमार्टम में सितबिया के शरीर पर दो चोटें पायीं। इसके क्या माने हैं ? इसके माने यह हुये कि उसके शरीर पर चोटें थीं। अब कृपा करके यह बताया जाय कि पोस्टमार्टम के समय क्या चोटें पाई गयीं ? क्योंकि उससे यह संशय होता है कि हवालत में पुलिस ने सितबिया को मारा और उन चोटों को दबा दिया गया। सरकार कहती है कि वे चोटें साधारण थीं। पेट में कोई जोर से लात मारे चाहे उसका निशान न पड़े.....

श्री चरण सिंह—

यह तो कोई सवाल नहीं हुआ, वक्तव्य हो गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने पूछा कि वे चोटें क्या थीं ?

श्री चरण सिंह—

आपने आधा घंटे तो व्याख्यान किया और उसके बाद फिर सवाल किया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं इस पर एतराज करता हूं मैंने आधा घंटे व्याख्यान नहीं दिया । मुझे उनके इस ऐटीट्यूड पर एतराज है।

श्री चरण सिंह—

आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

आप गलत कहें और स्वयं की नाराजगी को दूसरे की नाराजगी कहें।

श्री चरण सिंह—

श्रीमन्, यह नोट पढ़ कर सुनाया गया। एक वक्तव्य दिया गया। पंचायतनामे में किसी चोट का होना नहीं लिखा है और पोस्टमार्टम में दो मामूली चोटों को बताया गया है। लेकिन डाक्टर यह नहीं बता सका कि वे चोटें हैं या और कुछ है। और मेरे साथी ने यह भी पढ़कर सुनाया होगा कि सी० आई० डी० की इंक्वायरी चल रही है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, इससे अधिक गवर्नमेंट और क्या जवाब दे सकती है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

वे चोटें डाक्टरी रिपोर्ट मे क्या लिखी हैं।

श्री अध्यक्ष—

वे चोटें क्या थीं क्या इसकी जानकारी आपको है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उन्होंने ये चोटें बतायीं हैं :

1. Contusion 4 CW x 2 case on the Rt. side at chest 6 CW below the right nipple.
2. Multiple abrasions in the area 100 CW x 1½ CW on the back of the Right for an upper part.

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुसम्मात की चोटें हवालात में नहीं हुई हैं इस बात को बतलाने के लिये मेडीकल रिपोर्ट में चोटें कितनी पुरानी हैं इस संबंध में कोई हवाला दिया गया है ? क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि जो चोटें बतलाई गयीं हैं उनका डयूरेशन क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या रिपोर्ट में कुछ है ?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

चोटें सिम्पुल हैं या कैसी हैं यह दिया होगा।

श्री चरण सिंह---

इसमें समय नहीं दे रखा है ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

जरूर दे रखा होगा ।

श्री चरण सिंह---

मैंने जल्दी में देखा है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें तीन-तीन फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट आयी हैं । दो फरीकेन हैं एक इधर से और एक उधर से है । इस तरह मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जब आप सवाल करने की इजाजत देते हैं तो मेरे बस की यह बात नहीं है कि डयुरेशन है या नहीं है यह बतला सकूं । तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस पर विचार करने की जरूरत है कि जिस तरह से कचहरी में सवाल पूछे जाते हैं वह यहां न किये जायं ।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्तल

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१० मार्च, १९७० ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१० पर)

तालिका

क्रम संख्या फर्म के नाम

१--मे० अरुण लौह उद्योग समिति, पडरौना (देवरिया)।
२--मे० भारतीय इंडस्ट्रीज, गोरखपुर ।
३--मे० ए० डी० एस० नैनी (इलाहाबाद)
४--कोआपरेटिव यूनियन लि० तरकुलवा, देवरिया ।
५--कोआपरेटिव यूनियन, तमकुही रोड, देवरिया ।
६--कृषि यंत्र क्रय विक्रय केंद्र, सलेमपुर, देवरिया ।
७--सहकारी यूनियन लिमिटेड, रामपुर, देवरिया ।
८--सहकारी संघ लिमिटेड, र मपुर कारखाना।
९--सहकारी संघ लिमिटेड, फाजिलनगर, देवरिया ।
१०--कोआपरेटिव मार्केटिग यूनियन लि० कसया, देवरिया ।
११--कोआपरेटिव यूनियन लि० गैसही बाजार, देवरिया ।
१२--राजकीय कृषि वर्कशाप, लखनऊ ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१४ पर)

उन जिलों की सूची जहां सिविल सर्जनों के आवास गृह बनवाये गये हैं

१—आगरा
२—बदायूं
३—खीरी
४—गाजीपुर
५—पौड़ी गढ़वाल
६—पिथौरागढ़
७—आजमगढ़
८—प्रतापगढ़
९—जालौन
१०—फतेहगढ़
११—बहराइच
१२—गोरखपुर
१३—अलीगढ़
१४—वाराणसी
१५—एटा
१६—मिर्जापुर
१७—झांसी
१८—जौनपुर
१९—मेरठ
२०—इटावा
२१—बांदा
२२—बलिया
२३—इलाहाबाद
२४—देवरिया
२५—रामपुर
२६—पीलीभीत

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७२ का उत्तर पीछेपृष्ठ ९१६ पर)

परिवार नियोजन व्यूरो गोरखपुर में मिडवाइफों तथा दाइयों की नियुक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	नाम ब्लाक	मिडवाइफों की संख्या	(धात्री) दाइयों की संख्या
१	पिपरौली	१	३
२	पिपराइच	१	३
३	मटइट	३	४
४	सरावर	४	४
५	चरगावां	४	४
६	सरदार नगर	१	४
७	जगल बरिया	१	३
८	सहजनवा	१	३
९	ब्रह्मपुर	१	३
१०	पाली	१	३
११	कम्पियर गंज	३	३
१२	फरेंदा	४	४
१३	धानी	१	४
१४	रतनपुर	२	४
१५	लक्ष्मीपुर	१	३
१६	बजमनगंज	—	४
१७	सिसवा	१	४
१८	महराजगंज	४	४
१९	चिलाल	२	४
२०	बरतावल	२	४
२१	बनियारा	१	४
२२	मिठारा	—	२
२३	बधलो	१	३
२४	बनिगांव	३	४
२५	कौड़ीराम	४	४
२६	बलघाट	—	४
२७	गोला	२	३
२८	बड़हलगंज	३	४
२९	गंगहा	—	४
३०	उरजा	—	४
३१	खजनी	—	३
	योग	५२	१११

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

उन अभ्यर्थियों की सूची जो ७ मार्च, १९६९ को स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर चयन हुये (परिगणित जाति के)

१—श्री चन्द्रभान वर्मा
२—,, परसोत्तम नरायन बाजपेई
३—,, विजय कुमार
४—,, केंदार सिंह
५—,, प्रेम सिंह भाटली
६—,, भगवान दास
७—,, मोहन वर्मा भटनागर
८—,, गूरज लाल
९—,, विनोद पाल
१०—,, ओंकार नरायन अवस्थी
११—,, दीन दयाल
१२—,, राम जी सिंह
१३—,, हजारी लाल सिंहल
१४—,, जगदीश प्रसाद मेहरोत्रा
१५—,, रामचन्द्र लाल
१६—,, निहाल चन्द्र
१७—,, गंगा राम
१८—,, लाल राम वर्मा
१९—,, अशोक कुमार श्रीवास्तव
२०—,, रामकुमार
२१—,, विरेंद्र कुमार जैन
२२—,, शिववरन सिंह परिहार
२३—,, असगर अली
२४—,, मंजूर अहमद
२५—,, बिन्दा भसीन
२६—,, रामखेलावन सिंह
२७—,, देवनरायन शुक्ला
२८—,, सुशील कुमार श्रीवास्तव
२९—,, महेश चन्द्र
३०—,, दिलवान सिंह
३१—,, योगेंद्र कुमार शर्मा
३२—,, लक्ष्मी कांत द्विवेदी
३३—श्री राम दीवाकर शुक्ला
३४—,, सभाजीत
३५—,, ओंकार नाथ त्रिपाठी
३६—,, श्याम देव कुरील
३७—,, बजरंग बहादुर सिंह
३८—,, अनवर अहमद
३९—,, आनन्द प्रसाद श्रीवास्तव
४०—,, विश्वनाथ लाल
४१—,, निरन्जन कुमार
४२—,, कुलदीप कुमार श्रीवास्तव
४३—,, दीपक रन्जन भट्टाचार्य जी
४४—,, सतीश कुमार
४५—,, हरदेव प्रसाद श्रीवास्तवा
४६—,, गौरी शंकर
४७—,, खलीलुररहमान खां
४८—,, स्वामी शरन श्रीवास्तवा
४९—,, शिवनारायन सिंह
५०—,, रामचन्द्र पांडेय
५१—,, ज्ञान प्रकाश
५२—,, धर्मेन्द्र सिंह चौहान
५३—,, राम मनोहर चौबे
५४—,, देवेद्र कुमार गर्ग
५५—,, संतोष कुमार शुक्ला
५६—,, अब्दुल जव्वार खां
५७—,, इरशाद अहमद
५८—,, अशोक कुमार दुबे
५९—,, ओम प्रकाश गुप्ता
६०—,, बाबू राम रजबंशी
६१—,, साहीदुर रहमान सिद्दीकी
६२—,, लल्लन प्रसाद द्विवेदी
६३—,, राम शंकर पासी

६४—श्री श्याम नारायन
६५—,, मोहम्मद जहीर
६६—,, रामसिंह
६७—,, उमाशंकर लाल श्रीवास्तवा
६८—,, वाशिक अहमद खां
६९—,, भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ
७०—,, भोले सिंह
७१—,, साधू चरन सिंह
७२—,, रामकरन सिंह
७३—,, वेद प्रकाश मिश्रा
७४—,, निर्मल प्रसाद प्रकाश
७५—,, अशोक कुमार
७६—,, राजेंद्र कुमार
७७—,, सीता राम सिंह
७८—,, रामनरायन
७९—,, शलेंद्र बिक्रम सिंह
८०—,, भरथ सिंह
८१—,, अरुन कुमार अग्रवाल
८२—,, गुलाब चन्द्र तिवारी
८३—,, दाल चन्द्र
८४—,, भगवान पाटलिया
८५—,, महेश चन्द्र खरे
८६—,, बृजपाल
८७—,, केवल कृष्ण
८८—,, कैलाश चन्द्र श्रीवास्तवा
८९—,, मुजाहिद हुसेन
९०—,, रामा साहू
९१—,, श्याम देहरी
९२—,, मोहम्मद सोयब खां
९३—,, श्रीधर वर्मा
९४—,, जय किशोर
९५—,, हनुमन्त कुमार श्रीवास्तवा
९६—,, रामप्रकाश कटियार
९७—श्री अफजाल हुसेन
९८—,, राम प्रताप शर्मा
९९—,, रामपाल सिंह यादव
१००—,, रूपसिंह
१०१—।, बाबू लाल
१०२—,, संतराम
१०३—,, अम्बिका सिंह
१०४—,, कैलाश राम
१०५—,, अजीत कुमार मिश्रा
१०६—,, संत प्रकाश खरे
१०७—,, जगदीश लाल गुलहटी
१०८—,, यशवन्त सिंह
१०९—,, यज्ञाराम मिश्र
११०—,, ईश्वरी दयाल श्रीवास्तवा
१११—,, बरुन कुमार मेहरोत्रा
११२—,, रामखेलावन साहू
११३—,, जय प्रकाश
११४—,, हरीलाल राम
११५—,, बादसाह सिंह चौहान
११६—,, राजकुमार किंकर
११७—,, महेंद्र कुमार तिवारी
११८—,, मोहम्मद फसी
११९—,, अमृतलाल राठौर
१२०—,, चन्द्र प्रकाश
१२१—,, धुन्न प्रसाद

विभागीय

१—श्री आदेश कुमार
२—,, महर सिंह
३—,, अब्दुल सलीम
४—,, शिवपूजन यादव

उन अभ्यर्थियों की सूची जो २९ जुलाई, १९६९ को स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर चयन हुआ—

१—सर्व श्री राम प्रसाद
२—मुनेश चन्द्र
३—रामचन्द्र मिश्रा
४—रवीदत्त
५—जगदम्बिका प्रसाद शुक्ल
६—प्रकाश चन्द्र
७—शिवसागर लाल
८—सर्वेश कुमार
९—राजदेव यादव
१०—मोहम्मद हिलाल
११—राधेश्याम तिवारी
१२—विष्णु शरन अगरवाल
१३—शिवस्वरूप पाठक
१४—बलराम सिंह
१५—श्याम सुन्दर शर्मा
१६—भग्गू प्रसाद
१७—रामसकल प्रसाद
१८—सीताराम साहू
१९—विवेक संघी
२०—रामशंकर
२१—राजविहारी महरोत्रा
२२—अमृत लाल मिश्रा
२३—सत्य प्रकाश श्रीवास्तवा
२४—हरद्वारी लाल
२५—राज कुमार
२६—देश दीपक रस्तोगी
२७—अनिल कुमार खरे
२८—बन्ध पति सिंह
२९—राम खेलावन सिंह
३०—अशोक कुमार उपाध्याय
३१—दीपांकर देव आचार्य
३२—ओम प्रकाश त्यागी
३३—श्याम बहादुर सिंह
३४—इकबाल अहमद
३५—धनेश दूबे
३६—कैलाश चन्द्र तिवारी
३७—सुरेश चन्द्र सक्सेना
३८—अशोक कुमार घोष
३९—रइस अहमद
४०—गोपाल जी
४१—ओंकार प्रसाद श्रीवास्तवा
४२—देवराज सिंह
४३—रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तवा
४४—लक्ष्मी नरायन
४५—मोहम्मद इदरीस
४६—राजेश कुमार शर्मा
४७—ओम प्रकाश
४८—स्वतन्त्र कुमार अग्रवाल
४९—श्री प्रकाश
५०—राजेन्द्र कुमार मिश्रा
५१—पुन्यदेव पलिया
५२—बेद प्रकाश
५३—बांके विहारी
५४—राज कुमार तिवारी
५५—वाहिद अली
५६—सुधीर कुमार श्रीवास्तवा
५७—जोधा लाल
५८—अशोक कुमार सिनहा
५९—लल्लन तिवारी
६०—बीरबल
६१—राधे लाल
६२—बृजेश कुमार
६३—विश्वनाथ प्रसाद
६४—बिक्रमा दित्य

६५—चेत राम दोहर
६६—राजा सिंह
६७—रफीक अहमद
६८—श्याम सुन्दर
६९—रतन लाल
७०—प्रेमचन्द्र वर्मा
७१—कमलाकर सिंह
७२—राजखेलावन कोरी
७३—रतीशचन्द्र गुप्ता
७४—राजकुमार वर्मा
७५—श्री प्रकाश शुक्ला
७६—योगेन्द्र नाथ श्रीवास्तवा
७७—गोविन्द कृष्ण तिवारी
७८—इफतीकार अहमद
७९—सुरेशचन्द्र
८०—छोटे लाल
८१—निसीकुमार मोघा
८२—राम कृष्ण गुप्ता
८३—राजवीर सिंह
८४—चरनपाल सिंह
८५—महमूद अख्तर
८६—मिसबहुद्दीन अहमद
८७—धर्मवीर सिंह
८८—महेशचन्द्र रस्तोगी
८९—लक्ष्मीनरायन शर्मा
९०—सिकन्दर सिंह भन्डारी

प्रेस दीर्घा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१८ पर)

उन विधायकों की सूची जिन्होंने राष्ट्रपति शासनकाल में विधायक निवासों में कक्ष किराये पर लिया था और जिनसे अभी तक वसूली नहीं हो पाई ।

विधायिका निवास १

नाम	बकाया रकम
	रु०
१—श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी	४६४—००
२—श्री राजदेव उपाध्याय	१४२—००
३—श्री धर्मराज सिंह	८०७—५०
४—श्री शब्बीर हसन	४३३—५०
५—श्री राजेन्द्र दत्त त्यागी	१७७—५०
६—श्री राजाराम पाण्डे	४३०—००
७—श्री चन्द्र सिंह रावत	२५८०—६०
८—श्रीमती कलारानी मिश्र	२६७—५०
९—श्री नरदेव सिंह	८६०—००
१०—श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी	१२८—५०
११—श्री राम किंकर	१३७—५०
१२—श्री रईसुद्दीन	७१०—५०
१३—श्री देशराज सिंह	१५५—००
१४—श्री उग्रसेन	८०७—५०
१५—श्री जंग बहादुर वर्मा	१७४—००
१६—श्री चन्द्र देव तिवारी	३१५—५०
१७—श्री सियाराम	६०—००
१८—श्री देवी चरन अग्निहोत्री	५८५—५०
१९—श्री गोविन्द नारायण तिवारी	१२८—५०
२०—श्री गोपाल राम दास	७७२—५०
२१—श्री राम सरन सिंह	१७८—५०
२२—श्री नर्मदेश्वर	९८—००
२३—श्री सुखदेव प्रसाद	१४३—००
२४—श्री महेश प्रसाद गुप्त	७०—००
२५—श्री इन्द्रपाल	४५—५०
२६—श्रीमती यशोदा देवी	४९—००
२७—श्री हरीश कुमार गंगवार	७०—००
२८—श्री रामपति	४२—५०
२९—श्री अतीकुर्रहमान	१५६—५०
३०—श्री राम किशोर सिंह	९३—५०
३१—श्री महराज सिंह	२४—५०
३२—[illegible]	[illegible]
३३—[illegible]	[illegible]

नाम	बकाया रकम
विधायक निवास २	रु०
१—श्री नित्यानन्द पाण्डे	३५७—५०
२—श्री बाबू बदरे	७१७—५०
३—श्री राम नरेश शुक्ल	१७७—५०
४—श्री रामायण राय	८०७—५०
५—श्री रामेश्वर सिंह	८७—५०
६—श्री राज किशोर तिवारी	१०७—००
७—श्री राम अधीन सिंह यादव	१२३—००
८—श्री भृगुनाथ	८६७—५०
९—श्री चन्द्रबली सिंह	७८६—५०
१०—श्री गेंदा सिंह	७२०—००
११—श्री रघुवीर सिंह	५७२—५०
१२—श्री विजयशंकर सिंह	२४—५०
१३—श्री दशरथ प्रसाद	८०—५०
१४—श्री महमूद अली खां	१७७—५०
१५—श्री राम प्रसाद देशमुख	८७—५०
१६—श्री बीर बहादुर	१३७—५०
१७—श्री इन्द्रजीत	१३७—५०
१८—श्री सालिक राम	२१८—५०
१९—श्री अयोध्या प्रसाद	५३७—५०
२०—श्री घनश्याम दास	८७—५०
२१—श्री जवाहर लाल	८७—५०
विधायक निवास ३	
१—श्री शफकत जंग	७०—००
२—श्री जगदम्बा प्रसाद	४४७—५०
३—श्री नारायण दास	६२—५०
४—श्री महरम सिंह	६२—५०
५—श्री लक्ष्मी शंकर यादव	६२—५०
६—श्री राम मूर्ति अंचल	५१—५०
विधायक निवास ४	
१—श्री शशि भूषण सिंह	६२७—५०
२—श्री शीतलादीन द्विवेदी	१०—५०
३—श्री उदित नारायण शर्मा	१७७—५०
४—श्री चन्द्र शेखर सिंह	६६—५०
५—श्री सोहन लाल धूसिया	३५७—५०
६—श्री केदार जंग बहादुर राणा	६१०—००
७—श्री माता प्रसाद	८७—५०
८—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	२४—५०
९—श्री अहमदुल्ला खां	४९—००
१०—श्री कंधई लाल	७—००
११—श्री एस० जी० दत्त	३१—५०

नाम	बकाया रकम
	रु०
१२—श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र	२७५—००
१३—श्री हरी सिंह	१०—५०
१४—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह	७३—५०
१५—श्री मुस्फी खां	१७७—५०
१६—श्री हरिहर बख्श सिंह	५३७—५०
१७—श्रीमती इन्द्रमोहिनी	८७—५०
१८—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	२६७—५०
१९—श्री मलिखान सिंह	८७—५०
२०—श्री रघुवीर	२८—००
२१—श्री राम वचन यादव	२६७—५०
२२—श्री हरिश्चन्द्र सिंह	८०—५०
२३—श्री राज नारायण सिंह	२१—००
२४—श्री शराफत हुसेन रिजवी	२५—००
२५—श्री मुन्नी लाल	११८—५०
२६—श्री राम सुन्दर शास्त्री	१९७—००
२७—श्री भीखा लाल	१७७—५०

परिशिष्ट 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८२–८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य सम्पत्ति विभाग

संख्या ई० २७७२/जी० ई० ओ०–८२५-१९४९

दिनांक लखनऊ, ५ सितम्बर, १९५५

कार्यालय शासन

राज्यपाल आदेश देते हैं कि लखनऊ के विधायक निवासों में अवर सेवकों, लखनऊ स्थित सेवकों के क्वार्टरों के लिए अवर कर्मचारी वर्ग, नैनीताल क्लब और नैनीताल स्थित सचिवालय भवनों में अवर सेवकों तथा सचिवालय के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन राज्य सम्पत्ति कार्यालय में अवर कर्मचारी वर्ग के पदों पर नियुक्तियां जब तक कि उनकी भर्ती तथा सेवा संबंधी शर्तों को नियंत्रित करने वाली नियमावली को अन्तिम रूप न दे दिया जाय, निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायगी :—

१—भर्ती का तरीका .. अवर पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर सीधे भर्ती करके की जायंगी।

२—आयु .. .. किसी अवर पद पर किसी भी व्यक्ति को तब नियुक्त न किया जायगा जब कि उसकी आयु अगली जनवरी के पहले दिनांक को उस वर्ष की जिस वर्ष भर्ती की जाती है, १८ वर्ष से अधिक हो और ३० वर्ष से कम हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूतपूर्व सैनिक को ४० वर्ष की आयु तक भर्ती किया जा सकता है। उपयुक्त मामलों में राज्य सरकार की स्वीकृति से आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

३—अनुसूचित जाति आदि का प्रतिनिधित्व : आरक्षण के लिए लागू आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये भर्ती के समय आरक्षण होगा। इस समय लागू आदेश नियुक्ति (ख) विभाग के शासनादेश संख्या २३२८ दो–बी–१०४-५२, दिनांक २२ सितम्बर, १९५३ में दिये गये हैं।

४—अधिवास .. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का अधिवासी होना चाहिये जिसका निश्चय नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या ३२८६/दो–२८२–१९४१ दिनांक ६ जनवरी, १९५१ के साथ प्रवर्तित अधिवास निश्चित करने के लिये अर्हतायें निर्धारित करने की सामान्य नियमावली के अनुसार किया जायगा।

५—चरित्र .. .. अभ्यर्थी का चरित्र तथा पूर्ववृत्त ऐसे होने चाहिये जिससे कि वह अवर अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये योग्य हो सके।

६—शारीरिक योग्यता .. अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये तथा उसे किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिये जिसके फलस्वरूप संबंधित पद पर उसके कर्त्तव्यों के क्षमता से पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी के उसके पद पर स्थायी किये जाने के

पूर्व उससे अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड २, भाग २ के फंडामेन्टल रूल १० के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

७—ज्येष्ठता .. अवर सेवा के पद के किसी भी वर्ग में ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के दिनांक से किया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक ही दिनांक को की जाती है तो आपस में उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण उस क्रम के अनुसार किया जायगा जिसमें उनके नाम नियुक्ति के क्रम में दिये गये हों।

८—परिवीक्षा .. किसी भी मौलिक रिक्त स्थान पर अथवा उसके निमित्त नियुक्ति होने पर अभ्यर्थी को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी परिवीक्षा की अवधि भविष्य में ऐसी निर्दिष्ट अवधि के लिये बढ़ा सकता है जो एक वर्ष से अधिक न हो। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से की गई सेवा का ध्यान परिवीक्षा अवधि की गणना करने में रखा जा सकता है।

९—स्थायीकरण .. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी को परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई हुई अवधि के अन्त में यदि उसे सभी प्रकार के स्थायीकरण के लिये उपयुक्त समझा गया है, उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जायगा।

गोविन्द नारायन,
सचिव।

संख्या ई० २७७२(१)/जी०ई०ओ०—८२५-१९४९ दिनांक

प्रतिलिपि राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश, विधान भवन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

आज्ञा से,
गोविन्द नारायन,
सचिव।

विधायक निवास तथा सचिवालय आदि में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वर्दी देने का विवरण :—

	वर्दी का विवरण	संख्या	देने की तिथि
१—विधायक निवास— स्थायी व अस्थायी कर्मचारी को मिलती है।	गरम वर्दी		
	१—गरम कोट	एक	तीन वर्ष बाद
	२—गरम टोपी	एक	
	ठन्डी वर्दी		
	१—खादी कोट	दो	दो वर्ष में
	२—खादी टोपी	दो	
	३—पायजामा	दो	हर वर्ष दी जाती है
२—सचिवालय— स्थायी व अस्थायी कर्मचारी को मिलती है।	गरम वर्दी		
	१—गरम कोट	एक	तीन वर्ष बाद
	२—गरम पायजामा	एक	
	ठन्डी वर्दी		
	१—खादी कोट	तीन	दो वर्ष बाद
	२—खादी पायजामा	तीन	
	३—साफा	दो	
	४—जूता	एक जोड़ी	दो वर्ष बाद
३—विभागाध्यक्ष तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में— केवल स्थायी कर्मचारियों को मिलती है।	गरम वर्दी		
	१—अचकन	एक	तीन वर्ष बाद

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

देवरिया जनपद के जनता केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार में विशेष संप्रेक्षण के अनुसार वर्ष १९६६–६७ में ३७,०११.२४ प० एवं १९६७–६८ में १३,६०६.५५ पै० का नकद और स्टाक के रूप में अपहरण किया गया। वर्ष १९६८–६९ की आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। उक्त भण्डार में १९६६–६७ में कुल २२,६५५.५९ पै० का लाभ तथा वर्ष १९६७–६८ में ५४,६५६.९५ पै० की हानि बैलेन्स शीट के अनुसार हुई। वर्ष १९६८–६९ में कुल ३१,४१८.४७ पै० की हानि हुई।

जनपद थोक केन्द्रीय सहकारी भण्डार में वर्ष १९६६–६७ व १९६७–६८ के अन्तर्गत विशेष संप्रेक्षण के अनुसार क्रमशः ५४,९४०.५५ पै० एवं १७,०७८.५२ पै० का अपहरण नकद व स्टाक के रूप में किया गया। वर्ष १९६८–६९ की संप्रेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। वर्ष १९६६–६७ में ६१,२४४.१९ पै० का लाभ तथा वर्ष १९६७–६८ में ५४,३७९.०३ पै० की हानि एवं १९६८–६९ में १,६१२.४५ पै० का लाभ हुआ।

जिला सहकारी संघ देवरिया का वर्ष १९६६–६७ में संप्रेक्षण हुआ जिसमें कोई गबन व घाटा प्रकाश में नहीं आया बल्कि ६१,०८२ रु० का लाभ था। वर्ष १९६७–६८ में ३०,९६६.०० का लाभ रहा। वर्ष १९६७–६८ व १९६८–६९ का संप्रेक्षण अभी हो रहा है। वर्ष १९६८–६९ का वार्षिक चिट्ठा अभी तैयार नहीं है। जिससे लाभ-हानि नहीं बताया जा सकता।

———

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

तालिका

क्रय विक्रय समिति का नाम	वर्ष				
	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०
१	२	३	४	५	६
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१--चितवड़ा गांव	..	६५६.०५	८९४.०२	७०२.१५	२४२.१५
२--रसड़ा ..	३४८.९१	६२२.७०	..	५८२.५३	७४.२४
३--बेलथरा रोड	२७६.९१	७२८.२७	..	..	..

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२५ पर)

तालिका

१—कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर ।
२—आचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र, रुद्रपुर ।
३—जिला कृषि अधिकारी, नैनीताल ।
४—श्री एच० एडवर्ड ग्राम गुलजारपुर डा० फतेहपुर ।
५—श्री लाल जी, ग्राम कुसमोट, डा० शक्तिफार्म ।
६—श्री आनन्द प्रकाश रस्तोगी, ग्राम खलिया, डा० खटीमा ।
७—श्री मूलचन्द्र, ग्राम गिरधरनगर, डा० गदरपुर ।
८—श्री करन सिंह, ग्राम हजीरी, डा० जसपुर ।
९—श्री कुंवर बहादुर, ग्राम गंगापुर, डा० नारायणपुर ।
१०—श्री नन्हे, ग्राम भगवन्तपुर, डा० जसपुर ।
११—श्री जगदीश शरण बन्सल, ग्राम आदर्शनगर, डा० गूलरभोज ।
१२—श्री इन्द्र देव शुक्ला, ग्राम गनेशपुर, डा० नारायणपुर ।
१३—श्री प्रकाश, ग्राम सुखनपुर, डा० पीरूमदार ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७-८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३० पर)

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली के निर्माण तथा साज-सज्जा आदि पर शासन द्वारा व्यय की गई धनराशि का विवरण

उत्तर प्रदेश निवास के निर्माण एवं साज-सज्जा पर दिनांक ३१ मार्च, १९६९ तक शासन द्वारा ६,९७,६८४ रु० ८१ पैसे का व्यय किया गया है। उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली के रख-रखाव आदि पर निम्नलिखित धनराशि प्रति वर्ष व्यय हुई है :—

	रख रखाव	बिजली	कन्टिनजेन्सी	टेलीफोन	स्टाफ
१	२	३	४	५	६
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१९६४–६५..	१९,९९७.३६	४६२०.३०	३६५०.२५	९२४५.८०	११,८२४.००
१९६५–६६..	२०,००८.९६	६४७९.२९	४४८६.५३	१२,५५५.९०	१३,५२८.००
१९६६–६७..	२०,००४.१५	९७२२.२८	१७८७.०३	१६,६९१.४०	२३,३४२.००
१९६७–६८..	२५,३३१.५१	१०,९०१.९५	२९१६.०७	१३,७६१.००	२३,७०८.००
१९६८–६९..	२०,३८४.४७	१०,१३६.४२	२२०६.९६	१७,२७१.१०	३३,६०६.००
योग	१,०५,७२६.४५	४१,८६०.२४	१५,०४६.८४	६९,५२५.२०	१०६००८.००

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली के कक्षों से प्राप्त किराये की धनराशि प्रति वर्ष नीचे दी गई है:—

	रु०
१९६५–६६	१,५८५.००
१९६५–६६	३७५.००
१९६६–६७	२७३४.९०
१९६७–६८	५,६४८.०५
१९६८–६९	७,१७२.८०
योग ..	१७,५१५.७५

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या, ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

महिला डाक्टरों की सूची जो एक वर्ष की अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित की गई

महिला डाक्टरों के नाम	स्थानान्तरित किये जाने के कारण
१९६७	
डा० (कु०) शशिकला शर्मा ..	महिला अस्पताल, सुल्तानपुर की लेडी डाक्टर मैटर-निटी लीव पर चली गयी थीं। अत: वहां एक लेडी डाक्टर तैनात करना आवश्यक था। उनके वापस लौटने पर डा० (कु०) शर्मा को परिवार नियोजन केन्द्र मिर्जापुर भेज दिया गया।
१९६८	
डा० (श्रीमती) एल० गुप्ता ..	प्रशासनिक कारणों से इन्हें बस्ती से अलीगढ़ भेजा गया।
डा० (श्रीमती) एल० श्रीवास्तव	ए० एच० एम० एवं डफरिन अस्पताल, कानपुर शासन के अधीन हो गया था। अत: वहां मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट की तैनाती होनी थी।
डा० (श्रीमती) जी० गुप्ता	डफरिन अस्पताल फैजाबाद में वह सुचारु-रूप से कार्य नहीं चला पा रही थीं। अत: इन्हें ई० एस० आई० मेटर-निटी अस्पताल, कानपुर भेजा गया।
डा० (श्रीमती) जी० कुलश्रेष्ठ	इन्होंने मुजफ्फरनगर से रामपुर स्थानान्तरित किये जाने की इच्छा स्वयं व्यक्त की थी।
डा० (कु०) विद्या सक्सेना ..	डफरिन अस्पताल, लखनऊ में यह 'एक्स्ट्रा' थीं। अत: इन्हें आगरा भेजा गया। इसके उपरान्त बस्ती में एक वरिष्ठ महिला डाक्टर की आवश्यकता थी। इसलिये इन्हें आगरा से बस्ती भेजा गया।
डा० (श्रीमती) पी० अग्रवाल	इन्होंने लखनऊ पोस्ट किये जाने की प्रार्थना की थी जहां एक वरिष्ठ महिला डाक्टर की आवश्यकता सेकेन्ड मेडिकल आफिसर की थी जहां इन्हें नियुक्त किया गया।
डा० (श्रीमती) बी० कक्कड़	इनके पति देवरिया पोस्ट किये गये थे। अत: इन्हें भी आगरा से देवरिया भेज दिया गया।
डा० (कु०) एम० आर लारटियस ..	महिला अस्पताल, अनूपशहर (जिला बुलन्दशहर) काफी अर्से से रिक्त था। अत: इन्हें बरेली से अनूपशहर भेजा गया।
डा० (श्रीमती) प्रेम शर्मा ..	इनके परिवार के सदस्य इटावा में थे और इन्होंने वहां पोस्ट किये जाने की प्रार्थना की थी। इसके अतिरिक्त महिला चिकित्सालय, इटावा में एक सीनियर लेडी डाक्टर की पोस्टिंग आवश्यक थी।
डा० (श्रीमती) कुसुम लता गुप्ता ..	इनके पति आगरा में तैनात थे और इन्होंने वहां पोस्ट किये जाने की प्रार्थना की थी। अत: इन्हें लखनऊ से आगरा भेजा गया था।

महिला डाक्टरों के नाम	स्थानान्तरित किये जाने के कारण
डा० (श्रीमती) एम० चाही ..	इनके पति मोदीनगर फैक्ट्री (जिला मेरठ) में थे अतः इनकी प्रार्थना पर एटा से परिवार नियोजन केन्द्र, मेरठ भेजा गया।
डा० (श्रीमती) जसबीर कुमारी खुर्जा	(जिला बुलन्दशहर) में इनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी और ये वहां नहीं रहना चाहती थीं। अतः इन्हें रुड़की (जिला सहारनपुर) स्थानान्तरित किया गया।
डा० (कु०) मोना सक्सेना ..	इनकी स्वयं की प्रार्थना पर लखनऊ से महिला चिकित्सालय कायमगंज, (जिला फर्रुखाबाद) भेजा गया।
१९६९	
डा० (श्रीमती) ए० टंडन ..	यह अपनी पोस्टिंग लखनऊ के निकट चाहती थीं अतः इन्हें परिवार नियोजन केन्द्र, देवरिया से परिवार नियोजन केन्द्र सीतापुर तैनात किया गया है।
डा० (कुमारी) एस० एस० सिंह	महिला चिकित्सालय, बागेश्वर में जो काफी अर्से से बिना लेडी डाक्टर के था एक लेडी डाक्टर की तुरन्त आवश्यकता थी। अतः इन्हें उत्तरकाशी से बागेश्वर भेज दिया गया। यह एक पुनर्नियुक्त अधिकारी थीं।
(श्रीमती) इन्द्रा वर्मा (चिकित्साधिकारी) ..	इनके विरुद्ध रूरा में काफी शिकायतें थीं अतः इन्हें बांगरमऊ (जिला उन्नाव) भेज दिया गया।
डा० (श्रीमती) ई० एस० वारशने	इनके विरुद्ध सीतापुर में शिकायतें थीं। अतः इन्हें महिला चिकित्सालय, कोटद्वारा भेजे जाने के आदेश दिये गये हैं।
डा० (श्रीमती) बी० नाथ	इनके पति इलाहाबाद में हैं और इन्होंने स्वयं वहां पोस्ट किये जाने की प्रार्थना की थी, अतः इन्हें मुरादाबाद से ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी, नैनी, जिला इलाहाबाद भेजा गया है।
डा० (श्रीमती) बी० डी० संघल ..	इन्हें सरोजनी नगर महिला चिकित्सालय, जिला लखनऊ से डफरिन अस्पताल लखनऊ तैनात किया गया है क्योंकि सरोजनीनगर महिला चिकित्सालय में डा० (श्रीमती) अमिता शर्मा को ही रखे जाने का निर्णय किया गया था।
डा० (कुमारी) सुनीता जैन ..	इन्होंने मंसूरी से हटाये जाने की प्रार्थना की थी। अतः इन्हें महिला अस्पताल नरेन्द्रनगर, जिला टेहरी-गढ़वाल भेजा गया।
डा० (कुमारी) सरला दुबे ..	महिला अस्पताल फर्रुखाबाद में एक लेडी डाक्टर की आवश्यकता थी अतः इन्हें बाराबंकी से फर्रुखाबाद भेजा गया।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २० एल०ए०—१९७०—८४५।